खण्ड ९ — अंक २७
२० दिसम्बर, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११२०–२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११६४–६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

दैनिक संक्षेपिका — **१२२२–२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १--- प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फलों से बनाई गई टाफियां

†*१३९३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था मैसूर ने फलों से जो नई टाफियां तैयार की हैं उनका वाणिज्यिक उपयोग आरम्भ हो गया है अथवा शीघ्र आरम्भ होने की आशा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : फलों की टाफियां तैयार करने की जिस प्रक्रिया का विकास केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था मैसूर ने किया है निर्माताओं को उसकी अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : किस सार्थ को अनुज्ञप्ति दी गई है और वह कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : व्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री महोदय किसकी ओर से उत्तर दे रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री की ओर से ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह कैसे जान सकता हूं ? मुझे वस्तुत: आश्चर्य होता है कि सत्र की प्राय: समाप्ति पर मंत्री दूसरे मंत्रियों को काम सौंप कर चले जाते हैं । अन्यत्र काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो मैं माननीय मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि जब तक कि उन्हें संसद् के कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य बाहर न करने हों, वे यहां उपस्थित रहा करें । यदि और अनुपूरक पूछे गये, तो संभवत: माननीय उपमंत्री उनका उत्तर न दे सकें ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ऋतु में फलों का बहुत उत्पादन होता है और बहुत से फल खराब हो जाते हैं, सरकार टाफियों और फलों से अन्य प्रकार की संरक्षित वस्तुयें बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैंने बताया, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था मैसूर में कतिपय गवेषणायें की गई हैं, और सरकार उनका उपयोग किये जाने के लिये उन्हें वाणिज्यिक सार्थों को दे देने की संभावनाओं की जांच कर रही है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या यह सच है कि फलों की जिस प्रकार की टाफी अब बनाई जा रही है वह कतिपय सार्थों और सरकारी कारखानों में बनाई जा रही फलों की टाफियों से बहुत ही भिन्न है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक सरकार को विदित है, ऐसी टाफियां भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या इन टाफियों की रासायनिक जांच किसी रासायनिक निरीक्षक द्वारा की जाती है अथवा नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था में इन सब बातों की पूर्णतया जांच कर ली गई है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : दूसरे देशों से हमारे देश में कितनी टाफी मंगाई जाती ह ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक भिन्न प्रश्न है, मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री राघवाचारी** : क्या इस संस्था में फलों के रसों का चूर्ण बनाने की भी कोई प्रक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न का सम्बन्ध टाफी से है, माननीय सदस्य प्रश्न की परिधि से बाहर जा रहे हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्योंकि टाफियों को प्रायः बालक खाते हैं, तो क्या उनके निर्माण में ग्लूकोज़ और अन्य पौष्टिक उत्पादों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस प्रश्न के उत्तर के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

अजंता में कलाशाला

†*१३९४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अजंता में एक कलाशाला स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्थापना की रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं; श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार किया था और उसे छोड़ दिया था ?

†**डा० म० मो० दास** : इस सभा क एक माननीय सदस्य श्री ह० ग० वष्णव न, जो पुरातत्व केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड के सदस्य हैं, पुरातत्व केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की गत बैठक में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। बोर्ड की स्थायी समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अजंता की चित्रकारी की प्रतिकृतियां तैयार

†मूल अंग्रेजी में।

करने का कार्य संघ के पुरातत्व विभाग द्वारा आरम्भ किया जाने को है, संकल्प को आवश्यक नहीं समझा था। इस कार्य के लिये ३१,८८० रुपये की एक धनराशि मंजूर की गई है और पांच वर्ष में इस कार्य के पूर्ण हो जाने की आशा है। कलाकारों के ४ पदों के लिये विज्ञापन दिया गया है और इस कार्य में कलाकारों की सहायता करने के लिये ८ कुलियों की मंजूरी दी गई है। अजंता में एक कलाशाला स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

बीमा समवाय

†*१३९५. **श्री कृष्णाचाय जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा समवायों के लिये प्रतिकर निश्चित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कुल कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिये ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). प्रतिकर की मात्रा निकालने के लिये अपेक्षित आंकड़े सभी बीमा समवायों के सम्बन्ध में अभी उपलब्ध नहीं हैं। जीवन बीमा निगम अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-क के अनुसार प्रतिकर के लिये पात्र ६९ समवायों में से केवल ३४ के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं और उनमें से २८ के लिये प्रतिकर राशि की आगणना कर ली गई है। २३ के सम्बन्ध में आंकड़े अपूर्ण हैं। अब निगम इन और अन्य समवायों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर रहा है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रतिकर निर्धारण सिद्धांत का आधार क्या है ?

†**श्री म० च० शाह** : अधिनियम की अनूसूची के भाग क, ख और ग के अधीन यह विहित कर दिया गया है।

†**श्री क० प्र० त्रिपाठी** : क्या प्रतिकर को नगद देने की प्रस्थापना है अथवा अंशतः नगद और अंशतः बंधपत्रों के रूप में ?

†**श्री म० च० शाह** : नगद।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : जिन २८ समवायों के मामले में प्रतिकर को अन्तिम रूप दे दिया गया है, उन्हें कितनी धनराशि दी जानी है ?

†**श्री म० च० शाह** : सरकार ने अभी उसकी जांच नहीं की है। सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, न धनराशियों का उल्लेख संसद् में किया जा सकता है। जीवन बीमा निगम के पास रक्षित निधि है।

†**श्री धूसिया** : सरकार न न समवायों से क्या दायित्व और आस्तियां प्राप्त की ?

†**श्री म० च० शाह** : उक्त अधिनियम के अधीन जीवन बीमा निगम द्वारा समस्त आस्तियां और दायित्व ले लिये गये ह।

नया तेल समवाय

†*१३९६. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवषणा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम में तेल निकालने के

†मूल अंग्रजी में।

लिये एक नया रुपया-समवाय स्थापित करने के प्रश्न पर आसाम तेल समवाय के साथ हो रही वार्ता को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वार्ता को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

१८५७ के स्वतन्त्रता युद्ध का शताब्दी समारोह

+

*१३९७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम शताब्दी समारोह को मनाने के कार्यक्रम को सब से अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय समिति नियुक्त कर दी गई है और जब इस की बैठक ३० दिसम्बर, १९५६ को होगी तो यह समारोह तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के कार्यक्रम पर विचार करेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस समिति को यह भी सुझाव दिया गया है कि जबकि इस अवसर पर बहुत से भारतीय महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जायेंगी वहां उन अंग्रेज महापुरुषों की मूर्तियां अलग हटायी जायें जिन्होंने उस ज़माने में इतने अत्याचार किये थे ?

†**श्री दातार** : यह राष्ट्रीय समिति १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार करेगी ।

श्री भक्त दशन : क्या यह बताने की कृपा की जायगी कि इस समारोह को मनाने के लिये क्या अब तक कम से कम मोटी रूप-रेखा बना ली अई है और क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ तैयारियां की हैं ?

†**श्री दातार** : हां, श्रीमान । समिति द्वारा विचारार्थ एक अस्थायी कार्यक्रम बना लिया गया है और वह उस के समक्ष रखा जायेगा ।

†**श्री टेक चन्द** : क्या सरकार संघर्ष के उन दिनों का इतिहास प्रकाशित करने और उन वस्तुओं को, जो कि अब मिल नहीं रहीं, पुनः प्रकाशित करने का विचार करती है ?

†**श्री दातार** : जहां तक प्रथम भाग अर्थात् भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास तैयार करने के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यह विषय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष है । बाद के भाग के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या शिक्षा मंत्रालय के दोनों उपमंत्रियों में से कोई भी सभा को इस सम्बन्ध में जानकारी देने की स्थिति में है ? १८५७ के स्वतन्त्रता आदोलन के सम्बन्ध में ऐसी पुस्तक कितनी तैयार हो गई हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मैं समझता हूं कि पुस्तक छप रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह समारोह से पूर्व प्रकाशित हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास** : जी, हां ।

श्री भक्त दर्शन : जो नैशनल कमेटी (राष्ट्रीय समिति) इस कार्य के लिये बनाई गई है, उसमें कौन-कौन से महानुभाव नियुक्त किये गये हैं ?

श्री दातार : वाइस-प्रैजीडैंट आफ़ इंडिया (भारत के उपराष्ट्रपति) इस कमेटी के चेयरमैन (सभापति) हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) इधर से कई और मिनिस्टर (मंत्री) और डिप्टी मिनिस्टर (उपमंत्री) और राज्य के चीफ़ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री), पार्लियामेंट के मेम्बर (संसद् सदस्य) और आफ़िसर्ज़ (अधिकारी) हैं ।

†**श्री टेक चन्द** : कोई इतिहासज्ञ हैं ?

†**एक माननीय सदस्य** : प्रधान मंत्री ।

†**श्री दातार** : म यह तो नहीं बता सकता कि उसमें कोई इतिहासज्ञ हैं अथवा नहीं । परन्तु यह एक प्रतिनिधित् समिति है ।

उत्तुंग गवेषणा संस्था (स्टेशन)

*१३९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तुंग गवेषणा संस्था (स्टेशन) की स्थापना करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७७]**

श्री भक्त दशन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में जो पहले सूचना दी गई थी, प्रगति में अब उससे भी कुछ शिथिलता आ गई ज्ञात होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें देरी का क्या खास कारण है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : देरी का कारण यह है कि गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न कर रही है कि जहां तक हो सके, इस मामले पर पूरी तरह से जांच की जाये : इस दृष्टि से अभी हाल में एक सिम्पोज़ियम (गोष्ठी) हुआ था—वह मई, १९५५ म हुआ था—जिसका विशेष काम था कि हाई आल्टीच्यूड रिसर्च (उत्तुंग गवेषणा) के बारे में पूरी तरह से साइंटिस्ट्स (वैज्ञानिकों) की राय ली जाय । जब वह राय आ जायेगी तो उस पर विचार किया जायगा और उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गवषणा केन्द्र को स्थापित करन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि रखी गई है और क्या यह आशा की जाती है कि इन पांच वर्षों में यह केन्द्र स्थापित हो जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में कोई धनराशि रखी गई है या नहीं, इस सूचना के लिये मुझे नोटिस चाहिये, लेकिन यदि इस के बारे में सिम्पोज़ियम की राय अनुकूल होगी, तो इस प्रश्न पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और यह इरादा है कि आल्टीच्यूड रिसर्च स्टेशन कायम किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : पिछले चार वर्ष से लगातार इस पर विचार हो रहा है और केवल विचार हो रहा है । क्या इस बात की आशा की जा सकती है कि अगले पांच वर्षों में यह काम पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह जो विषय है, वह कोई सरल नहीं है और साइंटिफिक रिसर्च (वैज्ञानिक गवेषणा) को प्रारम्भ करने के बारे म काफ़ी विचार करना पड़ेगा और इस तरह के रिसर्च (गवेषणा केन्द्र) आसानी से स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि चार वर्ष तो किसी रिसर्च स्टेशन को स्थापित करने के लिये ज्यादा नहीं हैं।

आग्नेय अस्त्र

†*१३९९. **श्री दशरथ दव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में त्रिपुरा के आदिम जाति के लोगों से जब्त किये गये और प्राप्त किये गये आग्नेय अस्त्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार उन आग्नेय अस्त्रों को जो उसके पास हैं को वापस करने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) १९५४ से आदिम जातियों को आग्नेय अस्त्रों की कितनी नई अनुज्ञप्तियां जारी की गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म मंत्री (श्री दातार)** : (क) १,१७२

(ख) सरकार ने ८८२ आग्नेय अस्त्र पहले ही वापस कर दिये हैं, शेष आग्नेय अस्त्र पुलिस की सामान्य जांच के पश्चात् वापस किये जाते हैं।

(ग) गत दो वर्षों में ३८०।

†**श्री दशरथ दव** : क्या यह सच है कि जबसे कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई है, त्रिपुरा के जंगली क्षेत्रों में रहन वाले आदिम जाति के व्यक्तियों से बंदूकों के ले लिये जाने के कारण वे शेर-हाथी जैसे जंगली जानवरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में निराश्रित हो गये हैं ?

†**श्री दातार** : कांग्रेस द्वारा कुछ भी ले लिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भूतपूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत अनुज्ञप्त शस्त्रों के रखने पर व्यवहार्यतः कोई रोक नहीं थी। अतएव जब भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम और नियम लागू किये गये तो सरकार को जांच करके पता लगाना पड़ा कि यह बन्दूकें किन-किन के पास थीं। इसी कारण बंदूकें ली गईं थीं और जांच के पश्चात् वे वापस दी जा रही हैं।

†**श्री दशरथ दव** : इस कालावधि में कितने मामलों में लोगों के पास बिना अनुज्ञप्ति की बन्दूकें थीं ?

†**श्री दातार** : राज्य क एकीकरण के समय व्यवहार्यतः वहां कोई विधि व्यवस्था नहीं थी, अतः अधिकतर यह आग्नेय अस्त्र बिना अनुज्ञप्ति क थ। इसी कारण इस समस्त व्यवस्था को विधि के अधीन लाना पड़ा।

†**श्री दशरथ देव** : क्या यह सच नहीं कि सरकार सदा इस सभा में यह आश्वासन देती रही है कि ये सभी बन्दूकें मालिकों को वापस दे दी जायेंगी, जबकि वस्तुतः सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है ?

†**श्री दातार** : यह सच नहीं है। जो भी आश्वासन दिये गये हैं उन्हें पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है।

†**श्री टेक चन्द** : क्या जो लगभग ८०० बंदूकें उनके स्वामियों को लौटाई गई बताई जाती हैं वे अनुज्ञप्तिधारियों को लौटाई गई थीं अथवा अननुज्ञप्त वास्तविक स्वामियों को ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : वे पूछताछ के पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई गई थीं। और जांच के पूर्ण हो जाने पर अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या सरकार के पास कोई इत्तिला है कि त्रिपुरा के अलावा और किन-किन जगहों पर ट्राइबल पीपल (आदिम जाति के व्यक्तियों) से फायर आर्म्ज़ (आग्नेय अस्त्र) लिये गये हैं ?

†**श्री दातार** : यह क्वेश्चन (प्रश्न) बहुत वाइड (विस्तृत) है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वृद्ध निकेतन

†*१४००. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में वृद्ध निकेतन खोलने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्थापना की रूपरेखा क्या है और कितने समय में उस प्रस्थापना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, नहीं। श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : सरकार की नीति के मुताबिक हिन्दुस्तान में सब जगह जमींदारियां ले ली गई हैं और बड़ी-बड़ी स्टेट्स (देशी राज्य) खत्म हो गई हैं, उनके यहां जो बूढ़े रहते थे और परवरिश पाते थे, उनको जिन्दा रखने के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा कि मैंने निवेदन किया है, सरकार के पास वृद्धों के लिये मकान बनाने की कोई योजना नहीं है। यह भी एक आवश्यक काम है, लेकिन सरकार के सामने इससे भी आवश्यक काम हैं, जिन पर सरकार ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि भारतीय कुटुम्ब में वृद्धों को यथोचित संरक्षण मिल जाता है।

श्री विभूति मिश्र : ऐसे आदमी जिनके कोई गार्जियन (संरक्षक) नहीं हैं, जो कि बूढ़े हो गये हैं और जो कि चौराहे पर भीख मांगते हैं, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनका ख्याल रखा जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, उसमें सभी काम सरकार को ही नहीं करने चाहियें, कुछ काम समाज को भी करने चाहियें।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने ऐसे निकेतनों को स्थापित करने का निर्णय किया है और केन्द्रीय सरकार से सहायता की प्रार्थना की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां, श्रीमान्। पुनर्वास मंत्रालय ने ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं और राज्य सरकारों को अनुदान दिये हैं। इस समय ऐसे कुछ निकेतन चलाये जा रहे हैं, पांच बम्बई में, एक मध्य प्रदेश में, चार पंजाब में और एक राजस्थान में।

†**अध्यक्ष महोदय** : शरणार्थियों के लिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रा० न० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बूढ़ों की उम्र क्या मानी जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इन घरों में ६५ वर्ष से ज्यादा उम्र के मरदों को और ६० वर्ष से ज्यादा उम्र की औरतों को दाखिल दिया जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मंत्री महोदय ने कहा है कि चूंकि यहां पर जायंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार प्रणाली) है, इसलिये बूड़ों की कोई फिक्र नहीं है और इसलिये यह जरूरी काम नहीं है । अब तो जायंट फैमिली का सवाल तो हट गया है इसलिये क्या यह मुख्य बात नहीं है कि बूढ़ों के लिये घर बनाये जायें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह समाज के सभी कामों को हाथ में लेले । समाज को भी कुछ काम करना चाहिये ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या केवल उन्हीं वृद्धों को, जिनका कि कोई संरक्षक नहीं है, इन निकेतनों में रखा जायेगा या उनको जिनके सम्बन्धी तथा पुत्र उनकी देखभाल करने के लिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने निवेदन किया, इन निकेतनों का कार्यक्षेत्र सीमित है । यह शरणार्थियों के लिये थे और इसी उद्देश्य से यह निकेतन स्थापित किये गये थे ।

अन्धों के लिये रोजगार

†*१४०३. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सम्बद्ध अंधे व्यक्तियों क पुनर्वास के निमित्त उन्हें रोजगार दिलाने के पदाधिकारी ने तब से उक्त प्रयोजन से मद्रास राज्य में चाय के कारखानों का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे के क्या परिणाम रहे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बाद उस काम दिलाऊ पदाधिकारी ने चाय उद्योग में अंधे व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले उपयुक्त कामों की एक सूची बनाई है ।

†**श्री बालकृष्णन्** : क्या योजना क्रियान्वित हो गई है और चाय के कारखानों में कितने अंधे व्यक्तियों को काम दिया जा सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना क्रियान्वित नहीं हुई ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : जिन अंधों को काम दिया जाता है, उनको काम पर ले जाने, बस पर बैठाने इत्यादि के वास्ते भी क्या कोई खास आदमी होते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकी इत्तिला तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ न कुछ प्रबन्ध जरूर किया जाता है । वह सरकारी होता है या व्यक्तिगत, यह मैं नहीं बता सकता हूं ।

†**श्री काजरोल्कर** : अंधे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये कितने, कहां-कहां और किस-किस व्यवसाय में प्रशिक्षण देने के लिये स्कूल पहले से स्थापित हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह बहुत विस्तृत-सा प्रश्न है । मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं । परन्तु, माननीय सदस्य को मैं यह बता सकता हूं कि मद्रास में हमारे काम दिलाऊ पदाधिकारी ने ५२ व्यक्तियों को निम्न उद्योगों में लगा दिया है । वस्त्र उद्योग में ७, साबुन उद्योग में २, तेल उद्योग में १, टेलीफोन उद्योग में १८, दियासलाई उद्योग में १२, धातु उद्योग में २, साइकिल उद्योग में ५, गन्ना उद्योग में २, शिक्षक २ और विद्युत् उद्योग में १, कुल ५२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री बालकृष्णन्** : अंधे व्यक्तियों को किस प्रकार का काम दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जिन उद्योगों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उनमें काम दिया जायेगा ।

†**श्री मात्तन** : मेरे निर्वाचन-क्षेत्र तिरुवल्ला में अंधे व्यक्तियों के लिये एक बढ़िया स्कूल है । क्या सरकार ने उन्हें अंधे बच्चों के किसी स्कूल में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का प्रयत्न किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें, तो मैं निश्चय ही सम्भाव्य कार्य-वाही करूंगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनमें से कितने व्यक्तियों को काम मिल गया है और कितने व्यक्ति बेकार हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जो प्रश्न पूछा गया था, वह एक सीमित प्रश्न था । यदि अलग पूर्व-सूचना दी जाये, तो मैं सहर्ष प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

'यूनेस्को' सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित समारोह

†***१४०६. श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललित कला अकादमी ने यूनेस्को सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों के सम्मान में दिल्ली में जो समारोह आयोजित किये थ, उनमें कितना व्यय हुआ; और

(ख) उस व्यय में सरकार का कितना अंशदान था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि ललित कला अकादमी ने बौद्ध कला-प्रदर्शनी आयोजित की थी तथा वह उन प्रतिनिधियों के लिये थीं जो बौद्ध उत्सवों में भाग लेने के लिये भारत आये थे । यह कला प्रदर्शनी 'यूनेस्को' के प्रतिनिधियों के लिये आयोजित नहीं की गई थी, यद्यपि दोनों अवसर एक ही साथ पड़ गये थे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : १९५६-५७ में अब तक ललित कला अकादमी को कितने अंशदान या अनुदान दिये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : यह एक अलग प्रश्न है । माननीय सदस्य को मैं यह सूचना दे सकता हूं कि बौद्ध कला-प्रदर्शनी के आयोजन के लिये कितना अनुदान दिया गया था । जहां तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गये कुल अनुदान का प्रश्न है, मेरे पास जानकारी नहीं है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : 'यूनेस्को' के प्रतिनिधियों के मनोरंजन पर वस्तुत: कितना व्यय हुआ था ?

†**डा० म० मो० दास** : संगीत नाटक अकादमी को 'यूनेस्को' के प्रतिनिधियों के लिये कुछ प्रदर्शनों का आयोजन करने के उद्देश्य से जो धन दिया गया था, उसकी जानकारी मेरे पास है । अब तक संगीत नाटक अकादमी को हमने २,१०,९०० रुपये के कुल अनुदान में से १,५०,००० रु० दिये हैं । अभी पूरे लेखे अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

क्विलोन पर सशस्त्र आक्रमण की खुली जांच

†*१४०८. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को जिला केरल के क्विलोन स्थित मनिमला में खेतिहर किसानों पर एक सशस्त्र दल द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जांच का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी का उल्लेख है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७८]**

†**डा० रामा राव** : इन खेतिहर किसानों को जमीनों से क्यों बेदखल किया गया था तथा जंगली जानवरों को खेतिहर किसानों की अपेक्षा अधिक महत्व क्यों दिया गया था ?

†**श्री दातार** : जो लोग जुताई कर रहे थे, जमीनों पर उनका अनाधिकार कब्जा था। उन्होंने अनाधिकार रूप से जमीनों पर कब्जा कर लिया था।

†**डा० रामा राव** : विवरण में उल्लिखित है कि ये जमीनें जंगली जानवरों के लिये शिकारियों से बचन के लिये छोड़ दी गई हैं। अतः उनसे जमीनों के छोड़ने के लिये कहा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि उनका अनाधिकार कब्जा था।

†**डा० रामा राव** : परन्तु, विवरण कहता है ····

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुपूर्ति माननीय मंत्री क मौखिक वक्तव्य से होती है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या उस क्षेत्र में अब भी एसी बेदखलियां हो रही हैं ?

†**श्री दातार** : यह बेदखली का प्रश्न नहीं है। यह उन व्यक्तियों द्वारा भूमि के स्वेच्छा से छोड़ने का प्रश्न है, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक जमीनें दी जा रही थीं और उन्हों ने ऐसा मान भी लिया था।

†**डा० रामा राव** : श्रीमान्, एक औचित्य क प्रश्न पर, विवरण में उल्लेख है, "त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों और मालनाद कृषक संगम को दी गई जमीनों को मृग शरणस्थान क्षेत्र में सम्मिलित करने का अपना विनिश्चय १९५२ में घोषित किया था।" अतः, इन लोगों को दी गई जमीनें जंगली जानवरों के लिये छोड़ दी गई हैं और इन लोगों से उसे छोड़ने के लिये कहा गया है।

†**श्री दातार** : क्या म माननीय सदस्य को यह बता दूं कि जहां तक इन जमीनों का सम्बन्ध है, उन लोगों को जिनके पास ये जमीनें १९४८ से थीं, वैकल्पिक जमीनें दी गई हैं। वास्तव में हुआ यही। भूतपूर्व सनिकों को दी गई जमीनों क बारे म, उन्होंने जमीन छोड़ दी थी और अन्य व्यक्तियों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया था। इन्हीं लोगों न यह सारा उपद्रव खड़ा किया है।

†**डा० रामा राव** : विवरण कहता है, "१९४८ में मुकमपट्टी पूर्व की लगभग २०० एकड़ जमीन 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' क अन्तगत मालनाद कृषक संगम को पट्टे पर दी गई थी।" यह जमीन भतपूव सनिकों को दी गई ३७३ एकड़ जमीन क अतिरिक्त है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं।

†**श्री दातार** : व अलग-अलग नहीं हैं। जहां तक मालनाद कृषक संगम को दी गई जमीनों का सम्बन्ध है, उनकी जमींनें एक मृग शरणस्थान बनान क लिये ली जानी थीं। उन्हें वैकल्पिक जमीनें दी गई थीं और

---

†मूल अंग्रेजी में।

बहुत से मामलों में उन्होंने भी उन्हें लिया था। कठिनाई उन जमीनों के बारे में उत्पन्न होती है जो उन भूतपूर्व सैनिकों के कब्जे में थीं जिन्होंने कि उन्हें छोड़ दिया तथा उन पर अन्य लोगों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि १९४८ में मद्रास सरकार द्वारा जारी किये गये सरकारी आदेश के अनुसार किसी भी किसान को बेदखल नहीं किया जाना चाहिये था ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का सम्बन्ध त्रावनकोर-कोचीन से है। क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा था कि जो लोग १९४८ से काबिज चले आते थे, उन्हें वैकल्पिक जमीन की प्रस्थापना की गई थी और अधिकतर मामलों में उन्होंने वे स्वीकार कर ली हैं।

†**श्री वेलायुधन** : विवरणानुसर, ये किसान उन जमीनों पर १९५२ से काबिज थे। उन्हें उन जमीनों पर १९५२ से १९५६ तक क्यों काबिज रहने दिया। वस्तुतः वे जम गये थे। इस स्थिति में १९५६ में सरकार ने किस कारण से उन्हें अनधिकारी काबिज घोषित किया ?

†**श्री दातार** : उन्हें कभी काबिज नहीं होना चाहिये था। इस बात का पता लगते ही उनसे जमीन छोड़ने को कहा गया था।

†**डा० रामा राव** : विवरण कहता है "(क) ११ मई, १९५६ को वन विभाग को दी गई जमीन पर बने हुए अनेकों मकान जला दिये गये और जमीनों में उगी हुई फसलें नष्ट कर दी गईं। (ख) इन मकानों में से अधिकतर मकान स्वयं काबिजों ने ही नष्ट किये थे .....।" आगे कहा गया है कि छोड़ी हुई झोंपड़ियां जला दी गईं। जब लोग मकानों और जमीनों को छोड़ कर कहीं और चले गये, तब इन मकानों को जलाने में उनकी क्या अभिरुचि थी ?

†**श्री दातार** : यह काम कुछ राजनीतिक दलों के भड़काने पर किया गया था।

†**श्री कामत** : सब बहाना है।

†**एक माननीय सदस्य** : भेद खुल गया।

यूनेस्को का तकनीकी शिष्टमंडल

*१४११. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना के सिलसिले में हाल में भारत में यूनेस्को का जो तकनीकी शिष्टमंडल आया था उसमें किन-किन देशों के और कितने सदस्य थे; और

(ख) उसका काम पूरा कराने में किन-किन भारतीयों ने शिष्टमण्डल का साथ दिया ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७९]**

श्री खू० चं० सोधिया : इस विवरण के भाग (ख) में कहा गया है कि एक आयोजन समिति बनाई गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति में खड़गपुर इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कितने आदमी थे ?

†**डा० म० मो० दास** : ारतीय प्रौद्योगिकी संस् ा के कर्मचारि ों ने सारे काम म समिति की सहायता की थी। जहां तक मुझे विदित है, खड़गपुर संस्था के निदेशक उनके साथ थे। मेरे पास पूरी

†मूल अंग्रेजी में।

नामावली है, परन्तु इसे पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि अनेकों समितियां थीं। विवरण में हमने उल्लेख किया है कि पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की आयोजन समिति में नौ सदस्य थे और सेठ कस्तूर-भाई लालभाई उसके सभापति थे, तथा अन्य व्यक्ति वैज्ञानिक थे। फिर बहुत सी समितियां थीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे सब विवरण में सम्मिलित हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर, वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री खू० चं० सोधिया** : इन समितियों में काम करने वाले इन व्यक्तियों में क्या कुछ लोग खड़गपुर संस्था के थे ?

†**डा० म० मो० दास** : श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि उनमें बहुत से व्यक्ति थे।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : अभी कोई और विशेषज्ञ आने बाकी हैं या इसका सब काम हो चुका है और यह शुरू होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : 'यूनेस्को' में रूस का प्रतिनिधि-मंडल यहां आया था और ये चर्चायें हुई थीं। अब हम नहीं समझते कि इस संस्था के लिये कोई और टेक्नीकल मिशन किसी अन्य देश मे भारत आ रहा है ?

†**श्री खू० चं० सोधिया** : इसका काम कब तक शुरू हो जायगा ?

†**डा० म० मो० दास** : वर्तमान स्थिति यह है कि १९५६-५७ के आय-व्ययक में बम्बई में पश्चिमी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की इमारत के लिये २८ लाख रुपये का और उपकरण एवं कर्मचारियों आदि के लिये १५ लाख रु० का उपबन्ध है। इमारत पर अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है क्योंकि इमारत के लिये जगह बम्बई सरकार ने हाल में ही केन्द्रीय सरकार को दी है, तथा इमारत का वास्तविक निर्माण-कार्य आरम्भ होने से पहले औपचारिक बातों के पूरे होने में कुछ समय लगेगा। संस्था का प्रशासक बोर्ड बनाया जा रहा है। बोर्ड बनने के बाद व्यय अधिक गति से होगा। इसी बीच में एक योजना पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। और उसकी सहायता के लिये कुछ कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान स्थिति यह है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या दक्षिणी और उत्तरी प्रौद्योगिकीय संस्थाओं क लिये इन विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायेंगी ?

†**डा० म० मो० दास** : इस प्रश्न पर बाद में इन संस्थाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार करते समय विचार किया जायेगा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि खड़गपुर संस्था और भारतीय वैज्ञानिक संस्था, बंगलौर जैसी अन्य संस्थाओं में अध्यापन के लिये रूसी विशेषज्ञों की सहायता मिल सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हमें प्रश्न संख्या १४०७ लेना चाहिये।

नई दिल्ली में 'यूनस्को' सम्मेलन

\+

†*१४०७. { **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री भीखा भाई :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन समस्याओं का जिन पर नई दिल्ली में हुए 'यूनेस्को' के सम्मेलन में चर्चा की गई थी, तथा उन पर हुये विनिश्चयों का उल्लेख हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८०]**

सरदार अकरपुरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनेस्को के प्रोग्राम को कितने देशों ने अपनाया है और इस सेशन में कितने देश शामिल हुए ।

†**डा० म० मो० दास** : 'सामान्य सम्मेलन की कार्यवाही, जिसमें विचारी गई सभी समस्याओं के समस्त ब्योरे निहित हों, अभी तक तैयार नहीं हुई है और न ही हमें अभी तक विगत सम्मेलन का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । इसलिये जब तक हमें वह प्रतिवेदन प्राप्त न हो, हम सभा में कोई जानकारी नहीं दे सकते ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जब कि लैटिन, अमरीका तथा कई दूसरे देशों के बारे में कई प्रस्ताव किये गये, तब भारत के बारे में उनमें कोई जिक्र नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार के कई लाख रुपये खर्च होने के बाद भी भारत का जिक्र उसमें क्यों नहीं आया है ?

†**डा० म० मो० दास** : उस प्रश्न का उत्तर अभी इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमें अभी तक सम्मेलन की अन्तिम कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस यूनेस्को सम्मेलन द्वारा कम विकसित देशों के लिये कोई वित्तीय राशि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो भारत के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और किस-किस विषय के लिये ?

†**डा० म० मो० दास** : मुझे खेद है कि मुझे फिर से उसी उत्तर को दुहराना पड़ रहा है कि इस सम्बन्ध में मैं तब तक ब्योरा नहीं दे सकता जब तक कि सरकार के पास गत सम्मेलन की अन्तिम कार्यवाही नहीं आ जाती ।

†**श्री फोतेदार** : 'यूनेस्को' में विचारी गई समस्याओं की चर्चा में भारत ने क्या भाग लिया है और उनके क्या-क्या निर्णय हुए हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य किसी प्रश्न विशेष की पूर्व सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय यही बता सकते हैं कि क्या उसमें भारत ने भाग लिया था या नहीं, क्या भारत के प्रतिनिधि उसमें बोले थे या नहीं, बस इतना वह बता सकते हैं ।

†**डा० म० मो० दास** : मेरा विचार है कि वे उसमें बोले थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य प्रश्न का सामान्य ही उत्तर होना चाहिये, और वह यह है कि हां भारतीय प्रतिनिधियों ने वाद-विवादों में भाग लिया था ।

†**डा० रामा राव** : मंत्री जी ने अभी-अभी यह बताया है कि वह वित्तीय वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें अभी तक यूनेस्को से सरकारी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । क्या सरकार को इस सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है, और यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में भारत के लिये निर्धारित अनुदानों के सम्बन्ध में क्या लिखा हुआ है ?

†**डा० म० मो० दास** : सारी कार्यवाही को अन्तिम रूप से तैयार करना पड़ेगा । और उससे पहले मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : सम्मेलन तो समाप्त हो चुका है, अतः अब कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता ही क्या है ? कार्यवाहियां तो समाप्त हो चुकी हैं। अतः अब आवश्यकता यह जानने की है कि क्या भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार के पास कोई प्रतिवेदन भेजा है और यदि हां, तो क्या कोई राशि निर्धारित की गई है। यही जानना तो आवश्यक है।

†**डा० म० मो० दास** : आखिर, वह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, और जब तक हमें कार्यवाहियों और उनके निर्णयों के बारे में उससे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता, हम सभा में कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या निर्णय किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी इतना सुनिश्चयपूर्ण बता सकते हैं कि क्या भारतीय प्रतिनिधियों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और क्या उसमें राशि आवंटन के सम्बन्ध में कोई विवरण है। यदि हां, तो वे यह जानकारी दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो कह सकते हैं कि अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसका सीधा सा उत्तर दिया जा सकता है।

†**डा० म० मो० दास** : यूनेस्को कार्यालय और हमारा सम्पर्क कार्यालय दोनों ही उसे अन्तिम रूप देने में व्यस्त हैं। मुझे इस बारे में विदित नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, कई प्रकार के आंकड़े हल करने होते हैं---यह हम अनुभव करते हैं।

खंडीय परिषदें

†***१४१३. श्री पो० सुब्बा राव** : क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खंडीय परिषदें कब स्थापित की जायेंगी और वे कब अपना कार्य करना प्रारम्भ करेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : खंडीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा १५ में निहित उपबन्ध के द्वारा १ नवम्बर, १९५६ को पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। खंडीय परिषदों की सर्वप्रथम बैठकों के शीघ्र ही होने की आशा है।

†**श्री पो० सुब्बा राव** : खंडीय परिषदों को सीमा सम्बन्धी विवादों को निपटाने का अधिकार दिया गया है। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा सम्बन्धी विवाद से क्या तात्पर्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक राज्य का दूसरे राज्य से सीमा सम्बन्धी विवाद। क्या वे इसकी परिभाषा चाहते हैं।

†**श्री पो० सुब्बा राव** : क्या सरायकेला को उड़ीसा और बिहार के बीच सीमा विवाद विचार किया जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : अधिनियम की धारा २१ में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। और यहां भी (क) में स्पष्टतया बता दिया गया है : "सीमा सम्बन्धी विवाद, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्बन्धी कोई मामला।"

†**अध्यक्ष महोदय** : सरायकेला के सम्बन्ध में यहां इस बात पर चर्चा हुई थी कि इसे उड़ीसा के हवाले नहीं किया गया है। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या उस मामले को भी सीमा-विवादों में सम्मिलित किया जायेगा।

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर विचार करना उड़ीसा सरकार का काम है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरायकेला का प्रश्न, जिसका इस सभा द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है, फिर से उठाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री दातार** : इसके बारे में मैं इसी समय कैसे पूर्व कल्पना कर सकता हूं जब कि अभी एक भी बैठक नहीं हुई है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस मामले का तो निर्णय हो चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी इसके बारे में यहां पर स्वयं कोई भी वचन नहीं देना चाहते ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मामले का इस सभा द्वारा निर्णय किया जा चुका है । तो फिर यह सीमा-विवाद कैसे हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जैब माननीय सदस्य को ज्ञात है कि मामले का निर्णय हो चुका है तो फिर वे निराधार प्रश्न पूछते ही क्यों हैं ?

†**श्री पुन्नूस** : केरल राज्य के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? क्या मैं आशा रखूं कि उसमें आगामी आम चुनावों के बाद प्रतिनिधि लिये जायेंगे ?

†**श्री दातार** : इसका यह अर्थ नहीं है कि खंडीय परिषदों द्वारा समस्त सीमा प्रश्नों पर विचार किया जायेगा । इस प्रकार के प्रश्न का उठाना खंडीय परिषदों के सदस्यों पर निर्भर करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से मिला दिया है । यह प्रश्न एक अलग प्रश्न है । वह यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अब जब कि केरल राज्य के लिये कोई भी विधान-सभा नहीं है, क्या आम चुनावों के बाद केरल राज्य से खंडीय परिषदों के लिये प्रतिनिधि लिये जायेंगे ।

†**श्री दातार** : जी, हां, वैसा करना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वाभाविक है ।

वनस्पति घी को रंग देना

†*१४१४. **श्री काजरोल्कर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनस्पति घी को रंगने के लिये कोई उचित रंग चुनने में सफल हुई है, ताकि शुद्ध घी में कोई मिलावट न की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस देर के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८१]**

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार न इस प्रकार के पक्के रंग को खोजने के लिये कोई आकर्षक पुरस्कार प्रस्तावित किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्बन्ध में कम स कम आठ प्रौद्योगिक गवेषणा संस्थाओं द्वारा प्रयोग किये गये हैं, परन्तु वनस्पति घी को रंगने के लिये उचित रंग ढूंढने में हमारे समस्त प्रयत्न अभी तक तो असफल ही सिद्ध हुए हैं ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि व्यापारी लोग शुद्ध घी और मक्खन में वनस्पति घी की मिलावट करके जनता का शोषण कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसमें बहुत सी सचाई है, परन्तु जब तक कोई उपयुक्त रंग नहीं मिल जाता, सरकार इस अपमिश्रण को रोकने में असमर्थ है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वनस्पति घी को रंग देने के लिये किसी उपयुक्त रंग की खोज करने में किसी विदेशी विशेषज्ञ से कोई परामर्श लिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे ज्ञात है, इसके बारे में केवल हमारी गवेषणा संस्थायें ही गवेषणा कर रही हैं ।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : क्या सरकार उस दिशा में अभी तक प्रयोग कर रही है, अथवा वे प्रयोग छोड़ दिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, नहीं । सरकार ने प्रयत्न करना छोड़ नहीं दिया है । केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर और केन्द्रीय औषध गवेषणा संस्था, लखनऊ, अभी तक प्रयत्न कर रही है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जब इतनी सारी चीजों का आविष्कार हो चुका है--जैसे कि अणु बम इत्यादि, तो क्या वेजिटेबल घी को रंगने वाली चीज का आविष्कार नहीं हो सकता ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि जहां तक इन लेबोरेटरीज (प्रयोगशालाओं) में रिसर्च किया गया है, हमको यह मानना पड़ेगा कि हम को इससे सफलता नहीं मिली है परन्तु सरकार निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

आयकर विभाग

†***१४१६. श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री २० जुलाई, १९५६ के श्री म० च० शाह के उस भाषण के सम्बन्ध में, जो कि उन्होंने आयकर विभाग के कार्य की जांच सम्बन्धी मेरे संकल्प पर बोलते हुए दिया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर विभाग की सत्यनिष्ठा तथा कार्य प्रवीणता को उन्नत करने के सम्बन्ध में उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उस बारे में सरकार द्वारा क्या-क्या कायवाही की गई है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें हाल ही में की गई कुछ एक कार्यवाहियों का वर्णन है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८२]**

†**श्री कामत** : पटल पर रखे गये विवरण की कंडिका २ में अपीलों और बकाया काम के निपटारे का उल्लेख है । क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि क्या सभा में गत जुलाई में इस पर वाद-विवाद समाप्त हो जाने के बाद कोई ऐसी ठोस कार्यवाही की गई है जिससे पहले कई वर्षों से इकट्ठे हुए बकाया काम को निपटाया जा सके, अथवा क्या स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि जुलाई में थी ?

†**श्री म० च० शाह** : स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है । अभी हाल ही में नवम्बर में आयुक्तों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निर्णय किया गया है कि अपीलों के समस्त बकाया मामलों को ३१ मार्च, १९५८ से पहिले ही निपटा लिया जाये । और मेरा अनुमान है कि उन्होंने लगभग २३ सहायक अपीलीय आयुक्त भी नियुक्त कर दिये ह । सार कार्यक्रम को एसा तैयार किया है कि ३१ मार्च, १९५८ के बाद अपीलों का कोई भी बकाया काम बाकी न बच ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया है कि वह गत जुलाई मास में इस सभा में अभिव्यक्त किये इस विचार को कदापि न मानेगी, कि इस सारे मामले पर विचार करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये जिसमें संसद् सदस्य भी सम्मिलित हों ?

†**श्री म० च० शाह** : माननीय सदस्य का यह विचार गलत है कि वह सर्वसम्मत निर्णय था ।

†**श्री कामत** : मैंने कहा है, लगभग सर्वसम्मत ।

†**श्री म० च० शाह** : वह संकल्प तो प्रबल बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसमें क्या सचाई है ? इस सभा को कार्यवाहियों से पता लग जायेगा कि क्या वह सर्वसम्मति से पारित हुआ था, अथवा सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ था ।

†**श्री कामत** : मैंने कहा है—सभा के लगभग सर्वसम्मत विचार से । मैंने 'विचार' कहा है 'मत' नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के प्रश्न से यह ज्ञात होता है कि इस सभा के विनिश्चय के बावजूद भी सरकार उसे क्रियान्वित करने के लिये तैयार नहीं है । सभी चर्चाओं में कुछ माननीय सदस्य अपने मत का समर्थन करेंगे । उसके अस्वीकृत होने पर भी यदि माननीय सदस्य सभा के समक्ष यह कहेंगे कि वह स्वीकृत हुआ है, लेकिन सरकार उपेक्षा कर रही है, तो इससे भ्रांति पैदा होगी । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी अभिव्यक्ति में अधिक सावधानी से काम लेवें तथा कोई ऐसी भावना न पैदा होने दें, अन्यथा दूसरे माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे तथा उसी अनुमान के आधार पर पूरक प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे ।

†**श्री कामत** : केवल यही संकल्प था जिसे सभा के ४६ सदस्यों ने प्रस्तुत किया था तथा जिसका समर्थन किया था । सभा के इतिहास में केवल इसी संकल्प को इतने बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अस्वीकृत हो जाने वाला संकल्प सभा पर लागू नहीं हो सकता है ।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या अब सभी आयकर कार्यालयों के पास नवीनतम संशोधनों वाली आयकर पुस्तिकायें हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : मेरे विचार से उनके पास ऐसी पुस्तिकाओं की प्रतियां हैं ।

एक माननीय सदस्य : नहीं हैं ।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड तथा निकोलस कोल्डार ने देश में आयकर अपवंचन की राशि के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किय हैं, क्या तब से सरकार हमारे देश में आयकर अपवंचन की निश्चित राशि मालूम कर सकी है ?

†**श्री म० च० शाह** : कर अपवंचन के सम्बन्ध में निश्चित राशि मालूम करना असम्भव है । ये अनुमान कुछ तथ्यों पर आधारित हैं । इसलिये यह कहना बहुत कठिन है कि कर अपवंचन की निश्चित राशि क्या है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार इस सारे प्रश्न पर विचार करने, विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने तथा कर अपवंचन को कम से कम करने के लिये तरकीबों की सिफारिश करने के लिये, एक उच्चाधिकार सम्पन्न समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० च० शाह :** उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने संकल्प पर चर्चा के समय बताया था, हमने एक बहुत ऊंचे पदाधिकारी को आय-कर विभाग के प्रशासन तथा कार्य-प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त किया है। इस पदाधिकारी का कार्य समाप्त हो गया है और वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। इस प्रतिवेदन पर आय-कर आयुक्तों के सम्मेलन में चर्चा की गई। कुछ सिफारिशें स्वीकार कर-ली गईं। उन पर कार्यवाही की जा रही है। अन्य सिफारिशों पर इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद विचार किया जायेगा।

†**श्री कामत :** विवरण की पहली कंडिका में मंत्री जी ने कहा है कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। यदि नाम बताया जा सके तो क्या मैं उस विशेष अधिकारी का नाम जान सकता हूं अन्यथा उसका पद क्या है ?

†**श्री म० च० शाह :** अधिकारी का नाम इन्द्रजीत सिंह है। वह कर जांच आयोग के सचिव थे। तब वे वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने। इस समय वे वित्त मंत्रालय में मितव्ययिता एकक के संयुक्त सचिव हैं।

रीवा राज्य के महाराजा

†***१४१८. श्री आ० चं० जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा रीवा के महाराजा के बीच, रीवा के भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय सर गुलाब सिंह के द्वारा छोड़ी गई सम्पदा के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) करार की शर्तें प्रकाशित करना लोकहित में नहीं होगा।

†**श्री आ० चं० जोशी :** क्या भारत सरकार को जो राशि इस करार क अनुसार प्राप्त होगी, उसे स्वर्गीय महाराजा की घोषणा को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व रीवा राज्य की जनता पर ही व्यय किया जायेगा ?

†**श्री दातार :** इस स्थिति में मैं माननीय सदस्य को कुछ नहीं बता सकता।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** प्रश्न यह है कि कोई करार हुआ था या नहीं। 'हां' या 'नहीं' कहना राज्य के हित के विरुद्ध नहीं होगा। विवरण भले ही न दिया जाये तथापि यह बताया जा सकता है कि करार हुआ था या नहीं।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि करार के सम्बन्ध में मैं 'हां' कह चुका हूं।

†**श्री वेलायुधन :** इस सौदे में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है। इसमें से सरकार को तथा वर्तमान महाराजा को कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री दातार :** मैं करार के सम्बन्ध में कोई बात नहीं बता सकता हूं।

†**श्री वेलायुधन :** क्या धनराशि भी नहीं बताई जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** राशि करार की एक शर्त है।

†**श्री वेलायुधन :** जी, नहीं। राशि एक शर्त नहीं है, शर्त राशि पर आधारित है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह नहीं समझ सकता। राशि करार की ही एक शर्त है, तर्क करना व्यर्थ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी

†*१४२०. **श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में कार्यपालिका सम्बन्धी प्रशिक्षण मिल चुका है;

(ख) किस मापदंड के आधार पर उन्हें चुना गया;

(ग) क्या रिपोर्ट इत्यादि के रूप में राज्य सरकारों से यह जानने के लिये कोई जांच की गई है कि प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण का अधिकतम उपयोग किया है; और

(घ) सरकार उक्त प्रशिक्षार्थियों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९ ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ४५ वर्ष से कम आयु के प्रथम ग्रेड के पदाधिकारियों के मामलों पर ही कार्यकारी प्रशिक्षण के लिये विचार किया जाता है । केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई पदाली में से उक्त अधिकारियों का चुनाव करते हैं ।

(ग) प्रशिक्षण लेने वाले पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित यदि कोई विभागीय परीक्षा हो, तो उसमें बैठना होता है । राज्य सरकारों को भी प्रशिक्षण की अवधि में पदाधिकारी के काम की रिपोर्ट देनी होती है ।

(घ) वापस लौटने पर उन पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उनके स्थान के अनुसार अवर सचिव अथवा अधिक ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** प्रशिक्षण किस प्रकार का है तथा इन पदाधिकारियों ने कार्यकारी प्रशिक्षण में कैसा कार्य किया है ?

†**श्री दातार :** उनका प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि पहले वे लोग जिला प्रशासन से सम्बन्धित रहते हैं। तत्पश्चात् उन्हें विभागीय प्रशासन और राज्य सचिवालय से सम्बन्धित किया जाता है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इसका उद्देश्य उन्हें प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण देना है; क्या सरकार के पास जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा की आपातकालीन पदाली में खपाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्री दातार :** भारतीय प्रशासन सेवा पदाली स्वतन्त्र पदाली है तथा इस पदाली में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है । किन्तु यह प्रश्न केन्द्रीय सचिवालय के प्रथम ग्रेड के पदाधिकारियों से सम्बन्ध रखता है जिसका भारतीय प्रशासन सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बोनस अंश

†*१४२०–क. **डा० ज० न० पारिख :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले बोनस पर पुरानी दर से कर लगेगा अथवा उसे लाभांश की परिभाषा में शामिल कर दिया जायेगा और कर की दर अधिक होगी; और

(ख) कितनी कम्पनियों ने अब तक बोनस जारी करने की अनुमति मांगी है तथा कितनी कम्पनियों को अनुमति मिल चुकी है और कितने मामले अभी विलम्बित हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** (क) यदि कम्पनियों द्वारा उनकी प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिये बोनस अंश जारी किये जाते हैं, तो कम्पनियों पर अतिरिक्त उप-कर लगेगा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जो कि बोनस अंशों के अंकित मूल्य पर वित्त अधिनियम १९५६ में विहित दर से लगाया जायेगा जो कि वित्त (संख्या ३) विधेयक १९५६ में भी पुनरुद्धृत किया गया है। बोनस अंशों पर लाभांशों की तरह कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि उनमें कम्पनी की आस्तियों का वितरण नहीं होता है।

(ख) १ जनवरी, १९५६ से १५ दिसम्बर, १९५६ तक १०५ कम्पनियों ने बोनस अंश जारी करने की अनुमति मांगी है। ४३ मामलों में स्वीकृति दे दी गई है। २८ मामले अस्वीकार कर दिये गये हैं। ३४ प्रार्थना-पत्र अभी विलम्बित है।

†**डा० ज० न० पारिख :** बोनस अफवाहों के कारण बाजार में हुए विस्तृत प्रकार के उतार-चढ़ाव के कारण, बोनस जारी करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति क्या है ?

†**श्री म० च० शाह :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस विस्तृत प्रकार के उतार-चढ़ाव का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सट्टे के व्यापारी सदैव ही इस उतार-चढ़ाव के पक्ष में होते हैं। नीति सरकार द्वारा बना दी गई है और उसका ही अनुसरण किया जा रहा है।

†**डा० ज० न० पारिख :** कम्पनियों द्वारा दिये गये बोनस अंशों के आवेदनपत्रों का निपटारा करने में देर क्यों की जा रही है ?

†**श्री म० च० शाह :** हमें कई बातों पर जानकारी मांगनी होती है। और हमें यह देखना होता है कि क्या दी गई जानकारी सरकार द्वारा विहित नीति के अनुकूल है।

†**डा० ज० न० पारिख :** क्या बोनस अंश जारी करने के लिये कोई यथार्थ सूत्र है। यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**श्री म० च० शाह :** यदि कम्पनी की पूंजी कम हो, तब कुछ शर्तों पर बोनस जारी करने की अनुमति देदी जाती है।

यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्था

†***१४२१. श्री राम कृष्ण :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यांत्रिक इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था की स्थापना की योजना का अन्तिम रूप से विनिश्चय हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) : अभी नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने प्रस्तावित संस्था की विस्तृत योजना, प्राक्कलन तथा कार्य का कार्य-क्रम तैयार करने के लिये एक योजना समिति बनाई है।

†**श्री राम कृष्ण :** यह काम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह कहना बहुत कठिन है तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की गई है।

शुद्ध मैंगानीज का निर्माण

†***१४२४—क० डा० रामा राव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास घटिया और अस्वीकृत मैंगानीज अयस्क से शुद्ध मैंगानीज बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या सरकार अथवा कोई गैर-सरकारी उपक्रम इस प्रयोजन के लिये हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित विद्युदंशिक[1] प्रक्रिया का उपयोग कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं । किन्तु केन्द्रीय वैद्युतिक रसायन गवेषणा संस्था में एक प्रक्रिया की जांच की जा रही है । निम्न स्तर के अयस्क से विद्युदंशिक मैंगानीज के उत्पादन के लिये प्रयोग करने के प्रयोजन से एक अर्ध-अग्रिम संयंत्र[2] स्थापित किया गया है ।

†**डा० रामा राव** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि एक विधि का परीक्षण किया जा रहा है । क्या यह निर्माणकारी पैमाने पर किया जा रहा है या यह परीक्षण यह मालूम करने के लिये किया जा रहा है कि क्या हम इसका निर्माण कर सकते हैं ? मेरी जानकारी यह है कि इसका परीक्षण पहिले ही किया जा चुका है और इसे अत्यन्त कार्य-क्षम पाया गया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, अभी अनुसन्धान कार्य किये जा रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : क्या माननीय मंत्री के कथन से मैं यह समझूं कि अनुसन्धान कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो वह कह रहे हैं ।

†**डा० रामा राव** : हमें इस विधि द्वारा उत्पादित शुद्ध शत प्रतिशत मैंगानीज दिखाया गया है । एक प्रदर्शनी हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसंधान कार्य निरन्तर होता रहता है ।

बुद्ध परिनिर्वाण-जयन्ती समारोह

***१४२५. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २५००वीं बुद्ध परिनिर्वाण-जयन्ती समारोह के सिलसिले में सरकार ने किस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया था;

(ख) इन उत्सवों में विदेशों से आकर किन-किन महानुभावों ने भाग लिया; और

(ग) उस समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों पर भारत सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) सांस्कृतिक ।

(ख) इस अवसर पर "कौन-कौन है" में यह जानकारी उपलब्ध है और इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहिले यह जानकारी उपलब्ध होने की अपेक्षा नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : खण्ड (ग) के उत्तर में बताया गया है कि अभी तक इस धन राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि रखी थी, यानी इसके लिये एलाटमेंट कितना था ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक बुद्ध जयन्ती का सम्बन्ध है, चालू वर्ष के लिये शिक्षा मंत्रालय का आय-व्ययक लगभग १५ लाख रुपये था ।

श्री भक्त दशन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समारोह में भगवान बुद्ध ने जो शान्ति के उपदेश दिये थे केवल उनपर ही भाषण हुए या कोई ऐसा कार्यक्रम भी बनाया गया जिसके अनुसार उनके उपदेशों पर चलकर सारे संसार में शान्ति स्थापित की जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Electrolytic.

[2] Semi Pilot Scheme.

†**डा० म० मो० दास** : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। परन्तु मेरे विचार से इन सभी समारोहों का हमारे जीवन पर कुछ नैतिक प्रभाव अवश्य होना चाहिये।

श्री रा० न० सिंह : महाबोद्धि सोसाइटी के मंत्री ने यह कहा था कि यह जो नवम्बर में समारोह किया गया और उस पर जो व्यय किया गया यह बिल्कुल व्यर्थ था, यह कहां तक सही है ?

†**डा० म० मो० दास** : महाबोद्धि संस्था का भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वे किसी समारोह को मनाते हैं तो यह उनका अपना मामला है।

श्री रा० न० सिंह : जब कि महाबोद्धि सोसाइटी के सैक्रेटरी ने इस समारोह में भाग नहीं लिया और इस प्रकार का विचार प्रकट किया, तो क्या आप समझते हैं कि यह समारोह सफल हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक माननीय सदस्य या इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बुद्ध जयन्ती मना सकता है। मैं अपने घर में राम नवमी मनाता हूं।

मेरा कहना यह है कि बुद्ध जयन्ती व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, सरकार की सहायता से और सरकार की सहायता के बिना, मनाई जा सकती है। माननीय मंत्री ने कहा है कि महाबोद्धि संस्था का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक या दो सदस्य आगे बढ़ कर अन्य व्यक्तियों के साथ भाग ले सकते हैं और स्वतन्त्र रूप से समारोह मना सकते हैं। इसलिये यह प्रश्न ऐसा नहीं कि सरकार से पूछा जाये कि महाबोद्धि संस्था ने क्या किया था या क्या नहीं किया था।

†**श्री कामत** : उनका आरोप यह है कि उन्होंने इसका बहिष्कार किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे बहिष्कार करते हैं तो यह उनका अपना मामला है।

†**सरदार अ० सिंह सहगल** : प्रतिनिधियों के सम्मान में विभिन्न समारोह कौन से हुए थे और कितनी रकम खर्च की गई थी ?

†**डा० म० मो० दास** : इस अवसर पर विभिन्न समारोह हुए थे। एक गोष्ठी हुई थी जिसका विषय था 'कला, साहित्य तथा दर्शन में बुद्धवाद का योगदान'। ललित कला अकादमी की ओर से एक बौद्ध कला-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कुछ चलचित्रों का प्रदर्शन भी किया गया था। सरकार द्वारा नाटक, नृत्य आदि की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों, बौद्ध तीर्थों के स्थानों पर ले जाया गया था। एक सार्वजनिक सभा भी हुई थी।

†**श्री रा० न० सिंह** : मैं यह जानना चाहता था·····

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दिन एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या महाबोद्धि संस्था ने बॉयकॉट किया था या नहीं किया था और क्या समिति ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया था। एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना भी दी गई थी। फिर मैंने माननीय मंत्री से इस बात के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने की प्रार्थना की थी कि यदि कोई समिति वस्तुतः है तो महाबोद्धि संस्था तथा समारोह समिति के बीच क्या बात हुई थी। आज क्रम-पत्र के अनुसार माननीय मंत्री द्वारा एक वक्तव्य देना भी है और उस समय अग्रेतर ब्यौरा बताया जायेगा।

धौलपुर जांच समिति की रिपोर्ट

***१४२६. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धौलपुर गद्दी के दावेदारों के विवादों की जांच कर उन्हें निबटाने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी क्या उसकी रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). राष्ट्रपति ने नाभा नरेश के द्वितीय पुत्र महाराज-राना श्री हेमन्त सिंह को स्वर्गीय महाराजा श्री उदयभानु सिंह जी के उत्तराधिकारी तथा धौलपुर नरेश के रूप में मान्यता दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ कर सुनाया जाये ।

[अंग्रेजी में भी माननीय मंत्री द्वारा उत्तर सुनाया गया]

†**श्री वेलायुधन** : क्या वर्तमान उत्तराधिकारी की आयु केवल छः वर्ष है और यदि हां, तो प्रतिपालक अधिकरण कौन है ?

†**श्री दातार** : उससे उत्तराधिकार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती ।

डा० रामा राव उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी अनुपूरक की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि प्रश्नकाल अब समाप्त हो गया है ।

सामान्य निर्वाचन

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सामान्य निर्वाचनों से सम्बन्धित प्रश्नों के महत्व को देखते हुए, मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या १४२९ तथा १४३३ को लिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । माननीय सदस्य को पहिले कहना चाहिये था तब मैं सभा की राय पूछ लेता ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी सदस्यों की इसमें अभिरुचि है । [**अन्तरबाधा**]

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । सामान्यतया नियम यह है । गैर-सरकारी सदस्यों को इस सारे घंटे को अपने प्रश्नों के लिये उपयोग करने का अधिकार है । यह, घण्टा गैर-सरकारी सदस्यों के लिये है । जहां तक शेष समय का सम्बन्ध है वह सरकारी कार्य के लिये है । यदि माननीय मंत्री अपनी इच्छा से वक्तव्य देना चाहें तो मुझे कदाचित् कोई आपत्ति नहीं है । जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है संबंधित माननीय मंत्री यहां नहीं हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : माननोय संसद्-कार्य मंत्री यहां हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे उत्तर के लिये मंत्री महोदय पर छोड़ा जाता है ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या १४२९ तथा १४३३ को इकट्ठे लिया जाये ।

†***१४२९. श्री कामत** : क्या विधि कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी आम चुनावों के सम्बन्ध में परिसीमन आदेश के प्रकाशन की तिथि और उम्मीदवारों के नामनिर्देशन की अन्तिम तिथि के बीच तीन महीने से कम समय की अनुमति न देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : दोनों तिथियों के बीच किसी विशिष्ट अवधि की अनुमति का देना सरकार के हाथ में नहीं है। परिसीमन आदेश तैयार करके कल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भेज दिया गया था और मैं आज इसे सभा-पटल पर रखूंगा। यदि सुझाव यह है कि अब से और तीन महीनों के लिये आम चुनाव शुरू न किये जायें तो सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकती है।

सामान्य निर्वाचन

†***१४३३. श्री कामत** : क्या **विधि-कार्य** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ तथा उसके अनुपूरकों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले आम चुनाव की समय अनुसूची के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक ने किन तिथियों का सुझाव दिया था; और

(ग) चुनाव आयोग द्वारा समय अनुसूची की घोषणा कब की जायेगी।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : (क) चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था कि राज्य में मतदान के विचार से जलवायु तथा संचार के दृष्टिकोण से सब से अच्छा पखवाड़ा कौन सा है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ग) १३ दिसम्बर, १९५६ को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एक प्रेस सम्मेलन में इस सम्बन्ध में एक घोषणा की गई थी कि २५ फरवरी, १९५७ को मतदान प्रारम्भ करने और १२ मार्च को या इससे पहिल इसे समाप्त करने की पूरी संभावना है। इस बात से व्यवहारतः समय-अनुसूची नियत ही है।

†**श्री कामत** : प्रश्न संख्या १४३३ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में दो शब्दों का प्रयोग किया है—'संभावना' तथा 'व्यवहारतः'। क्या सभा यह समझे कि यह बात अन्तिम रूप से तय नहीं और अभी भी कुछ आनम्यता है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की है। राष्ट्रपति द्वारा १९ जनवरी को अधिसूचना जारी की जायेगी।

†**श्री कामत** : प्रश्न संख्या १४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती है कि परिसीमन आदेश के प्रकाशन तथा आम चुनाव शुरू होने में कम से कम तीन महीने की अन्तरावधि होनी चाहिये। अब जो स्थिति है, उसके अनुसार अब नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने से पहिले केवल छः सप्ताह रह जायेंगे—बल्कि छः सप्ताह से भी कम। क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि यह सभी सम्बन्धित दलों के प्रति उचित कार्यवाही है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : सरकार के विचार में यह बिलकुल उचित है। अन्यथा वे इसे कभी स्वीकार न करते।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : अपनी-अपनी राय की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में सिरमूरीताल का जमीन में धंसना

*१४०१. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश का सिरमूरीताल धीरे-धीरे जमीन में धंसता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके धंसने के कारणों की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग सिरमूरीताल के जमीन में धंसने के कारणों पर प्रारम्भिक खोजें करेगा । रिपोर्ट की एक प्रति जब प्राप्त होगी, सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

त्रिसूली जलविद्युत् परियोजना नेपाल

†*१४०२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल सरकार को सूचित किया है कि भारत त्रिसूली जलविद्युत् परियोजना के लिये सहायता देने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) सहायतार्थ कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) लगभग तीन करोड़ रुपये ।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिये प्रतिबिम्बक[1]

†*१४०४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के लिये शीघ्र ही ४८ इंच का एक प्रतिबिम्बक स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये संघ सरकार ने विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिया है; और

(ग) इस प्रतिबिम्बक की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान की मंजूरी दी है और जब कभी भी आवश्यक होगा इसकी अदायगी कर दी जायेगी ।

(ग) ४८ इंच के प्रतिबिम्बक से मध्यम सितारों के सम्बन्ध में कार्य किया जाना सम्भव होगा और पहले जिस ३० इंच के प्रतिबिम्बक को खरीदने का विचार था उससे इसकी ढाई गुना अधिक रोशनी की क्षमता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Reflector.

आदिम जाति कल्याण योजनायें

*१४०९. **श्री भोखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत, विशेष रूप से राजस्थान को, विकास खण्ड किस आधार पर दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : बहु-उद्देशीय विकास खण्ड राजस्थान को अन्य राज्यों के समान ही भिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिये गये हैं वशर्तेकि उस पर किया गया खर्च उस रकम के अन्दर ही रहे जो कि प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये तथा इन खण्डों से बाहर के क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है ।

भारतीय लिपियों के टाइपराइटर

†*१४१०. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न भारतीय लिपियों के यन्त्र और कीबोर्डों की जांच और समन्वय के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं, ताकि भारतीय टाइपराइटर आसानी से बनाये जा सकें और उन्हें एक भारतीय लिपि से दूसरी में परिवर्तित किया जा सके ।

†**शिक्षा उपमंत्री** : (**डा० म० मो० दास**) : इस विषय में भारत सरकार ने कोई पग नहीं उठाये । तथापि सरकार ने फरवरी, १९५५ में हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के लिये एक कीबोर्ड बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की है । हिन्दी टाइपराइटर कीबोर्ड के बारे में समिति ने अपने प्रतिवेदन को अभी हाल में अन्तिम रूप दिया है ।

मनीपुर के लिये पुलिस पदाधिकारी

†*१४१२. **श्री रिशांग किशिंग** : **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार से पुलिस की और अन्य पदाधिकारियों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । सब-इन्सपैक्टर के दर्जे के केवल दो पुलिस पदाधिकारी ।

(ख) प्रशिक्षित स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों की कमी के कारण कुछ समय तक अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर योग्य और प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी लेना आवश्यक है । तथापि स्थानीय पदाधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण के लिये निकटवर्ती राज्यों में भेजने के लिये पग उठाये जा रहे हैं ।

भारत का राज्य बैंक

†*१४१५. **पंडित मु० ब० भार्गव** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य बैंक प्राधिकारियों ने इस बात के लिये क्या व्यवस्था की है कि बैंक के कर्मचारियों की उपेक्षा या अन्य कारणों से सरकारी रुपये के गबन को रोका जाये और इसे अन्यथा नष्ट न होने दिया जाये;

(ख) क्या कर्मचारियों की, चाहे वे पदाधिकारी वर्ग के हों या अन्य, कोई ऐसी श्रेणी है, जिन्होंने उपरोक्त विषय के बारे में कोई सेवा करार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) क्या बैंक के किन्हीं कर्मचारियों की कर्त्तव्य विमुखता के कारण मुद्रा की हानि के कोई मामले हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो यह हानि कैसे पूरी की जायेगी;

(च) क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने उक्त करार किया है और जिनके सहायकों की कार्य-वाहो के कारण हानि हुई है, उसके लिये कोई रक्षण दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) से (छ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८४]**

सोदपुर ग्लास वर्कस लि०

†*१४१७. **श्री बोगावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोदपुर ग्लास वर्क्स लि० को दिये गये ११० लाख रुपये के ऋण से कितना वसूल किया जा चुका है और कितना अभी बाकी है;

(ख) चूंकि यह कारखाना शीशा बनाने वाली एक जापानी फर्म को बेचा गया है और उसे इस कारखाने को खरीदने के लिये ६२ लाख रुपये दिये गये हैं, पुराने कारखाने और जापानी फर्म से कितना रुपया लेना बाकी है;

(ग) वह राशि कितनी है जिसकी वसूली नहीं की जा सकती अर्थात औद्योगिक वित्त निगम को कितनी हानि हुई है; और

(घ) इसके कारण क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) निगम ने कोई वसूली नहीं की और १,१०,५८,७०८ रुपये की सारी रकम बकाया है ।

(ख) भारत क औद्योगिक वित्त निगम और असारी ग्लास कम्पनी लि० टोकियो के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार, सोदपुर ग्लास वर्क्स लि० की आस्तियां, इंडो-असारी ग्लास वर्क्स कम्पनी, लि० को जो जापानी फर्म द्वारा चलाई गई एक भारतीय कम्पनी है, ६२ लाख रुपये पर बेची जायेगी । यह राशि निगम भारतीय कम्पनी को उधार देगा । ६२ लाख रुपये की ऋण की राशि सोदपुर ग्लास वर्क्स लि० के अदत्त ऋण के लेखे में डाल दी जायेंगी । चूंकि अभी विक्रय पूरा नहीं हुआ, इसलिये जापानी फर्म से किसी वसूली का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, अभी सारी राशि सोदपुर ग्लास वर्क्स लि० से वसूल की जानी है ।

(ग) अनुमान है कि निगम को ४९ लाख रुपये से अधिक हानि नहीं होगी ।

(घ) सम्पत्तियों को विज्ञापन द्वारा विक्रय के लिये रखा गया था । उचित बातचीत के बाद, प्राप्त हुए प्रस्तावों में से अन्त में निगम द्वारा एक जापानी फर्म का ६२ लाख रुपये का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था ।

नियोगी जांच समिति का प्रतिवेदन

†*१४१९. **श्री जांगड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियोगी जांच समिति क प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में, भारत सरकार से प्रार्थना की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी

†*१४२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जो इस प्रयोजन के लिये सिफारिशें करने के लिये नियुक्त की गई थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी में पर्याप्त योग्यता किन साधनों के द्वारा प्राप्त की जाये, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन किस प्रकार का है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

†*१४२३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य समितियों को स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास सम्बन्धी अपनी गवेषणा पुस्तकें प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है ?

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) इस विषय में भारत सरकार ने विशिष्ट रूप से कोई अनुमति नहीं दी, किन्तु राज्य सरकारें स्वविवेकानुसार राज्य समितियों द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री को किसी भी प्रयोजन क लिये ोग कर सकती हैं ।

(ख) अब तक कवल एक ।

अनसूचित जाति क्षत्रों में विकास खण्ड

*१४२४. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किन-किन राज्यों के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में कितने विकास खण्ड आरम्भ किये जा चुके हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन विकास खण्डों के लिये विकास विस्तार अधिकारी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गयी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी इन विकास खण्डों का बजट भी मंजूर नहीं किया गया है;

(घ) क्या बजट की पूर्व-स्वीकृति के अभाव में सरकार ने कोई कामचलाऊ वित्तीय व्यवस्था की ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय वे सभा-पटल पर रख दी जायेगी। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८५]**

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० हरालू

†*१४२७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५६ में कोहीमा में डा० हरालू की मृत्यु के सम्बन्ध में सामान्य सेना-न्यायालय द्वारा कितने सैनिकों पर अभियोग चलाया गया था;

(ख) अपराधियों को किस प्रकार की और कितनी सजा दी गई थी;

(ग) क्या स्वर्गीय डा० हरालू के परिवार को कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तीन।

(ख) सेना बलाधिकृत को प्रस्तुत किये जाने से पहले, सामान्य सेना-न्यायालय की कार्यवाही का महा न्यायाधीश अधिवक्ता के द्वारा पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बैंक ऑफ बाघलखंड

†*१४२८. **श्री आ० चं० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ बाघेलखंड जिसका मुख्यालय रीवा में है राज्य बैंक है, या हिस्सेदारों का बैंक है;

(ख) इस समय इस बैंक का प्रबन्ध और नियन्त्रण किस के हाथ में है और किस प्राधिकार के अधीन;

(ग) क्या इस पर भारतीय समवाय अधिनियम लागू होता है;

(घ) क्या बैंक प्राधिकारियों ने बैंक के हिस्सेदारों से कहा है कि वे अपने हिस्सों का रुपया वापिस ले लें; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) बैंक ऑफ बाघलखंड का विधान, रीवा क भूतपूर्व नरेश क दरबार आदेशों और उत्तराधिकारी सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों के द्वारा विनियमित किया जाता है। बैंक के हिस्से इस समय सरकार के और कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथ में हैं। रीवा राज्य के नरेश ने बैंक को राज्य बैंक के रूप में अभिज्ञात किया था, किन्तु इस अर्थ में नहीं कि सारी पूंजी राज्य ने दी है।

(ख) बैंक के प्रबन्ध और नियन्त्रण के सारे अधिकार बैंक के महानिदेशक क हाथ म हैं। उस ने एक प्रबन्ध बोड नियुक्त किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) बैंक को कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत निगमित नहीं किया गया और उस पर इसके उपबन्ध लागू नहीं होते ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सरकार ने निर्णय किया है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप

†*१४३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबर द्वीपों में कोई समाजिक कल्याण योजना नहीं शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां

†*१४३१. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को इस आशय का कोई नोट भेजा गया है कि उन जातियों और आदिम जातियों के उम्मेदवारों को, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९५६ के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है, चालू वर्ष में सब शिक्षा सम्बन्धी और अन्य सुविधायें दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस परिपत्र की एक प्रति सभा-पटल रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के कर्मचारी

*१४३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के कितने अधिकारियों व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सैनिक व असैनिक विभागों में नियुक्त किया जा चुका है;

(ख) उक्त फौज के कितने व्यक्तियों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नौकरियां दी गयी हैं;

(ग) अन्य संस्थाओं द्वारा उस फौज के कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार प्राप्त हुआ है ;

(घ) आजाद हिन्द फौज के कितने अधिकारी व सैनिक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सका है; और

(ङ) उनको रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अफसर ३९

अदर रैंक्स १३६५

कुल संख्या १४०४

(ख) १५१९

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) तथा (घ). सूचना प्राप्य नहीं है और सरकार के विचार में इसे इकट्ठा करने में जो समय और मेहनत लगेगी उसके अनुरूप नतीजा नहीं निकलेगा ।

(ङ) आजाद हिन्द फौज के सैनिक रोजगार के बारे में उन तमाम रियायतों और सहायता के हकदार हैं जो आमतौर पर भूतपूर्व सैनिकों को मिल सकती हैं ।

एवरेस्ट की चोटी और अमने माचिन की ऊंचाई

†*१११६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल और चीन की सरकारों के सहयोग से तिब्बती पठार की एवरेस्ट की चोटी और अमने माचिन की चोटी की ऊंचाई नापने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

(ख) इन चोटियों की ऊंचाई के बारे में विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों के क्या मत हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा नेपाल और चीन की सरकारों की सहायता के बिना ही फिर से नापी गई थी। भारत सरकार के पास अमने माचिन की चोटी को, जो की चीन के राज्य-क्षेत्र में है, नापने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) १९५४ में एवरेस्ट की चोटी की समुद्रतट से ऊंचाई २९०२८ फुट निकाली गई थी और इसे १० फुट के भीतर घटा-बढ़ा कर ठीक समझा जाता है । अमने माचिन की ऊंचाई का कोई प्राधिकृत आंकड़ा नहीं मिला ।

नृत्य, संगीत तथा नाटक समारोह

†१२१५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नृत्य, संगीत तथा नाटक का अगला समारोह करने के लिये संगीत नाटक अकादमी द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि बनाया गया है, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शरशाह सूरी के पिता का मकबरा

†१२१६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि नारनौल (पेप्सू) के पास का शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा और अन्य ऐतिहासिक स्मारक, रक्षित स्मारकों अथवा स्थलों की सूची में शामिल किये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संग्रहालय पुनर्विलोकन समितियां

†१२१७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री रा० प्र० गर्ग :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री दिनांक ३१ अगस्त १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब तक भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता और विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता की पुनर्विलोकन समितियों के प्रतिवेदन प्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हो चुके हैं, तो तत्सम्बन्धी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) यदि नहीं हुए, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) पुनर्विलोकन समितियों के प्रतिवेदनों पर सरकार के विचार कर लेने के बाद ही इन सिफारिशों को सभा-पटल पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा

†१२१८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा का गठन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि कर रही है, तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा १९५३ में गठित हुई थी और उसकी नियमावली अप्रैल, १९५३ में प्रकाशित हुई थी । प्रारम्भत: इस सेवा में वैज्ञानिक गवेषणा और विकास में लगे हुए अथवा प्रशिक्षण स्थापना में प्रविधिक या वैज्ञानिक शिक्षा देने वाले वैज्ञानिक अधिकारियों के सभी पद शामिल किये जाते थे अतएव इस सेवा में अवकाश के लिये रखे गये व्यक्तियों सहित ३४२ स्थायी पद शामिल थे । इसके बाद यह तय किया गया कि प्रविधिक विकास स्थापनाओं में निरीक्षण-पदों को भी शामिल कर लिया जाये । अब इस सेवा में स्थायी और अस्थायी दोनों पदों की कुल संख्या ४५० है । सेवा में लिये जाने के लिये चुने गये व्यक्तियों का चुनाव अधिकांशत: पूरा हो चुका है ।

खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण

†१२१९. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के वे कौन-से जिले हैं जो १९५५–५६ में विस्तृत खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये शामिल किये गये थे; और

(ख) उनका क्या विवरण है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). प्राप्य जानकारी बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है । **[दखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८६]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

चांदी

†**१२२०. श्री राम कृष्ण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चांदी की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ;

(ख) देश में सालाना कितनी चांदी निकाली जाती है ?

(ग) देश में बाहर से मंगाई जाने वाली चांदी की मात्रा और तत्सम्बन्धी मूल्य क्या है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८७]**

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८८]**

विधवाओं को पेंशन

†***१२२१. डा० ना० भा० खरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९३९–४६ के विश्व युद्ध में काम आने वाले कुछ सिपाहियों की विधवाओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके वैधव्य काल में आजीवन पेंशन दे दिया गया था जो कि ब्रिटेन के सरकारी कोष से चुकाया जाता था; और ऐसे अनुदानों का पूंजीकृत मूल्य ब्रिटिश सरकार के लन्दन स्थित कोष से वसूल किया जाता था;

(ख) यदि ऐसा था, तो क्या अनुदान प्राप्त करने वाली विधवाओं के जीवन काल में ही ऐसी बहुत सी पेंशनें बंद कर दी गई हैं; और

(ग) युद्ध काल और युद्धोत्तर काल में इस प्रकार प्रतिवर्ष कितनी पेंशनें बन्द की गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच १९३९–४६ के युद्ध के समय अप्रभावी अनुदानों के सम्बन्ध में जो निर्धारण हुआ था, उसके आदेश जून, १९४५ में जारी कर दिये गये थे । इन आदेशों के अनुसार, ब्रिटिश और भारतीय सेवा के कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में **भारतीय विनियमों** के अधीन मंजूर किये गये (विधवाओं को पेंशन शामिल करके) सभी अप्रभावी पुरस्कार भारत के राजस्व में से चुकाये जाते थे और **शाही विनियमों**[1] के अधीन ब्रिटिश या भारतीय सेवा के कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में मंजूर किये गये इस प्रकार के सभी पुरस्कारों का खर्च ब्रिटिश सरकार देती थी । अतएव ब्रिटिश सरकार से पूंजीकृत रकम वसूल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) विधवाओं की पेंशनें उन्हीं मामलों में बन्द की गई हैं जिनमें वे विहित नियमों के अधीन नहीं दी जा सकतीं, उदाहरणार्थ जब विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया हो । पेंशनों के बन्द किये जाने का ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच अप्रभावी खर्चों के बंटवारे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) अलग से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते जिनसे जानकारी दी जा सके ।

पेंशनों के विचाराधीन मामले

†**१२२२. श्री अय्युणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य में निपटाये जाने के लिये पेंशनों के निम्नलिखित कितने मामले विचाराधीन थे :—

(१) सेवा निवृत्त होने की तारीख से ४ वर्ष से अधिक के मामले ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Imperial Regulations

(२) सेवानिवृत्त होने की तारीख से ३ वर्ष से अधिक के मामले;

(३) सेवानिवृत्त होने की तारीख से २ वर्ष से अधिक के मामले;

(४) सेवानिवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष से ऊपर के मामले; और

(ख) तत्कालीन त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राजप्रमुख के सलाहकार के पद-ग्रहण करने के पूर्व पेंशनों को निश्चित करने के ऐसे कितने मामले विचाराधीन थे और १ नवम्बर, १९५६ के पहिले ऐसे कितने मामले निपटाये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :

(१) १२
(२) १६
(३) ४
(४) २०

(ख) जब सलाहकार ने कार्यभार ग्रहण किया तब ऐसे १८२ मामले विचाराधीन थे और १ नवम्बर, १९५६ के पहिले १३० मामले निपटा दिये गये थे ।

राजनैतिक पेंशन

†**१२२३. डा० ना० भा० खरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या वीरभद्र प्रसाद तिवारी नामक व्यक्ति को अब भी वह राजनैतिक पेंशन मिल रही है जो उसे ब्रिटिश शासन-काल में श्री चन्द्र शेखर आजाद के खिलाफ चलाये गये मामले के सम्बन्ध में दी गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वेतन में अन्तर

†**१२२४. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के उपविभागीय कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों और कमलपुर के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के कार्यालय के क्लर्कों के वेतन में क्या कोई अन्तर है ;

(ख) यदि है, तो कितने रुपयों का अंतर है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बाढ़ पीड़ितों को ऋण

†**१२२५. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमलपुर (त्रिपुरा) राज्य के उन किसानों को कोई सहायता या ऋण दिया गया है जिनको इस वर्ष धलाई नदी में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न भूमि कटाव के परिणामस्वरूप भारी नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि नहीं दिया गया है, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । ३,५०० रुपयों की एक रकम बाढ़ से पीड़ित ऐसे निर्धन किसानों को उपदान सहायता के रूप में दी गई थी जिनकी खड़ी अज-फसल और अमन पौधों का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था । इसके अतिरिक्त १० व्यक्तियों को १५० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कृषि ऋण दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

कमलपुर के सरकारी कर्मचारी

†**१२२५-क. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमलपुर उपविभाग (त्रिपुरा) के उन कर्मचारियों से पिछले अक्तूबर, १९५६ से मकान किराया देने के लिये कहा गया है जो सरकारी मकानों में रहा करते थे;

(ख) क्या त्रिपुरा के कर्मचारियों ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन किया था; और

(ग) यदि किया था, तो उनकी क्या कठिनाइयां हैं और सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । ऐसे निम्न वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को जो बहुत समय से किराया मुक्त आवासों में रह रहे थे, किराया-मुक्त जगह उस समय तक के लिये देदी गई है जब तक वे उन आवासों में या ऐसे ही या इससे निम्न वर्ग के आवासों में रहना चाहते हैं । ऐसे कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी किराया-मुक्त आवास की रियायत दी गई जिनका कर्त्तव्य-पालन को अच्छी तरह से निभाने के लिये कर्त्तव्य स्थल के पास रहना आवश्यक है । अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह रियायत उस समय तक के लिये मान ली गई है जब तक कि उनका वेतन क्रम नहीं बदला जाता । कमलपुर उपविभाग के उन सरकारी कर्मचारियों का, जिनसे किराया वसूल किया जाना था, अगस्त, १९५६ से प्रमाणिक दर पर किराया निर्धारण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). अगरतला के सरकारी क्वाटरों में रहने वाले एक अधिकारी ने त्रिपुरा प्रशासन को उस तारीख के बारे में एक अभ्यावेदन किया है जिससे किराया वसूली की नई व्यवस्था लागू होगी । इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय

१२२६. श्री ह० रा० नथानी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ से १९५५-५६ तक केन्द्र द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय पर कितनी धन-राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या इस अवधि में कोई नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) इसी अवधि में छात्रों तथा छात्राओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५. अनुबन्ध संख्या ८९]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय भू-परिमाप कर्मचारियों के लिये छुट्टी के नियम

†**१२२७. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री भारतीय भूपरिमाप कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिये छुट्टी के नियम बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आवश्यक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९०]**

त्रिपुरा में हाई स्कूल आदिम जाति बोर्डिंग हाऊस

†**१२२८. श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गैर-सरकारी तौर पर कितने हाई स्कूल आदिम जाति बोर्डिंग हाउस चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि इस प्रकार के हाई स्कूल आदिम जाति बोर्डिंग हाउस को वार्षिक सरकारी सहायता दी जाती है तो वह कितनी है; और

(ग) क्या सरकार त्रिपुरा के गैर-सरकारी सभी हाई स्कूल आदिम जाति बोर्डिंग हाऊस १९५७ में अपने हाथों में लेने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) चार।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) यह बात अभी उत्पन्न नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय

†**१२२९. श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश के उच्चन्यायालय में बकाया काम का ढेर पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि १९४९ और १९५० में दाखिल की गई द्वितीय अपीलों की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है; और

(ग) इसका उपचार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु बकाया काम के आंकड़े मालूम किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

कर्मचारियों की तरक्की

१२३०. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अप्रैल, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक और १९५६ में अब तक इस बीच चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया है; और

(ख) शिक्षा सम्बन्धी अपेक्षित अर्हतायें हो जाने पर ऐसे कर्मचारियों को तरक्की देने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) १६-४-५५ से ३१-१२-५५ और १-१-५६ से ३०-११-५६ तक क्रमशः ६१ और ३०३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिल्ली के रीजनल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर) द्वारा तृतीय श्रेणी में नियुक्त किया गया। दूसरी एक्सचेंजों द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूचना अभी हमारे पास नहीं है। वह एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में सीधी पदोन्नति का कोई नियम न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। जो ऊंचे पदों के लिये शैक्षणिक योग्यतायें रखते हैं उन्हें विशेष स्थिति में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में रजिस्टर कराने के लिये "नो आबजेक्शन" (कोई आपत्ति नहीं) सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर प्रायरिटी (प्राथमिकता) के आधार पर तृतीय श्रेणी के लिये बारी-बारी से उन्हें नामजद किया जाता है ।

लोक सहायक सेना

१२३१. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५६ से अब तक किन-किन स्थानों पर 'लोक सहायक सेना' के प्रशिक्षण शिविर संगठित किये जा चुके हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक शिविर में कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) प्रत्येक शिविर पर, अलग-अलग, कितना धन व्यय हुआ;

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में और किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के शिविर लगाये जाने वाले हैं; और

(ङ) इन शिविरों में प्रशिक्षण-प्राप्त युवकों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९१]**

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक

१२३२. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के कुल कितने सैनिकों के वीरता (गैलेंटरी) तथा अन्य उल्लेखनीय कार्यों (नान-गैलेंटरी) के पदकों व डेकोरेशन से सम्बन्धित भत्तों को रोकने के कुल कितने मामले सरकार के सामने आये हैं;

(ख) उनमें से कितने सैनिकों को वे भत्ते फिर से दिये जाने लगे हैं; और

(ग) उनको कितनी धनराशि मासिक दी जाती है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

छावनी बोर्ड

१२३३. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैंसडौन, लंढोर और चकराता के छावनी बोर्डों के लिये १९५६-५७ में विभिन्न मदों के अधीन जो धनराशियां स्वीकृत की गई थीं, उन में से कितनी कितनी राशि उन्हें दी जा चुकी है; और

(ख) विभिन्न निर्माण कार्यों के पूरा करने में उन्होंने अभी तक कितनी प्रगति की है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें यह दिखलाया गया है कि सन् १९५६-५७ के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर स्वीकृत धन में से कितना धन अब तक लैंसडौन, लंढोर और चकराता छावनी बोर्डों को दिया गया है और इन छावनी बोर्डों ने विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने में कितनी प्रगति की है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९२]**

हिन्दी अध्यापक

†**१२३४. श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के लिये हिन्दी अध्यापकों के पदों पर कुछ भरतियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में संवर्ग पद माने जायेंगे; और

(ग) क्या सेवा की कुछ अवधि के पश्चात इन्हें स्थायी कर दिया जायेगा: और

(घ) यदि हां, तो कितनी अवधि के पश्चात् स्थायी किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। हिन्दी शिक्षण की योजना विशुद रूप से अस्थायी है और १९५६ के बाद इस के जारी रहने की सम्भावना नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध

†**१२३५. श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर के सम्बन्ध में उन दो पत्रिकाओं अथवा समाचारपत्रों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके भारत में आने पर प्रतिबन्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (१) "ब्रिटानिया एण्ड ईव" नामक पत्रिका का जुलाई, १९४६ का अंक। यह ओधम्स् (वाटफर्ड) लिमिटेड, सेंट अल्बांस रोड, वाटफर्ड, इंगलैंड द्वारा मुद्रित है और इसके प्रकाशक हैं ब्रिटिश नेशनल न्यूजपेपर्स लिमिटेड, कामनवेल्थ हाऊस, १ न्यू आक्सफर्ड स्ट्रीट, लंदन के प्रोप्राइटर्स। पत्रिका के इस अंक में एफ० मतानिया, आर० आई० द्वारा लिखित एवं चित्रित एक लेख है :—"खदीजा मोहम्मद की प्रथम एवं पतिव्रता भार्या"।

(२) जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत भाग में मुजफ्फराबाद से प्रकाशित समाचारपत्र "हमारा काश्मीर"।

खनिज सर्वेक्षण

†**१२३६. श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में प्रकृष्ट खनिज सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) . होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में भूतत्वीय जांच १९४० से आरम्भ होकर १९५५-५६ तक जारी रही है। विभिन्न जांच बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९३]**

भूतपूर्व सैनिक कालोनी, अफजलगढ़

१२३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिक कालोनी, अफजलगढ़ में इस बीच क्या सुधार किया गया है; और

(ख) यह कालोनी कब तक अच्छी प्रकार से बसाई जा सकेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मार्च, १९५६ के पश्चात् सितम्बर, १९५६ के अन्त तक भूतपूर्व सैनिकों के अफजलगढ़ के उपनिवेश में निम्न सुधार किये गये हैं :

१३७१ एकड़ भूमि को कृषियोग्य बनाया गया है और २५९२ एकड़ को खेती के काम में लाया गया है। २५४ मकान बसने वालों के लिये, ३ मकान कर्मचारीगण के लिये, एक पंचायत घर, एक क्रय-विक्रय केन्द्र और एक आरामघर बनाया गया है। दो कुयें पीने के पानी के और एक नलकूप बनाया गया है और रामगंगा नदी से २० मील लम्बी एक नहर निकाली गई है। अफजलगढ़-कालागढ़ सड़क पक्की बना दी गई है और उसके लगभग एक मील टुकड़े को मेकेडमाईज़ किया गया है।

एक चार-विस्तर वाला दवाखाना, ग्राहकों के लिये एक कोपरेटिव स्टोर, दो डाकघर, और दो प्राइमरी स्कूल चालू कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने उपनिवेश को काशीपुर से बिजली देना स्वीकार कर लिया है और उसके चलाने के लिये १६ मील लम्बी लाइन बिछा दी गई है।

३५५ अधिक भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया है और उन्हें ३५५ जोड़ी बैल खेती-बाड़ी के लिये दिये गये हैं।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार आशा है कि यह उपनिवेश १९५८ के अन्त तक पूर्णरूप से विकसित हो जायेगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का नियतन

†१२३८. **श्री न० राचय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा के ग्यारह अधिकारी मैसूर राज्य में नियत किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार द्वारा केन्द्र में अपेक्षित कोटे की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां। मैसूर के भूतपूर्व राज्य के सम्बन्ध में।

(ख) जी, हां। मैसूर के भूतपूर्व राज्य से केवल चार अधिकारी भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति में हैं।

(ग) कमी का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार में नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यता सम्पन्न एवं वरिष्ठ अधिकारी अधिक संख्या में मैसूर सरकार नहीं दे सकी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैसूर में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

†१२३९. **श्री न० राचय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पदालि की संख्या; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के अधिकारी कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) वर्तमान में मैसूर की भारतीय प्रशासनिक पदालि में ७५ अधिकारी और भारनीय पुलिस सेवा पदालि में ३८ अधिकारी हैं ।

(ख) अनुसूचित जाति संशोधन आदेश, १९५६ जारी करने के पश्चात् की जानकारी का संग्रह किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†१२४०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ह० रा० नथानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में ब्रिटेन, फ़्रांस, अमेरिका और कनाडा में पढ़नेवाले भारतीय विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उसके बाद संग्रहीत कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सरकारों और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी है; और

(ग) प्रदत्त की गई छात्रवृत्तियों का स्वरूप क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां श्रीमान् । केवल अमेरिका और कनाडा से ।

(ख) विदेशी सरकारों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या अमेरिका में ५६ और कनाडा में २२ ।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या अमेरिका में १३ और कनाडा में एक भी नहीं ।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों में निर्वहन भत्ता, शिक्षण शुल्क, पुस्तकें, आवश्यक उपकरण और अध्ययन पर्यटन भत्ता तथा मार्ग व्यय सम्मिलित है जबकि विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में ये सब अथवा इनमें से कुछ बातें सम्मिलित हैं ।

होशियारपर में कल्याण विस्तार परियोजना

†१२४१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर जिले में तीन कल्याण विस्तार परियोजनाओं को खोले जाने के स्थान अब तक निश्चित हो चुके हैं; और

(ख) यदि हो चुके हैं तो वे कौन से स्थान हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पुलिस द्वारा भीड़ का सम्भाला जाना

†१२४२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कामत :

क्या गृह-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक पुलिस को भीड़ सम्भालने के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया है; और

(ख) यदि दिया गया है, तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

दया याचिकायें

†१२४३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९५६ से अब तक मृत्यु दंडों के लिये विभिन्न राज्यों से कितनी दया याचिकायें आई हैं;

(ख) उनमें से कितने दोष सिद्ध व्यक्तियों को माफ कर दिया गया है;

(ग) कितने आवेदनपत्र अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) दया याचिकाओं की वे कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५३ ।

(ख) किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा नहीं किया गया, परन्तु १३ कैदियों के मामलों में मृत्युदण्ड को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया था ।

(ग) १४ ।

(घ) दया याचिकाओं की सभी बातों पर बहुत सावधानी से विचार किया जाता है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†१२४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में सन् १९५६ में पारपत्र नियमों का उल्लंघन करने के लिये अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को जुर्माना किया गया है और कितनों को कैद की सजा दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भाग 'ग' राज्यों में दंगे

†१२४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों में कितने दंगे हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : नवम्बर १९५६ के अन्त तक २१४ दंगे हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बंदूकों का आयात

†१२४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से बंदूकें मंगवाई जाती हैं; और

(ख) यदि मंगवाई जाती हैं, तो वे किन देशों से मंगवाई जाती हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां। परन्तु बहुत ही सीमित मात्रा में मंगवाई जाती हैं ।

(ख) जनहित के लिये यह जानकारी देना ठीक नहीं है ।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१२४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिये कितनी रकम रखने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १४·१५ लाख रुपये ।

अन्डमान और निकोबार द्वीपों की शैक्षणिक नीति

†१२४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्डमान निकोबार द्वीपों के लिये शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपनी शैक्षणिक नीति निश्चित कर ली है;

(ख) यदि निश्चित कर ली है, तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). इस मामले पर विचार हो रहा है ।

पश्चिम जर्मनी के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

†१२४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मनी से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९४**]

डिफेन्स कालोनी

†१२५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिफेन्स कालोनी के विकास में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९५**]

दिल्ली में अ-मादक पेयों की बिक्री

†१२५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्यनिषेध कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में अ-मादक पेय तथा दूध के कितने केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इनका अनुमानित खर्च क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मद्यनिषेध के एक रचनात्मक उपाय के रूप में अ-मादक पेयों और दूध का एक केन्द्र गोल बाजार में खोला गया है ।

(ख) यह केन्द्र सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है ।

भारत में विदेशी गैर-सरकारी निगमित सार्थ

†१२५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में किन देशों की गैर-सरकारी निगमित सार्थों ने भारत में कारबार करना शुरू किया; और

(ख) उन्होंने कारबार में कितनी रकम लगाई है और वे कौन-सा कारबार कर रही हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). ऐसे गैर-सरकारी समवायों के सम्बन्ध में जो, भारत को छोड़ कर अन्यत्र निगमित हैं किन्तु जिनका एक मुख्य व्यापार केन्द्र इस देश में है, पंजीयकों से प्राप्त जानकारी बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९६**]

दिल्ली पुलिस

†१२५३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक दिल्ली राज्य के कितने पुलिस कर्मचारियों को विधि न्यायालयों के निर्णयों के फलस्वरूप मुअत्तिल किया गया है, पदावनत किया गया है, हटा दिया गया है अथवा निकाल दिया गया है; और

(ख) इन निर्णयों के खिलाफ कितनी अपीलें की गई हैं और उनका क्या निर्णय हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मुअत्तिल किये गये अधिकारी...७

पदावनत किये गये अधिकारी

हटाये गये अधिकारी -

निकाले गये अधिकारी ६

(ख) दो । दोनों ही अपीलें उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

काल कोठरी दुर्घटना

†१२५४. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक २९ अक्तूबर, १९५६ के 'नेशनल हेराल्ड' लखनऊ में प्रकाशित इस समाचार पर ध्यान दिया है कि "काल कोठरी दुर्घटना" के सम्बन्ध में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटिनका के वर्णन के विरुद्ध उसके मुख्य संपादक का प्रतिवाद करते हुए प्रोफेसर एम० ए० आजम, प्राचार्य, पूर्वी बंगाल पालीटेकनीक, ढ़ाका (पूर्वी पाकिस्तान) ने एक विरोधी पत्र भेजा है, और उस वर्णन को उन्होंने पूर्णतः निरर्थक कहा है; और क्या सरकार को इस विषय पर प्रो० एन० के० सिन्हा, विभागाध्यक्ष, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास, कलकत्ता विश्वविद्यालय के मत की जानकारी है; और

(ख) यदि मालूम है, तो क्या सकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विदेशी आस्तियां

†**१२५५. श्री क० कु० बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में कितनी विदेशी व्यापार संस्थायें (उनके हिस्सों और स्टाकों सहित) बेची गई हैं;

(ख) ऐसी आस्तियों में लगे हुए उद्योगों के **एककों** के क्या नाम हैं और उनकी कितनी संख्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितनी रकम वापिस की गई है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) देशवासियों के हाथ विदेशी व्यापार संस्थाओं के बेचे जाने के कारण जुलाई १९५४ से जून १९५६ तक ३८०·७३ लाख रुपयों की रकम वापिस की गई है ।

डाकुओं का आतंक

१२५६. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकुओं के आतंक वाले चार राज्यों की, जिनको केन्द्र द्वारा इस आतंक को दूर करने के लिये सहायता दी गई है और जिसका उल्लेख "गृह-कार्य मंत्रालय की १९५५-५६ की रिपोर्ट" के पृष्ठ २१ पर किया गया है, स्थिति में क्या सुधार हुआ है; और

(ख) क्या सरकार डाकुओं के आतंक वाले इन राज्यों से डाकुओं द्वारा की गई हत्याओं और डकैतियों के बारे में कोई तथ्य या आंकड़े प्राप्त करती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा भूतपूर्व मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश राज्यों में डकैती की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है ।

(ख) जी, हां । नियत समयानुसार ।

गवेषणा कार्य के लिये अनुदान

१२५७. श्री खू० चं० सोधिया : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ २१ पर उल्लिखित विविध गवेषणा कार्यों के लिये (१) वैज्ञानिक सोसाइटियां, (२) गवेषणा संस्थाओं, और (३) विश्वविद्यालयों को वर्ष १९५५-५६ के दौरान, अलग-अलग कितनी राशियों के अनुदान दिये गये;

(ख) वैज्ञानिक ज्ञान के विस्तार और गवेषणा के बारे में किये गये उन विशेष कार्यों का ब्योरा क्या है जिनके लिये अनुदान दिये गये थे; और

(ग) इन कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई, और कौन-कौन से और कितने गवेषणा कार्य सम्पन्न हो चुके हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). जानकारियों से युक्त विवरण-पत्र संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केरल में पुलिस यातना

†१२५८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केरल राज्य के पाठनमथित्ता पुलिस जेल में तथाकथित पुलिस यातना की जांच की है; और

(ख) यदि की है, तो उसका क्या नतीजा हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) दोषारोप गलत पाये गये हैं ।

केरल में स्कूल शिक्षा की अन्तिम परीक्षा के केन्द्र

†१२५९. **श्री अ० म० थामस** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूल शिक्षा की अन्तिम परीक्षा लेने के लिये भतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विद्यमान केन्द्रों का या तो उत्सादन कर दिया गया है या उन्हें ऐसे केन्द्रों के रूप में मान्यता दी गई है जहां परीक्षायें हर तीसरे वर्ष हुआ करेंगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस आदेश से किन-किन केन्द्रों पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस नयी कार्यवाही से बचत होगी, यदि हां, तो कितनी;

(ङ) उत्सादित केन्द्रों से नये केन्द्रों के बीच यहां पहले केन्द्रों के विद्यार्थी परीक्षायें देंगे सामान्यतया कितनी दूरी होगी;

(च) क्या विभाग ने यह देख लिया है कि नये केन्द्रों में उत्सादित केन्द्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिये रहने तथा खाने के प्रबन्ध संतोषजनक हैं; और

(छ) उन केन्द्रों में जहां मार्च, १९५७ में परीक्षायें नहीं होंगी, पहले कितने समय तक परीक्षायें होती रही हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (छ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९८]**

आदिम जाति क्षेत्रों का मानचित्र

†१२६०. **श्री संगण्णा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के आदिम जाति क्षेत्र दिखाने वाले एक मानचित्र तैयार करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस स्थिति पर है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विचार है कि राष्ट्रीय एटलस में, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार की जानी है एक मानचित्र बनाया जाये जिसमें मुख्य आदिम जातियों के क्षेत्र दिखाये जायें ।

यह भी विचार है कि उनके रहन-सहन के तरीके, उनकी वेष-भूषा तथा रिवाजों और उनकी मुख्य आदतों के बारे में भी मानचित्र में एक छोट मानचित्र (इन्सेट) में जानकारी दी जाये ।

(ख) आंकड़े आदि एकत्रित किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीपुर में गैर-सरकारी स्कूल

†**१२६१. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में क्रमश: कितने गैर-सरकारी स्कूल हैं; और

(ख) उन्हें पूर्ण सरकारी स्कूल बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) पहाड़ी क्षेत्र में १७७ तथा मैदानी क्षेत्र में २७६ ।

(ख) लड़कियों के एक हाई स्कूल, ७५ मिडल स्कूलों तथा १५० आरम्भिक स्कूलों और १०० कनिष्ट बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्कूलों को सरकारी स्कूलों में बदलने का उपबन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है ।

पूर्निया में आयकर कर्मचारी

†**१२६२. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया जिले में तथा उसमें मिलाये गये क्षेत्र में आयकर विभाग के वर्गवार कितने विभिन्न मातहत कर्मचारी तथा निकरीक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) १९५५-५६ में उनके संस्थापन पर लगभग कितनी रकम व्यय की गई; और

(ग) उसी अवधि में जिले से वर्गवार कितनी रकम आयकर के रूप में वसूल की गई ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) पूर्निया जिले में निम्न कर्मचारी काम कर रहे हैं :

	श्रेणी १	श्रेणी २	श्रेणी ३	श्रेणी ४
आयकर पदाधिकारी	शून्य	१	शून्य	शून्य
नानगजेटिड कर्मचारी	शून्य	शून्य	१०	५

(ख) १९५५-५६ में उनके संस्थापन पर लगभग ३०,७३६ रुपये व्यय किये गये ।

(ग) उस अवधि में उस जिले से वर्गवार वसूल की गई रकम इस प्रकार थी :

(आंकड़े लाख रुपये में हैं)

२५,००० रुपये से अधिक आय वाले व्यापारी जिन पर कर निर्धारित हुआ...	·७३
१०,००० रुपये से २५,००० रुपये की की आय वाले व्यापारी जिन पर कर निर्धारित हुआ ...	१·२१
५,००० से १०,००० रुपये की आय वाले लोग जिन पर कर निर्धारित हुआ	·४७
५,००० रुपये की आय वाले अन्य लोग ...	१·००
वेतन, जायदाद तथा लाभांश आय वाले लोग	.१६

†मूल अंग्रेजी में ।

पूर्निया में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कर्मचारी

†१२६३. **श्री मू० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया जिला (बिहार) तथा उसमें सम्मिलित किये गये क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में क्रमशः उनके संस्थापन पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त वर्षों में उस जिले से कितना उत्पादन-शुल्क वसूल किया गया ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९९]**

चोरी छिपे माल लाना ले जाना

†१२६४. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया की सीमा पर १९५५ से अब तक चोरी छिपे माल ले जाने वाले कुल कितने लोगों को पकड़ा गया तथा कितनों का दोष सिद्ध हुआ;

(ख) कितने ऐसे अपराधी भारतीय थे तथा कितने पाकिस्तानी;

(ग) क्या उनके पास किसी एक देश के पारपत्र थे;

(घ) उनसे जुर्माना के रूप में कितनी रकम वसूल की गई; और

(ङ) उक्त अवधि में उस सीमा पर रोकथाम करने वाली चोकियों ने कितनी कीमत की चीजें पकड़ीं ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) १ जनवरी, १९५५ से ३१ अक्तूबर, १९५६ के बीच पूर्निया सीमा के पार चोरी छिपे माल ले जाते हुए १५३ व्यक्ति पकड़े गये। इन सब व्यक्तियों पर विभागीय कार्यवाही की गई और उन्हें दण्ड दिया गया। किसी पर अभियोग नहीं चलाया गया इसलिये न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हुआ।

(ख) तथा (ग). इन १५३ व्यक्तियों में से १३९ भारतीय थे और १४ पाकिस्तानी, जिनके पास पाकिस्तानी पारपत्र थे।

(घ) इन व्यक्तियों से व्यक्तिगत जर्माने के रूप में ५१० रुपये की रकम वसूल की गई।

(ङ) उक्त अवधि में रोकथाम की चौकी ने ५,८३३ रुपये की कीमत की चीजें पकड़ीं।

आदिम जाति के लोगों द्वारा मकान कर का भुगतान

†१२६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातियों के लोग मकान का कर भी देते रहे हैं तथा लगान भी देते रहे हैं जबकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातियों के लोग केवल मकान का कर देते रहे हैं तथा मैदानी लोग भूमि का लगान ही देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मकान का कर पहाड़ी क्षेत्रों के मकानों के सम्बन्ध में आदिम जातियों के लोगों द्वारा दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उन लोगों द्वारा काश्त की जाने वाली भूमि पर लगान नहीं लिया जाता। वे उन जमीनों का लगान देते हैं, जो उनके पास घाटी में है और जिन पर वे काश्त करते हैं और लगान की दर उतनी ही होती है जितनी दूसरे लोगों से ली जाती है जो कि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मंत्रालयों की पत्रिकायें

†**१२६६. सरदार लाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा उनके साथ संलग्न दफ्तर कौन-कौन सी पत्रिकायें निकालते हैं; और

(ख) विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले सम्पादकों, सहायक सम्पादकों, उप-सम्पादकों, अनुवादकों, या उसी प्रकार के पत्रकारिता-सम्बन्धी काम करने वाले कर्मचारियों की शिक्षा-सम्बन्धी तथा प्राविधिक अर्हतायें क्या हैं, अनुभव कितना है, कितने समय से काम कर रहे हैं, काम किस प्रकार का है तथा वर्तमान वेतन तथा वेतन स्तर क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय मुद्रा

†**१२६७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अफगानिस्तान के द्वारा विदेशों से विदेशी वस्तुयें खरीदे जाने से भारतीय मुद्रा तथा संसाधन कम हो रहे हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : अफगानिस्तान जो कि स्थानान्तरणीय लेखा वर्ग में है, को भारत में हुई निर्यात आय को उसी वर्ग के किसी अन्य देश को या डालर क्षेत्र को स्थानान्तरण करने की वही सुविधायें दी गई हैं जो उस वर्ग के किसी अन्य देश को दी जाती हैं। अफगानिस्तान से आयात जिन पर कोई रोक नहीं थी २७, अक्तूबर १९५६ से आयात व्यापार नियंत्रण विनियमनों के अधीन लाये गये हैं।

लोक-प्रशासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

†**१२६८. श्री मैथ्यू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लोक-प्रशासन का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बढ़ाने की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार के पास उपरिलिखित विश्वविद्यालयों से इस विषय में एम० ए० की उपाधि लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसा विभाग है, जहां इस प्रकार के व्यक्तियों की सेवायें विशेषरूप से लाभदायक होंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राज्यपाल

†१२६९. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस मुख्य आधार पर, एक व्यक्ति राज्य के राज्यपाल पद के लिये उपयुक्त समझा जाता है; और

(ख) क्या राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली सिफारिशें मंत्रि-मण्डल के निर्णय पर आधारित होती हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है । मंत्रिमण्डल उस पर विचार नहीं करता है परन्तु प्रधान-मंत्री सिफारिश करते समय अपने साथियों तथा सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्री का परामर्श लते हैं । इसकी कसौटी यह होती है कि वह व्यक्ति राज्यपाल के कार्यों को योग्यता से निभा सके ।

वन-पदाधिकारी, त्रिपुरा

†१२७०. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी घरेलू खपत के लिये ईंधन तथा अन्य वन उत्पादों को एकत्रित करने के लिये जनता को अनुमति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में त्रिपुरा के वन कार्यालय के पदाधिकारियों के विरुद्ध १९५५ से अब तक सरकार को कितनी शिकायतें की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में आरोप सच्चे पाये गये; और

(ग) क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अब तक कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो क्या ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) एक ।

(ख) आरोपों की अभी जांच हो रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा का शुल्क

†१२७१. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्रशासन सेवा आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की फीस कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इस्पात कारखानों के पुनरीक्षित प्राक्कलन

†१२७२. **श्री कामत** :
डा० रामा राव :
श्री बोगावत :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के मूल प्राक्कलनों का कुछ दिन पूर्व पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) मूल प्राक्कलन ये थे :

रूरकेला इस्पात कारखाना	१२८ करोड़ रुपये
भिलाई इस्पात कारखाना	११५ करोड़ रुपये
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	११५ करोड़ रुपये

इन प्राक्कलनों में तीन उपनगरों, दो लौह-अयस्क खानों की लागत, परामर्शदाताओं को फीस तथा भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों का व्यय शामिल नहीं है। दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात कारखानों के प्राक्कलनों में मुख्य रूप से इसलिये वृद्धि हुई है कि जिन देशों से संयंत्र का आयात किया गया है उन देशों में श्रम तथा सामग्री का व्यय बढ़ गया है तथा भारत में इंजीनियरिंग कार्य की लागत बढ़ रही है, अब दुर्गापुर कारखाने पर सीमा शुल्क और आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त १३८ करोड़ रुपये तथा रूरकेला कारखाने पर लगभग १७० करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है। अब तक भिलाई कारखाने के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है परन्तु पुनरीक्षण होने पर इस की लागत बढ़ने का निश्चित कारण भारत में लागतों का बढ़ना होगा।

भारतीय भू-परिमाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†१२७३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में भारतीय भू-परिमाप के विभिन्न निदेशालयों (निदेशालय-वार) में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी स्थायी बना दिये गये ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १००]**

त्रिपुरा में सहायता कार्य

†१२७४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को अक्तूबर तथा नवम्बर, १९५६ में भारी तूफान से पीड़ित व्यक्तियों से अनुदान के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार को क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या के सम्बन्ध में कोई जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार क्षति तथा हानि की राशि की जांच करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। अक्तूबर तथा नवम्बर, १९५६ में त्रिपुरा में कोई तूफान नहीं आया था।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

"घर चुकती" की वसूली

†१२७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में 'घर चुकती' के बकाया की वसूली के लिये १९५६ में अब तक आदिम जाति झूमियों को कितने नोटिस दिये गये हैं;

(ख) अब तक कितने मामलों में इस बकाया धनराशि की वसूली हो चुकी है; और

(ग) कुल कितना धन बकाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) १,३७२।

(ख) २५१।

(ग) २,५४,१५६ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिपुरा में कोयले का सम्भरण

†१२७६. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कोयले के सम्भरण के लिये केवल एक कम्पनी को अनुज्ञप्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो एक कम्पनी को ऐसा एकाधिकार देने का क्या कारण है;

(ग) इस वर्ष कोयले के सम्भरण की अनुज्ञप्ति के लिये कितनी कम्पनियों अथवा व्यक्तियों ने आवेदनपत्र भेजा था;

(घ) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कोयले के मूल्य बहुत अधिक हैं;

(ङ) क्या कोयले के मूल्य कम करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। त्रिपुरा में कोयले के लिये अनुज्ञप्ति की पद्धति नहीं है। कोयले की मांग मुख्यत: अगरताला तक सीमित है, कोयले को खान से उठाने तथा उसको टैंडर द्वारा प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर बेचने के लिये एक अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है। दो अन्य सार्थों को केन्द्रीय-लोक-निर्माण विभाग के लिये कोयला लाने के अनुमति पत्र दिये गये हैं। त्रिपुरा चाय संस्था को भी अलग कोटा मिलता है तथा वह अपने अभिकर्त्ताओं के द्वारा उसको मंगाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) न्यूनतम दरों के टैंडरों के आधार पर कोयले के मूल्य निश्चित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप

१२७७. **श्री भगत दर्शन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ के वित्तीय वर्षों में भूतत्ववेत्ताओं ने उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में, अर्थात् अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून और टिहरी-गढ़वाल में किन-किन स्थानों का निरीक्षण किया;

(ख) उन स्थानों के खनिज निक्षेपों के बारे में भूतत्ववेत्ताओं ने किस आशय की रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ग) उन निक्षेपों की खुदाई आदि के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) १९५६-५७ के चालू वित्तीय वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी का विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०१]**

द्वितीय योजना में पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा

†१२७८. **श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बच्चों के लिये पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा की योजना स्वीकार की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई; और

(ग) अब तक राज्यों को कितनी-कितनी राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०२]**

पुलिस विभाग, मनीपुर

†**१२७९. श्री रिशाँग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के पुलिस विभाग का पुनर्गठन और विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार किस प्रकार का होगा; और

(ग) मनीपुर पुलिस विभाग में पदाधिकारियों के चुनाव अथवा पदोन्नति के लिये क्या प्रक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). मामले पर विचार किया जा रहा है ।

अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना

†**१२८०. श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ जुलाई, १९५४ को जब्त ७ मन ३६ सेर अफीम के लिये जौरा के तस्कर व्यापारी का अभियोजन समाप्त हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो अभियोग किस स्थिति में है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग लगाये गये थे तथा मुकदमा जिरह के लिये ३ जनवरी, १९५७ तक स्थगित कर दिया गया है ।

केरल राज्य

†**१२८१. श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, राष्ट्रपति के शासन में केरल राज्य की विधान-सभा के भूतपूर्व सदस्यों को प्रशासन से अच्छी तरह सम्बद्ध करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). केरल राज्य राष्ट्रपति के प्रशासनाधीन है तथा उस राज्य के प्रशासन से सम्बद्ध मामलों के लिये भारत सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी है । इस लिये संविधानिक रूप से यह उचित नहीं होगा कि इसके प्रशासन से अन्य व्यक्तियों को सम्बद्ध किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश राज्य की सेनाओं को पेंशन और पदक

१२८२. श्री रनदमन सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४८ में भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश राज्य की सेनाओं के पेंशन और पदक सम्बन्धी नियम असैनिक नियमों से पृथक् कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्त (रिटायर) होने के समय भारतीय राज्य की सेनाओं तथा अन्य यूनिटों के लिये समान पेंशनें और पदक स्वीकृत किये गये थे;

(ग) क्या सरकार को पता है कि तीन-चार वर्षों तक पेंशनें और पदक देने के बाद असैनिक नियम लागू किये गये थे, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय राज्य की सेनाओं तथा अन्य यूनिटों की पेंशनों और पदकों के बीच अन्तर पड़ गया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विन्ध्य प्रदेश के विलय के समय संविधान के अनुच्छेद २५९ के अधीन किये गये करार की शर्तों को नहीं मान रही है;

(ङ) क्या सरकार को भारतीय राज्य सेनाओं की यूनिटों के अलावा अन्य भूतपूर्व सैनिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विन्ध्य प्रदेश के 'ग' राज्य भाग बनने से पूर्व भारतीय राज्य सेनाओं के अलावा वे कर्मचारी, जो 'राज्य' से सम्बन्धित कार्य के लिये नियुक्त किये गये थे, २६ जनवरी, १९५० को विन्ध्य प्रदेश के 'ग' भाग राज्य बनने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माने गये । इसी के अनुसार विन्ध्य प्रदेश के पेंशन तथा ग्रैचुएटी (उपदान) नियम समाप्त हो गये और उन पर असैनिक सेवा नियम लागू किये गये ।

(घ) संविधान का अनच्छेद २५९ गैर-भारतीय राज्य सेना की यूनिटों पर लागू नहीं होता ।

(ङ) जी, हां ।

(च) ऊपर 'ग' पर दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए गैर भारतीय राज्य सेना क कर्मचारियों की वह प्रार्थना कि उन पर भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश के पेंशन तथा ग्रैचुएटी नियम लागू किये जायें, स्वीकार नहीं की जा सकी ।

टाइप की परीक्षा

†**१२८३. श्री भीखा भाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९५६ को या उससे पहले नियुक्त किये गये सभी लिपिकों को एक निर्धारित तिथि से पहले टाइप की परीक्षा पास कर लेनी होगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं;

उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्ति टाइपिंग परीक्षा पास न कर सके तो उन्हें निकाल दिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई रियायत, जैसे परीक्षा पास करने के लिये समय बढ़ाना, दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क), (घ) और (ङ). जी, हां। सभी लिपिकों को अपनी नियुक्ति की तिथि से छः महीने के अन्दर टाइप करने की एक आवश्यक रफ्तार प्राप्त करनी होती है जिसके प्राप्त न करने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों पर समय सीमा ३१-१२-५६ तक बढ़ा दी गयी है।

(ख) और (ग) : जानकारी इकट्ठी की जायेगी और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम

†**१२८४. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि जीवन बीमा निगम के पूर्वी खंड में गौहाटी डिवीजन के अधीन कुल कितनी शाखायें हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : जीवन बीमा निगम के गौहाटी डिवीजन के अधीन ६ शाखायें हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

†**१२८४-क. श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में लीवर ब्रादर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नाम बदल कर हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड रखा है;

(ख) उसमें कितनी प्रतिशत अंशपूंजी विदेशियों की है और कितनी भारतीयों की;

(ग) किन बातों के कारण सरकार ने उस समवाय को अपना नाम बदलने के लिये अनुमति दी ?

†**राजस्व और असनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) १ नवम्बर, १९५६ को जब कि समवाय ने अपना नाम हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड रखा, संपूर्ण पूंजी विदेशियों की थी। नवम्बर के अंत में समवाय ने १० प्रतिशत पूंजी भारतीय जनता को बेचने की घोषणा की।

(ग) चूंकि सम्बन्धित समवायों का ढांचा बदलने के लिये आवश्यक वैध औपचारिकताएं पूरी की गयी थीं, सरकार के पास नाम बदलने के लिये अनुमति देने का कोई कारण नहीं था।

भारत का राज्य बैंक

†**१२८७. श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध-संचालक को, जिन्होंने १ सितम्बर, १९५६ को त्यागपत्र दे दिया था सेवानिवृत्ति वेतन और उपदान मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की कितनी मात्रा है;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति वेतन और उपदान दिया जाना लागू संकल्प और नियमों के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) से (घ). संभवतः श्री एस० के० हंडू की ओर संकत है जो १ अक्तूबर, १९५६ से सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टी पर हैं। उसे १,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में।

मासिक सेवानिवृत्ति वेतन और २०० रुपये मासिक महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है जो राज्य बैंक नियमों के अधीन दिया जा सकता है। यह १२ जून, १९५८ से जो उसकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि है उसे दिया जायगा। भारत के राज्य बैंक अधिनियम की धारा ७ (५) के अधीन केन्द्रीय संचालक बोर्ड में निहित शक्तियों के अनुसरण में और राज्य बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पारित संकल्प तथा सेवानिवृत्त प्रबन्ध संचालकों के सम्बन्ध में इंपीरियल बैंक आफ इंडिया द्वारा अपनायी गयी प्रथा के अनुसार उसे २ लाख रुपये का उपदान भी मंजूर किया गया है। इस राशि पर सभी सामान्य कर लगेंगे।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ट्रक

†१२८८. **श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ट्रक देने के लिये प्रीमीयर आटोमोबाइल्स लिमिटेड को १९५४ या १९५५ में आर्डर दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या आर्डर पूरा किया गया था और ट्रक दी गयी थीं;

(घ) क्या ये मोटर गाड़ियां दोषपूर्ण पाई गयीं और उनमें पुराने या टांका लगे पुरजे थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) १९५४ या १९५५ में प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई को ट्रक देने के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया था।

(ख) से (ङ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी, लिमिटेड

†१२८९. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी लिमिटेड के मामलों की कोई जांच की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो वह जांच किस तरह की थी और जांच समिति में कौन-कौन थे;

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी, लिमिटेड के सम्बन्ध म, विशेष पुलिस विभाग (स्थापना) ने गबन और झूठा हिसाब-किताब रखने आदि के आरोपों का अनुसंधान करने के लिये तीन मामले दर्ज किये थे। और आगे दांडिक कार्यवाही के लिये उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त पायी जाने पर अनुसंधान तब से बंद कर दिया गया है। उपलब्ध सामग्री संयुक्त पूजी समवायों के पंजीयक, बम्बई को, अन्य उचित कार्यवाही के लिये दे दी गयी है। तीसरे मामले में अनुसन्धान करीब-करीब पूरा हो चुका है और उपलब्ध सामग्री की इस आशय से परीक्षा की जा रही है कि दांडिक अभियोग चलाना कहां तक संभव है।

कलकत्ता नशनल बैंक

†१२९०. **श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कलकत्ता नैशनल बैंक लिमिटेड (परिसमापन में) इस स्थिति में है कि वह अपने ऋण दाताओं को और आगे लाभांश दे सके; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) और (ख). भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ की धारा २३० के अधीन अधिमान्य ऋणदाताओं और बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४३क के अधीन बचत बैंक में जमा करनेवालों के लिये १०० प्रतिशत लाभांश पहले ही घोषित किया जा चुका है ।

साधारण ऋणदाताओं के लिये १० प्रतिशत की दर से पहला लाभांश पहले ही घोषित किया गया है । बैंक अभी और आगे लाभांश घोषित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अभी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है । बैंक की अधिकतर इमारतों की बिक्री से और कर्जदारों आदि के विरुद्ध डिग्री कार्यान्वित करा कर बैंक की आस्तियां शीघ्र प्राप्त करने के लिये न्यायालय परिसमापक ने कार्यवाही प्रारम्भ कर-दी है ।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी पदाधिकारियों की पदाली

†१२९१. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी पदाधिकारियों की कोई पदालि बनायी गई है;

(ख) उसके लिये कुल कितने पदाधिकारी चुने गये हैं; और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर कर्मचारी रखने की योजना की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०३]**

योजना कार्यान्वित की जा रही है । संग्रह अभी तक नहीं बनाया गया है ।

सरकारी धन का गबन

†१२९२. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस विभाग (स्थापना) और सजगना एककों ने सरकारी धन और भंडारों के गबन के कुल कितने मामले १ जुलाई, १९५६ से अब तक पकड़े हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों का अनुसंधान किया गया है; और

(ग) क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). १ जुलाई से १० दिसम्बर, १९५६ के बीच, सरकारी धन और भंडारों के कथित गबन के ५३ मामले पकड़े गये हैं । केवल ७ मामलों म अनुसंधान पूरे हो चुके हैं इनमें से २ मामले अभियोग के लिये भेजे गये हैं और एक मामले म, अभियोग के लिय विभागीय मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है । एक मामले की सूचना सम्बन्धित विभाग को संबन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये देदी गयी है; दो मामलों की कानूनी छान-बीन हो रही है और एक मामला साक्ष्य न मिलने के कारण समाप्त कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संघ लोक-सेवा आयोग

†१२९३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २,०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक काम निबटाने के लिये संघ लोक-सेवा आयोग को पूरी तरह सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) क्या भर्ती की प्रक्रिया सरल की गयी है या की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) सदस्यों के दो और पदों की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, आयोग के लिये निम्न अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये इस वर्ष में मंजूरी दी जा चुकी है :—

(१) **नियमित आधार पर**

अवर सचिव	२
अनुभाग पदाधिकारी	९
सहायक	९
उच्च श्रेणी लिपिक	७
निम्न श्रेणी लिपिक	२०
स्टेनो टाइपिस्ट	१
श्रेणी ४ के कर्मचारी	११

(२) **बकाया साफ करने के लिये**
(चार महीने के लिये)

अनुभाग पदाधिकारी	२
सहायक	६
उच्च श्रेणी लिपिक	४
निम्न श्रेणी लिपिक	१२
श्रेणी ४ के कर्मचारी	४

(३) **प्रयोगात्मक आधार पर**
(६ महीने के लिये)

कनिष्ठ गवेषणा पदाधिकारी	१
सहायक	१
उच्च श्रेणी लिपिक	१
श्रेणी ४ के कर्मचारी	१

(४) **भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशेष भर्ती के लिये** :

उप सचिव	१
अवर सचिव	२
अनुभाग पदाधिकारी	४
सहायक	२०

†मूल अंग्रेजी में ।

उच्च श्रेणी लिपिक	४
निम्न श्रेणी लिपिक	२२
टेक्नीकल सहायक	२
मेकैनिकल आपरेटर्स	३
आशुलिपिक	१
स्टेनोटाइपिस्ट	२
श्रेणी ४ के कर्मचारी	१५

(ख) और (ग). भर्ती की प्रक्रिया स्वतः आयोग अपने स्वविवेक से निर्धारित करता है। उसने यह सूचित किया है कि प्रक्रिया सरल बनाने और भर्ती में शीघ्रता करने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है।

आय-व्ययक का भेद खुल जाने का अभियोग

†१२९४. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ के आय-व्ययक प्रस्तावों का भेद खुल जाने के अभियोग में फंसे अभियुक्त को दण्ड देने के बारे में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अभियोग अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

भारतीय भू-परिमाप

†१२९५. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसके बारे में अब तक कोई निर्णय किया गया है कि भारतीय भू-परिमाप में कितने सैनिक पदाधिकारी रखे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जी, नहीं। विषय विचाराधीन है।

भिलाई का इस्पात कारखाना

†१२९६. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात परियोजना के लिये कोई प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कौन है और उसकी क्या अर्हतायें हैं; और

(ग) चुनाव की प्रणाली क्या थी ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†१२९७. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री १ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के इस्पात कारखाने के लिये प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति अब कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कौन है और उसकी अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) चुनाव की प्रणाली क्या थी ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सिहोर में भूकम्प के झटके

†१२९८. **श्री कामत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के सिहोर में भूकम्प के झटकों के कारणों का पता लगाने के लिये जो विशेषज्ञ वहां भेजा गया था उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है, वह सभा-पटल पर पहिले ही रखा जा चुका है ।

पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां

†१२९९. **डा० दो० रामचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों से छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिये इस वर्ष (१९५६–५७) में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये;

(ख) उनमें से ऐसे छात्र कितने हैं, जिन्हें पहले से छात्रवृत्तियां मिल रही हैं; और

(ग) इनमें से मद्रास राज्य के छात्रों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ३८,७०८ ।

(ख) तथा (ग). छात्रवृत्तियां देने के लिये उम्मीदवारों का चुनाव अभी नहीं किया गया है ।

संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा

†१३००. **सरदार अकरपुरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा किसी पद का विज्ञापन करने और उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा लेने में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये अत्यधिक विलम्ब से बुलाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय म मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). प्रत्येक भर्ती के मामले में अन्तिम रूप से निश्चय करने में लगने वाला समय मांगे गये पदों की संख्या, पद किस प्रकार के हैं, कुल कितने लोगों की भर्ती करनी है तथा एक निश्चित समय के अन्दर आयोग के पास अन्य कितना निलम्बित कार्य है, इन सब बातों पर निर्भर करता है । आयोग से मांगे गये पदों की संख्या और पद विशेष के लिये उम्मीदवारों से आयोग को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या सारे वर्ष एक सी नहीं रहती । वस्तुत: किन्हीं भी दो पदों की भर्ती बिल्कुल एक ढंग से नहीं की जाती और इस कारण प्रत्येक पद की भर्ती के लिये आयोग को औसत काल न देने से गड़बड़ी हो सकती है । सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि यदि आयोग सबसे अधिक पूर्ववर्तिता देने का निश्चय करता है तो मांग की जाने के लगभग तीन माम के भीतर ही भर्ती सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिया जाता है, बशर्ते पद अत्यधिक टेक्निकल ढंग के न हों और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हों । अन्य सारे मामलों में जिनमें आवेदन पत्रों की जांच करने तथा अन्य ऐसे कार्यों में, जिनके लिये आयोग उत्तरदायी हो जाता है जितना समय अनिवार्य रूप से लगना चाहिये, इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि भर्ती यथा सम्भव कम से कम समय के अन्दर कर ली जाये । हाल ही में आयोग में दो सदस्य बढ़ा देने तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये मंजूरी दे दी गई है । इससे आशा यह की जाती है कि भर्ती करने में अत्यधिक शीघ्रता होने लगेगी ।

गंधक

†**१३०१. श्री आ० चं० जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश के शांहडोल जिल अथवा अन्य जिलों में जो गंधक पाई गयी है उसमें या तो सुवण-माक्षीक अथवा जिप्सम जैसे पदार्थ मिले हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ऐसी गंधक का पता लगाया गया है;

(ग) इसके लाभप्रद ढंग से निकाले जाने की सम्भाव्यतायें क्या हैं; और

(घ) वहां से गंधक प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्वाचक नामावलियां

†**१३०२. श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री भारत के निर्वाचन आयोग क विधि मंत्रालय को लिखे गये उस पत्र के सम्बन्ध में जो तारांकित प्रश्न संख्या ९६० के उत्तर में ७ दिसम्बर, १९५६ को सभा-पटल पर रखा गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारी विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली कब तक दे सकेंगे ?

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : निर्वाचन आयोग ने राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि जन-प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी) नियम, १९५६ के नियम २४ के अधीन निर्वाचन-क्षेत्रों की नामावलियां तैयार होते ही उसकी प्रकाशित प्रतियां तत्काल प्रत्येक मान्यता प्राप्त दलों को दे दी जायें । प्रत्येक राज्य में यह नामावलियां कब उपलब्ध हो सकेंगी, यह बता सकना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जीपों का क्रय

†**१३०३. श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीपों की खरीद से सम्बन्धित प्रतिवादियों ने अपनी सफाई के ब्यान दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिकार खेलने पर प्रतिबन्ध

†**१३०४. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के बहुत से क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में वन्य-पशुओं का शिकार खेलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) वे विशिष्ट क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जिनमें वन्य-पशुओं का शिकार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ग) वन्य-पशुओं से आदिम जाति के लोगों की फसलों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्य-वाही करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). भारतीय वन अधिनियम के अधीन अक्तूबर, १९५५ में त्रिपुरा के रक्षित और संरक्षित वनों में शिकार खेलने, पशुओं के मारने और मछली का शिकार करने का विनियमन करने के लिये नियम बनाये गये थे ।

(ग) फसलों को हानि पहुंचाने वाले वन्य पशुओं को भगाने के लिये वनों में सशस्त्र गश्ती टुकड़ियां तैनात की गई हैं । जनता द्वारा इस कार्य के लिये बांस के राकेटों का प्रयोग करने की जांच की जा रही है जिसकी सिफारिश भारतीय वन्य-पशु बोर्ड ने की है ।

———

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४४५–६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९३	फलों से बनाई गई टाफियां ...	१४४५–४६
१३९४	अजंता में कलाशाला	१४४६–४७
१३९५	बीमा समवाय	१४४७
१३९६	नया तेल समवाय	१४४७–४८
१३९७	१८५७ में स्वतन्त्रता युद्ध का शताब्दी समारोह	१४४८–४९
१३९८	उत्तुंग गवेषणा संस्था (स्टेशन)	१४४९–५०
१३९९	आग्नेय अस्त्र	१४५०–५१
१४००	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वृद्ध निकेतन	१४५१–५२
१४०३	अंधों के लिये रोजगार	१४५२–५३
१४०६	'यूनेस्को' सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित समारोह	१४५३
१४०८	क्विलोन पर सशस्त्र आक्रमण की खुली जांच	१४५४–५५
१४११	यूनेस्को का तकनीकी शिष्टमंडल	१४५५–५६
१४०७	नई दिल्ली में 'यूनेस्को' सम्मेलन	१४५६–५८
१४१३	खंडीय परिषदें	१४५८–५९
१४१४	वनस्पति घी को रंग देना ...	१४५९–६०
१४१६	आयकर विभाग.	१४६०–६२
१४१८	रीवा राज्य के महाराजा ...	१४६२
१४२०	प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी	१४६३
१४२०-क	बोनस अंश	१४६३–६४
१४२१	यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्था	१४६४
१४२४	शुद्ध मैंगानीज का निर्माण	१४६४–६५
१४२५	बुद्ध परिनिर्वाण-जयन्ती समारोह	१४६५–६६
१४२६	धौलपुर जांच समिति की रिपोर्ट ...	१४६६–६७
१४२९	सामान्य निर्वाचन ...	१४६७–६८
१४३३	सामान्य निर्वाचन	१४६८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	१४६९–१५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४०१	हिमाचल प्रदेश में सिरमूरीताल का जमीन में धंसना	१४६९
१४०२	त्रिसूली जलविद्युत् परियोजना, नेपाल	१४६९
१४०४	उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिये प्रतिबिम्बक	१४६९
१४०९	आदिम जाति कल्याण योजनायें	१४७०
१४१०	भारतीय लिपियों के टाइपराइटर	१४७०
१४१२	मनीपुर के लिये पुलिस पदाधिकारी	१४७०
१४१५	भारत का राज्य बैंक	१४७०–७१
१४१७	सोदपुर ग्लास वर्क्स लि० ...	१४७१
१४१९	नियोगी जांच समिति का प्रतिवेदन	१४७१–७२
१४२२	विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी	१४७२
१४२३	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास	१४७२
१४२४	अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विकास खंड	१४७२–७३
१४२७	डा० हरालू	१४७३
१४२८	बैंक आफ बाघेलखंड	१४७३–७४
१४३०	अन्डमान और निकोबार द्वीप	१४७४
१४३१	अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां ·	१४७४
१४३२	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी	१४७४–७५
१११६	एवरेस्ट की चोटी और अमने माचिन की ऊंजाई	१४७५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२१५	नृत्य, संगीत तथा नाटक समारोह	१४७५
१२१६	शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा	१४७५
१२१७	संग्रहालय पुनर्विलोकन समितियां	१४७६
१२१८	प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा	१४७६
१२१९	खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण	१४७६
१२२०	चांदी	१४७७
१२२१	विधवाओं को पेंशन	१४७७
१२२२	पेंशनों के विचाराधीन मामले ...	१४७७–७८
१२२३	राजनैतिक पेंशन	१४७८
१२२४	वेतन में अन्तर	१४७८
१२२५	बाढ़ पीड़ितों को ऋण	१४७८–७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२२५-क	कमलपुर के सरकारी कर्मचारी	१४७९
१२२६	विश्वविद्यालय	१४७९
१२२७	भारतीय भू-परिमाप कर्मचारियों के लिये छुट्टी के नियम ...	१४८०
१२२८	त्रिपुरा में हाई स्कूल आदिम जाति बोर्डिंग हाउस	१४८०
१२२९	मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय	१४८०
१२३०	कर्मचारियों की तरक्की	१४८०–८१
१२३१	लोक सहायक सेना ...	१४८१
१२३२	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक	१४८१
१२३३	छावनी बोर्ड	१४८१–८२
१२३४	हिन्दी अध्यापक	१४८२
१२३५	समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध	१४८२
१२३६	खनिज सर्वेक्षण	१४८२–८३
१२३७	भूतपूर्व सैनिक कालोनी, अफजलगढ़ ...	१४८३
१२३८	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का नियतन	१४८३
१२३९	मैसूर में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	१४८४
१२४०	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	१४८४
१२४१	होशियारपुर में कल्याण विस्तार परियोजना	१४८४
१२४२	पुलिस द्वारा भीड़ का संम्भाला जाना ...	१४८५
१२४३	दया याचिकायें	१४८५
१२४४	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१४८५
१२४५	भाग 'ग' राज्यों में दंगे	१४८५
१२४६	बंदूकों का आयात	१४८६
१२४७	बहुप्रयोजनीय स्कूल ...	१४८६
१२४८	अन्डमान और निकोबार द्वीपों की शैक्षणिक नीति	१४८६
१२४९	पश्चिम जर्मनी के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध	१४८६
१२५०	डिफेन्स कालोनी ...	१४८६
१२५१	दिल्ली में अ-मादक पेयों की बिक्री ...	१४८६–८७
१२५२	भारत में विदेशी गैर-सरकारी निगमित सार्थ	१४८७
१२५३	दिल्ली पुलिस ...	१४८७
१२५४	कालकोठरी दुर्घटना ...	१४८७

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर---[क्रमशः]

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२५५	विदेशी आस्तियां ...	१४८८
१२५६	डाकुओं का आतंक	१४८८
१२५७	गवेषणा कार्य के लिये अनुदान	१४८८
१२५८	केरल में पुलिस यातना ...	१४८९
१२५९	केरल में स्कूल शिक्षा के अन्तिम परीक्षा के केन्द्र	१४८९
१२६०	आदिम जाति क्षेत्रों का मानचित्र	१४८९
१२६१	मनीपुर में गैर-सरकारी स्कूल	१४९०
१२६२	पूर्निया में आयकर कर्मचारी	१४९०
१२६३	पूर्निया में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कर्मचारी ..	१४९१
१२६४	चोरी छिपे माल लाना ले जाना	१४९१
१२६५	आदिम जाति लोगों द्वारा मकान कर का भुगतान	१४९१–९२
१२६६	मंत्रालयों की पत्रिकायें	१४९२
१२६७	भारतीय मुद्रा	१४९२
१२६८	लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	१४९२
१२६९	राज्यपाल	१४९३
१२७०	वन पदाधिकारी, त्रिपुरा	१४९३
१२७१	भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा का शुल्क	१४९३
१२७२	इस्पात कारखानों में पुनरीक्षित प्राक्कलन	१४९३–९४
१२७३	भारतीय भू-परिमाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	१४९४
१२७४	त्रिपुरा में सहायता कार्य	१४९४
१२७५	"घर्-चुकती" की वसूली ...	१४९४
१२७६	त्रिपुरा में कोयले का सम्भरण	१४९५
१२७७	उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप	१४९५
१२७८	द्वितीय योजना में पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा	१४९५–९६
१२७९	पुलिस विभाग, मनीपुर	१४९६
१२८०	अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना	१४९६
१२८१	केरल राज्य ...	१४९६
१२८२	भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश राज्य की सेनाओं को पेंशन और पदक	१४९७
१२८३	टाइप की परीक्षा	१४९७–९८
१२८४	जीवन बीमा निगम ...	१४९८
१२८४-क	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ..	१४९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२८७	भारत का राज्य बैंक	१४६८–६६
१२८८	प्रतिरक्षा कार्यों के लिये ट्रक	१४६६
१२८६	इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी, लिमिटेड	१४६६
१२६०	कलकत्ता नैशनल बैंक	१४६६–१५००
१२६१	आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी पदाधिकारियों की पदाली	१५००
१२६२	सरकारी धन का गबन	१५००
१२६३	संघ लोक-सेवा आयोग	१५०१–०२
१२६४	आयव्ययक का भेद खुल जाने का अभियोग	१५०२
१२६५	भारतीय भू-परिमाप	१५०२
१२६६	भिलाई का इस्पात कारखाना	१५०२
१२६७	रूरकेला इस्पात कारखाना	१५०३
१२६८	सिहोर में भूकम्प के झटके	१५०३
१२६६	पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां ...	१५०३
१३००	संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा	१५०३–०४
१३०१	गंधक	१५०४
१३०२	निर्वाचक नामावलियां	१५०४
१३०३	जीपों का क्रय	१५०५
१३०४	शिकार खेलने पर प्रतिबन्ध	१५०५

M27LSD—17-2-58—190—GIPF

गुरूवार ,२० दिसंबर १९५६

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

५ दिसम्बर

(~~[illegible]~~ से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुर:स्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, २०, दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२·०६ म० पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सीमा से संलग्न गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण तथा मत्स्य पालन के विनियमन के भारतीय अधिकार के बारे में उद्घोषणा

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री ज० ना० हजारिका)** : श्री अनिल कु० चन्दा की ओर से, मैं एस० आर० ओ० संख्या २८७६ दिनांक २९ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारतीय सीमा से संलग्न गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण तथा मत्स्य पालन के विनियमन के भारतीय अधिकारों के बारे में है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५९४/५६**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की कार्यवाही का सारांश

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस– मध्य) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र के दौरान हुई बैठकों (सतासठवीं से बहत्तरवीं) की कार्यवाही के सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९५६

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५९६/५६**]

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : यह आदेश गजट में कब निकलेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : गजट में अधिसूचना शीघ्र ही निकलेगी । इस मामले में सभी लोगों की रुचि है । इस कारण मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि वे शीघ्र ही इसे गजट में छपवा कर सदस्यों के लिये उपलब्ध करायें ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : अच्छा श्रीमान् ।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्न संदेश मिले हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५६ को पारित युवक व्यक्ति (हानिकारक प्रकाशन) विधेयक से राज्य-सभा अपनी १७ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि लोक-सभा द्वारा ३० नवम्बर, १९५६ को पारित लड़कियों तथा स्त्रियों का अनैतिक पण्य विधेयक, १९५६ से राज्य-सभा अपनी १८ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(३) कि मुझे राज्य-सभा द्वारा १८ दिसम्बर, १९५६ को पारित दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) विधेयक, १९५६ की एक प्रति भेजने का आदेश मिला है ।

(४) कि मुझे राज्य-सभा द्वारा १८ दिसम्बर, १९५६ को पारित गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक, १९५६ की एक प्रति भेजने का आदेश मिला है ।

(५) कि मुझे राज्य-सभा द्वारा १९ दिसम्बर, १९५६ को पारित दिल्ली किरायेदार (अस्थायी सुरक्षा) विधेयक, १९५६ की एक प्रति भेजने का आदेश मिला है ।

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) विधेयक जारी रखना, गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक तथा दिल्ली किरायेदार (अस्थाई सुरक्षा) विधेयक

सचिव: श्रीमान्, मैं राज्य-सभा द्वारा पारित निम्न विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक, १९५६ ।

(२) गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक, १९५६ ।

(३) दिल्ली किरायेदार (अस्थायी सुरक्षा) विधेयक, १९५६ ।

याचिका समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री प० सुब्बा राव** (नौरंगपुर) : मैं याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं चाहता हूं कि माननीय संसद कार्य मंत्री एक बात पर ध्यान दें। यदि प्रश्नों का उत्तर कोई अन्य मंत्री या उपमंत्री दें तो सम्बद्ध मंत्री अध्यक्ष को पहले सूचना दे दें कि उन्होंने अमुक मंत्री को अधिकृत किया है। इससे आसानी रहेगी।

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ, के बारे में वक्तव्य

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** श्री राम नगीना सिंह के ८ दिसम्बर, १९५६ के स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो बुद्ध जयन्ती समिति, वाराणसी का महाबोधी संस्था द्वारा बहिष्कार करने के बारे में था—मैं ने और जांच कराई है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से प्राप्त प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०४]**। संक्षेप से मैं यह कहना चाहता हूं कि बुद्ध जयन्ती समिति नाम की कोई समिति नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभागीय पदाधिकारी वाराणसी डिवीजन के आयुक्त की अध्यक्षता में प्रति मास यह जरूर विचार करते हैं कि उस अवधि में काम में कितनी प्रगति हुई है और यह भी देखते हैं कि सारनाथ आने वाले यात्रियों की सुविधा के क्या प्रबन्ध हुए हैं। महाबोधी संस्था का सचिव भी इस बैठक में बुला लिया जाता है और लगभग वह सभी बैठकों में उपस्थित था। केवल दो या तीन बैठकों में वह नहीं आया और न ही वह ४-१२-१९५६ की हुई अन्तिम बैठक में उपस्थित था। हमें कोई पता नहीं है कि महाबोधी संस्था के भिक्षुओं ने इसका बहिष्कार कर दिया है। हमारे पास महाबोधी संस्था के सचिव की ओर से कोई ज़बानी या लिखित जानकारी नहीं आई कि वह किसी विशेष बात के कारण उन बैठकों में नहीं जा रहा।

१७, १८ तथा १९ नवम्बर, १९५६ को महाबोधी संस्था ने जो उत्सव किया था उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था। महाबोधी संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सहयोग नहीं मांगा किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों ने तीनों दिन उत्सव में भाग लिया और जैसे-जैसे महाबोधी संस्था के सचिव ने उन्हें कहा वैसे ही उन्होंने प्रबन्ध किये।

हाल ही में महाबोधी संस्था ने मुलगंढ कुटी बिहार के बाहर ग्रासागन में श्री अंगरीक धर्म पाल की एक मूर्ति लगाई है। उस विशेष स्थान पर वह मूर्ति अच्छी नहीं अगती और भवन के सौंदर्य को कम करती है—इस कारण एक बार महावोधी संस्था के सचिव को अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया गया था कि मूर्ति को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिये और इस सुझाव पर उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय कभी नहीं किया गया कि संस्था की इच्छा के बिना मूर्ति को वहां से हटाया जाये और यह खबर कि उत्तर प्रदेश सरकार आपत्ति कर रही है और भिक्षुओं से बुरा व्यवहार कर रही है, बिल्कुल गलत है।

यह आरोप भी गलत है कि कालेज के भवन को बौद्ध कला प्रदर्शनी के लिये लिया जा रहा है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, उस दिन आपने यह हिदायत दी थी कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर माननीय मंत्री वक्तव्य दें। हम सब लोग यही चाहते हैं कि आपके निदेशों का पालन हो। माननीय मंत्री यह बतायें कि उन्होंने सभा-पटल पर पत्र रखने में क्यों एक सप्ताह से अधिक समय लिया। उन्होंने १२ दिन लगाये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने कुछ समय और मांगा था और मैंने उन्हें अनुमति दे दी थी।

†मूल अंग्रेजी में।

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ दिसम्बर, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : क्या बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक इसी सत्र में लिया जायेगा ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : यह आज ही कार्य समाप्त होने के बाद लिया जायेगा ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : क्या प्रैस परिषद् विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में नहीं लिया जायेगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : संसद् को इसके बारे में पता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ दिसम्बर, १९५६ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक सम्बन्धी विचार प्रस्ताव पर चर्चा करेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयन्कील) : कल मैं यह बता रहा था कि वित्त आयोग की अस्थायी सिफारिशों से किस प्रकार विभिन्न राज्यों से न्याय नहीं होता । मैंने अपने राज्य के बारे में कल कुछ आंकड़े दिये थे जिनसे स्पष्ट था कि उन्होंने सारी बातों पर विचार नहीं किया । कुल रकम १८·२ करोड़ रुपये बांटी जायेगी । यदि १ प्रतिशत भी बढ़े तो भी ठीक मामला हो जाये ।

यह ठीक है कि यह कहा जा रहा है कि यह प्रतिवेदन अस्थायी है । किन्तु मैं ने देखा है कि सामान्यतया ऐसे प्रतिवेदनों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता । जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है उस बारे में यह बड़ी गम्भीर बात है । संघीय वित्त एकीकरण के बाद जो राजस्व पहले हमारे राज्य के पास थे वे अब नहीं हैं । त्रावनकोर राज्य नियम पुस्तिका के अनुसार तीस वर्ष पूर्व प्रति व्यक्ति व्यापार ५३ रुपये तक का था किन्तु अब केवल ३० रुपये तक है । यह भी बात नहीं थी कि हमारी रियासत भारत सरकार से पृथक उत्पादन शुल्क लगाती थी । इस सम्बन्ध में भी समझौता हुआ था । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे राज्य में उत्पादन शुल्क की दरें बहुत अधिक थीं ।

हाल ही में हमारे राज्य ने सब से पहल भूमि कर लगाया है । यह इस कारण किया गया है क्यों कि दूसरे संसाधन घाटा पूरा करने क लिये काफ़ी नहीं थे ।

उन सिफारिशों से मेरे राज्य स न्याय नहीं हुआ । चार राज्यों को पटसन के बदले हिस्सा दिया गया है । मैं समझता हूं कि पटसन पर बहुत कम निर्यात शुल्क लगाया जाता है । किन्तु एक वस्तु

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जिससे राजस्व पहले राज्य सरकार को मिलता था उसका राजस्व अब भारत सरकार लेती है। काली मिर्च का निर्यात शुल्क १९५४–५५ में १३६ लाख रुपये था और १९५५–५६ में १५१ लाख रुपये।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यहां वित्तीय मामलों को कौन सुन रहा है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : श्री गुह हैं।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लिपि) : वह छुपे बैठे हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि यद्यपि त्रावनकोर-कोचीन सरकार लाखों रुपये का कर उगाह कर केन्द्र को दे देती है किन्तु निर्यात राजस्व के बदले में कुछ नहीं मिलता अपितु ४५ लाख रुपये के बदले हमें केवल ४१ लाख रुपये दिये जा रहे हैं।

इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिये हमारा जो दावा है वह बिल्कुल उचित है क्योंकि आपको विदित ही है कि केरल राज्य के समक्ष कई समस्यायें हैं और केन्द्र का योगदान अधिक होना चाहिये।

मैंने प्रतिवेदन को पढ़ा है और मेरा ख्याल है वह किसी समन्याय विचार पर आधारित नहीं है। जिन चीज़ों का मैंने उल्लेख किया है उनकी निकासी के बारे में प्रत्येक राज्य के आंकड़े तो मुझे नहीं मिल सके किन्तु मैं यह देखता हूं कि पंजाब को ४·६ प्रतिशत राशि प्राप्त होती है। जिन मदों पर यह प्रतिशतता दी जायेगी वे तम्बाकू, वनस्पति-जन्म वस्तुएं और दियासलाई हैं। श्रीमान् आप जानते होंगे कि ४० प्रतिशत से अधिक पंजाबियों के लिये तम्बाकू निषिद्ध है।

†**श्री ठेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि पंजाबी धूम्रपान नहीं करते।

आप जानते ही हैं कि पंजाब में काफी लोग धूम्रपान नहीं करते और वहां वनस्पति तेल का प्रयोग भी बहुत कम होता है। धूम्रपान कम होने के कारण माचिस की खपत भी वहां कम है। यदि इन बातों को देखते हुए विचार किया जाये तो मेरा निवेदन है कि हमारा दावा पंजाब से अधिक है। इसलिये वितरण के बारे में केवल प्रति व्यक्ति उपभोग[1] पर ही नहीं अपितु सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें। केरल के समक्ष कई समस्यायें हैं और उसमें मलाबार जैसा अविकसित ज़िला जोड़ दिया गया है और केन्द्रीय सरकार, राज्य को निर्यात तथा अन्य करों के रूप में प्राप्त होने वाली सभी संभव राशि देती रही है। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह इन सब बातों पर पुनः विचार करके केरल राज्य को यथासंभव अधिक प्रतिशत राशि प्रदान करें। मैं उनसे यह अनुरोध भी करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में प्रतिज्ञा करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के लिये केवल ४५ मिनट बचे हैं। माननीय मंत्री को कितना समय लगेगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मेरे लिये दस मिनट का समय पर्याप्त होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंडों पर भी चर्चा संभवतः होगी किन्तु मेरा खयाल है कि कोई संशोधन नहीं हैं। मैं देखता हूं कि वाद-विवाद में दो-तीन सदस्य ही भाग लेना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य दस से लेकर पन्द्रह मिनट तक बोल सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] *Per Capita* Consumption.

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य श्री वें० प० नायर ने जो तर्क प्रस्तुत किये, उन पर विचार किया जाना चाहिये किन्तु मेरा ख्याल है कि किसी राज्य-विशिष्ट के अधिकार अथवा उनकी समस्याओं के बारे में कहने के लिये यह उचित अवसर नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद २७५ के अनुसार संसद् को राज्यों को भारत की संचित निधि[1] से सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि नियत करनी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई विधान पारित करने पर सरकार की स्थिति क्या होगी और क्या इस प्रकार का कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का इरादा नहीं है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आय-कर के विभाजन के बारे में वित्त आयोग की जो अन्तरिम सिफारिशें हैं उनके बारे में सरकार क्या करने वाली है ?

श्री व० प० नायर ने इस बात का उल्लेख किया कि केरल को केवल ४१ लाख रुपये का अनुदान प्राप्त है जबकि पहले के वित्त आयोग ने ४५ लाख रुपये देने की सिफारिश की थी। मेरा ख्याल है कि उनके ध्यान में यह बात नहीं आई कि ४१ लाख रुपये के अनुदान के बावजूद भी केरल की यथापूर्व स्थिति[2] में कोई अन्तर नहीं आया है। इसका कारण यह है कि पहले जो अनुदान दिया गया था वह त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये था और अब इस राज्य के कुछ भाग को मद्रास में मिला दिया गया है। फलतः ४५ लाख रुपये के इस अनुदान में से कुछ भाग मद्रास राज्य को प्राप्त होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन मद्रास को कोई अनुदान प्रदत्त न था और इस कारण केरल राज्य को, हाल में उसमें मिलाये गये भाग के लिये कोई अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अनुच्छेद २७५ के अधीन अन्तिम सिफारिश करते समय वित्त आयोग इन बातों पर विचार करेगा।

इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में मेरा निवेदन है कि यह विधेयक अनुच्छेद २७२ के अधीन है तथा इस अनुछेद के अधीन संघ द्वारा जो कर उद्गृहीत और संगृहीत किये जाते हैं उनके राज्यों के बीच वितरित किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस समय स्थिति यह है कि केवल दियासलाई, वनस्पति तेल और तम्बाकू से प्राप्त होने वाले उत्पादन शुल्क की राशि का ४० प्रतिशत भाग ही राज्यों के बीच वितरित किया जाता है और वह भी जन-संख्या के आधार पर। सरकार ने केवल इन तीन वस्तुओं को ही क्यों चुना, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस अनुच्छेद के अधीन कोई २२ या २३ वस्तुएं आती हैं और मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं कि राज्यों को दी जाने वाली राशि केवल उक्त तीन वस्तुओं से प्राप्त उत्पादन शुल्क तक ही सीमित न रहे।

जहां तक योजना और राज्यों का सम्बन्ध है, राज्यों को केन्द्र द्वारा कई प्रकार की सहायता दी जाती है। राज्यों का ऐसी सहायता पर अधिकांशतः निर्भर रहना ठीक नहीं है और उन्हें यथासंभव प्रत्येक वर्ष किये गये विशिष्ट आवंटन पर निर्भर रहना चाहिये। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि राज्यों के लिये आय का निश्चित साधन होना चाहिये और यदि सभी वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राशि का ४० प्रतिशत भाग राज्यों के बीच वितरित किया जाये तो वे किसी हद तक स्वावलम्बी बन सकेंगे।

मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। उत्पादन-शुल्क का केवल ४० प्रतिशत भाग राज्यों के बीच आवंटित किया जा रहा है। आय-कर के बारे में दो कसौटियां—(१) जनसंख्या का आधार और (२) संग्रह का आधार, अपनाई जा रही हैं और कई राज्यों ने इस सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Consolidated Fund.

[2] Status quo.

अपने सुझाव दिये हैं। मैं इतना ही सुझाव देना चाहता हूं कि राज्यों को जो ४० प्रतिशत भाग दिया जाता है वह ६० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये ताकि राज्यों को आवश्यक संसाधन प्राप्त हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**कुमारी एनी मैस्करीन :** अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि केन्द्र द्वारा जिस विहित आधार पर राज्यों को अनुदान दिया जाना है वह केवल दियासलाई, तम्बाकू और वनस्पति-जन्म वस्तुओं से प्राप्त उत्पादन-शुल्क पर निर्भर करता है और मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आय का यह साधन, व्यापार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, निश्चित समझा जा सकता है ? दूसरे, केरल राज्य को केवल ३·८६ प्रतिशत भाग दिया जायेगा और मेरा ख्याल है कि यह अत्यल्प है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि अगले वर्ष में वित्त के बारे में केरल राज्य की क्या स्थिति है ? मेरा उनसे अनुरोध है कि वह हमें केन्द्र से आय का कोई उचित साधन उपलब्ध करा दें ताकि हम विकास सम्बन्धी समस्याओं का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : वित्त आयोग ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और हमारा गत अनुभव यह है कि इस प्रकार की सिफारिशें बाद में अन्तिम सिफारिशें बन जाती हैं। राज्यों के बीच उत्पादन शुल्क के वितरण के लिये जनसंख्या को आधार माना गया है किन्तु मेरा निवेदन है कि यह वितरण प्रत्येक राज्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाये। जहां तक इस दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, आप यह देखेंगे कि पश्चिमी बंगाल को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि जनसंख्या को आधार मानने के स्थान पर राज्यों की समस्याओं को आधार मानकर राशि का वितरण किया जाये। इस प्रकार आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल को अधिक राशि दी जानी चाहिये। इसीलिये मेरा सुझाव यह है कि अभी जो निश्चित प्रणाली है वह परिवर्तनशील होनी चाहिये। जिस माननीय सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और उन्हें अपने राज्य की समस्याओं की अच्छी जानकारी भी है। इसलिये, मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर वह सावधानी और सहानुभूति से विचार करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : माननीय सदस्य श्री मैत्र की तरह मैं भी यह निवेदन करता हूं कि उत्पादन-शुल्क या अन्य करों के वितरण के लिये कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया जाये।

वितरण के आधार के बारे में काफी कुछ कहा गया है और आधार चाहे जो भी रहे, वह ऐसा न हो कि उसमें आवश्यकतानुसार कोई परिवर्तन ही न किया जा सके।

प्रत्यक राज्य की अपनी-अपनी विशिष्ट समस्यायें होती हैं और जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, मैं श्री मैत्र द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। पश्चिम बंगाल के समक्ष पुनर्वास, शिक्षितों की बेकारी और कृषि-भूमि से प्राप्त आय का अभाव जैसी समस्यायें हैं। पश्चिमी बंगाल घना बसा हुआ है और विभाजन के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। राज्यों को उत्पादन शुल्क से प्राप्त राशि आवंटित करते समय जनसंख्या पर नहीं वरन् उक्त समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये था। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पश्चिमी बंगाल को जो राशि आवंटित की गई है वह बढ़ा दी जाये। यदि ४० प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत राशि वितरित की जाये तो प्रत्येक राज्य लाभान्वित होगा और देश की जनता इन समस्याओं का सामना पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं कि पश्चिम बंगाल के लिये जो आवंटन किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिये अधिक निधियों की आवश्यकता है, क्योंकि नौ वर्ष पहले विभाजन के बाद इस राज्य के राजकोष में लगभग बिल्कुल ही कोई निधियां नहीं थीं। जब आयोग पश्चिम बंगाल के लिये आवंटन के प्रश्न पर अन्तिम विचार करे तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं समझता हूं कि इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है उन्होंने जान-बूझ कर इस विधेयक विशेष के एक सीमित प्रकार के विधेयक होने के तथ्य की उपेक्षा कर दी है। वे अपने-अपने राज्यों की ओर से दावे प्रस्तुत करने के लिये चिन्तित हैं, यह तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन, यदि वे सभा-पटल पर रखे गये अन्तर्कालीन प्रतिवेदन को देखें, तो उसमें आयोग ने निश्चित रूप से उल्लेख किया है कि उसने अधिकांश राज्यों के साथ इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है। उसने केवल तीन या चार राज्यों के साथ ही इस मामले पर चर्चा की है, और उसने बार-बार कहा है कि यह केवल एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन ही है, जिसे अन्तिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार से सूचक नहीं मान लेना चाहिये।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तांतरण) अधिनियम को पारित करने और राज्यों की सूची में जम्मू तथा काश्मीर के सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप, जिससे कि उस राज्य को भी इस शुल्क का एक अंश मिलेगा, आयोग के लिये एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था। इसीलिये, यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक समूचे प्रतिवेदन की कार्यान्विति के लिये नहीं है। यह तो उसके केवल एक छोटे से भाग को ही कार्यान्वित करता है, अर्थात् केवल तीन वस्तुओं सम्बन्धी उत्पादन-शुल्कों का आवंटन करता है।

श्री वें० प० नायर ने केरल के सम्बन्ध में कई बातें कही हैं। मुझे केरल के साथ पूरी सहानुभूति है; लेकिन साथ ही मैं उनसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कुछ उपबन्धों की ओर ध्यान देने के लिये भी कहता हूं, विशेषकर उन उपबन्धों की ओर जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई कमी पड़ेगी तो केरल राज्य की क्षति पूर्ति की जायेगी। इस अधिनियम की धारा ७४ (२) (ख) में यह व्यवस्था की गई है कि केरल राज्य को आय कर के और संघ उत्पादन शुल्क सम्बन्धी उसके अंश के दिये जाने के बाद २३२·३८ लाख रुपयों से जितना अन्तर रह जायेगा, उसका भुगतान किया जायेगा। यह उपबन्ध १९५७–५८ से लेकर तीन वर्षों तक त्रावनकोर-कोचीन, सौराष्ट्र और मैसूर–तीन राज्यों के राजस्व में पड़ने वाली कमी की अदायगी को भी स्थायी बना देता है। इसलिये स्पष्ट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम में केरल राज्य के बारे में यथेष्ट सावधानी रखी गई है। पिछले पंचाट के अन्तर्गत, केरल का अंश २·६८ प्रतिशत था, और मेरा विचार है कि उसे बढ़ा कर ३·८६ प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान आवंटन में कुछ वृद्धि की गई है, लेकिन इस पर भी, मैं समझ सकता हूं कि, केरल और पश्चिम बंगाल के पक्ष में कई बातें कही जा सकती हैं।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पुनः आवंटन करने की आवश्यकता इसीलिये पड़ी है कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया है और आवंटित की जाने वाली निधियों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य भी एक भागीदार बन गया है। अन्यथा, इस अन्तर्कालीन प्रतिवेदन या राजस्व के किसी भी नये आवंटन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

श्री थामस ने आय-कर और सहायता अनुदान की व्यवस्था का उल्लेख किया है। उन्हें संविधान के संगत अनुच्छेदों को देखना चाहिये। उसमें अनुच्छेद २७२ के अन्तर्गत उपबन्धित है कि आय-कर के

†मूल अंग्रेजी में।

आवंटन के लिये राष्ट्रपति का आदेश ही पर्याप्त होगा और मैं नहीं समझता कि उन्हें इस बारे में कोई चिन्ता करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति का आदेश समय पर जारी नहीं होगा। हम इस विधेयक को पारित करने के लिये उत्सुक हैं, जिससे कि केन्द्र और विभिन्न राज्यों के आय-व्ययकों सम्बन्धी काम तुलनात्मक सरल बनाया जा सके। आय-कर राजस्व के आवंटन के लिये भी आवश्यक आदेश ठीक समय पर जारी कर दिये जायेंगे। यदि इस वर्तमान विधेयक में कोई चीज छूट गई है, तो संविधान में सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में भी यथेष्ट व्यवस्था मौजूद है।

†**श्री अ० म० थामस :** अनुच्छेद २७२ में कहा गया है, "संसद् विधि द्वारा व्यवस्था करेगी..," इत्यादि। इसका तत्सम्बन्धी अधिनियम कहां है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** अनुच्छेद २७५ (२) के अन्तर्गत, ऐसा कोई अधिनियम पारित होने के समय तक संसद् का प्राधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त रहता है।

पश्चिम बंगाल की ओर से कुछ दावे, विशेषकर जूट के बारे में, प्रस्तुत किये गये हैं। मैं समझता हूं कि जूट के सम्बन्ध में भी आवंटन को ५० लाख से बढ़ा कर ५२·६९ लाख रूपये कर दिया गया है। उसमें लगभग २·७० लाख रुपयों की वृद्धि कर दी गई है।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अच्छा यही होगा कि माननीय सदस्य अपने-अपने सम्बन्धित राज्यों से अपने दावों को वित्त आयोग के सामने रखने के लिये कहें। उन्हें यह नहीं मान बैठना चाहिये कि आयोग के अन्तिम पंचाट में केवल अन्तर्कालीन प्रतिवेदन को ही स्वीकार कर लिया जायेगा। आयोग ने यह बार-बार, कम से कम दो बार, कहा है कि इस अन्तर्कालीन प्रतिवेदन को अन्तिम प्रतिवेदन के रूप का सूचक नहीं मान लेना चाहिये।

आशा है कि यह विधेयक पारित कर दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करन वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २

(नयी धारा ३क की निविष्टि)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये !"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रादेशिक परिषद् विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि कुछ संघ प्रदेशों में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

यह विधेयक इस सभा द्वारा एक मोटे तौर पर किये गये निर्णयों को ही एक ठोस तथा निश्चित रूप तथा आकार देना चाहता है । राज्य पुनर्गठन विधेयक से सम्बन्धित चर्चा के समय, मैंने इसकी महत्वपूर्ण बातों को बताया था । यह वास्तव में पुनर्गठन की योजना का ही एक अविभाज्य अंग है । मैंने ४ सितम्बर को कहा था कि दिल्ली में एक निगम की स्थापना की जायेगी और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना की जायेगी । सामान्यतया तो यह विधेयक संसद् के सामने इतना शीघ्र प्रस्तुत नहीं किया जाता । इसे कुछ समय पश्चात् ही प्रस्तुत किया जाता ह । लेकिन, मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों के विचारों का ध्यान रखकर, और इन क्षेत्रों से लोक-सभा के लिये खड़े होने वाले संभावित उम्मीदवारों की सुविधाओं का ख्याल करके, इसे शीघ्र ही तैयार कराने और प्रस्तुत करने के लिये विशेष प्रयास किया है, और मुझे हर्ष है कि संसद् के वर्तमान सत्र की समाप्ति से पहले ही यह विधेयक संविधि-पुस्तक का अंग बन जायेगा ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

इस विधेयक में केन्द्रीय प्रदशों के लिये बनने वाली प्रादेशिक परिषदों के गठन, कृत्यों और शक्तियों की व्यवस्था की कई गई है । ये परिषदें उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में विचार करेंगी और वहां की जनता के नित्य-प्रति के जीवन के साथ अपना बहुत ही निकट सम्पर्क बनाये रखेंगी, और इसके अतिरिक्त, ये परिषदें उन क्षेत्रों से राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव करने क लिये वहां के निर्वाचकगणों का भी काम देंगी । हिमाचल प्रदेश की परिषद् में ४१ सदस्य रहेंगे । विधेयक में तो केवल ४० सदस्यों की ही व्यवस्था है, लेकिन मैं उसे ४१ कराने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा । हिमाचल प्रदेश की निष्क्रिय विधान सभा में इस समय निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या भी यही है अर्थात् ४१ है । मैं चाहता यह हूं कि वर्तमान निर्वाचक क्षेत्र ही इन प्रादेशिक परिषदों के भी निर्वाचक क्षत्र मान लिये जायें । चूंकि हिमाचल प्रदेश में ४१ निर्वाचन क्षेत्र ही हैं, इसलिये वांछनीय यही होगा किये परिषदें यथा सम्भव शीघ्रता से अपना कार्य आरम्भ कर दें । मेरा विचार है कि हमें यह संख्या ४१ कर देनी चाहिये । मैं एक नये आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने की लम्बी प्रक्रिया

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की शिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

से बचना चाहता हूं। उससे कार्य में विलम्ब होगा और व्यर्थ में श्रम तथा व्यय का अपव्यय होगा। हिमाचल प्रदेश के सदस्यों की भी यही इच्छा है। मेरी इच्छा यह है, और मैं समझता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि लोक-सभा और प्रादेशिक परिषदों दोनों ही के निर्वाचन एक साथ ही किये जायें। वास्तव में यही एक मुख्य कारण है कि मैंने इस विधेयक को इस अवस्था पर इस सभा में प्रस्तुत कर देना ही ठीक समझा है।

अन्य विधान भी थे, और वे भी इतने ही अविलम्बनीय थे, लेकिन मैंने इन प्रदेशों की जनता और नेताओं की सुविधा का ध्यान रखकर ही, इस विधेयक को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया था, और इसमें मुझे सफलता मिली है। मनीपुर और त्रिपुरा की परिषदों में प्रत्येक में ३० सदस्य होंगे। उनको बालिग मताधिकार के आधार पर चुना जायेगा, और कुछ समय के बाद वे अपना सभापति चुनने के लिये भी सक्षम हो जायेंगे। इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि चार सदस्यों की नामजदगी की जा सकती है। यह कोई अनिवार्य प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसमें सरकार को केवल यही निदेश है कि यदि आवश्यकता पड़े तो नामजदगी की जा सकती है। हमें इस व्यवस्था का सहारा केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों, या अन्य अल्प संख्यक भागों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये ही लेना पड़ेगा। ये वही होंगे जो किसी तरह इन परिषदों में निर्वाचित नहीं हो पाते और जिन्हें प्रतिनिधित्व देना वांछनीय समझा जायेगा। यदि इन परिषदों में प्रतिनिधि बनने योग्य सभी व्यक्ति अपने-अपने समुदायों द्वारा निर्वाचित कर लिये जाते हैं, तो हम कोई अनावश्यक नामजदगी नहीं करना चाहते।

इन के कृत्यों की विधेयक में परिभाषा कर दी गई है। उनको अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, और उनको कुछ ऐसे विषयों में कार्यवाही करने का दायित्व भी दिया गया है जो साधारणतया जिला बोर्डों, नगर-पालिकाओं और यहां तक कि निगमों के भी क्षेत्र में नहीं आते। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास यही रहा है कि इन परिषदों को कार्य के लिये अधिकतम क्षेत्र रखा जाये, और मुझे आशा है कि जो भी इनके कृत्यों की सूची को देखेगा, मेरी इस बात की पुष्टि ही करेगा। इन परिषदों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे कई मायनों में ऐसे स्थानीय निकायों को प्रदान की जाने वाली शक्तियों से अधिक ही हैं। प्रादेशिक परिषदें पंचायतों का भी नियंत्रण करेंगी। वे माध्यमिक शिक्षा और पशु-पालन, कृषि इत्यादि से सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी कार्य करेंगी। मुझे आशा है कि ये परिषदें कार्य-कुशलता के साथ अपने कार्यों को निभायेंगी और उन्हें प्राधिकारियों से पूरा-पूरा सहयोग और सहायता मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये परिषदें राज्य-सभा के सदस्यों को चुनने के लिये निर्वाचक गणों का भी कार्य करेंगी। इन परिषदों को यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि संसद् में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह इसीलिये कि इन क्षेत्रों की जनता के विचारों का इस सभा और राज्य-सभा में भी अधिक उपयुक्त ढंग से प्रतिनिधित्व हो सके।

मैं समझता हूं कि अब और अधिक समय लेना अनावश्यक है। माननीय सदस्य निस्संदेह इस विधान में बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसकी चर्चा में आवश्यकता से अधिक समय न लगने दें।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : क्या परिषद् के किन्हीं नाम-निर्देशित सदस्यों को राज्य-सभा के लिये किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** आपने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

†**सभापति महोदय :** इस विधेयक के लिये कुल तीन घण्टे रखे गये हैं, इसमें से आधा समय तो सामान्य चर्चा के लिये, और आधा समय खण्डशः चर्चा के लिये होना चाहिये।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपुर) : मेरा यह निवेदन है कि उन प्रदेशों के प्रतिनिधियों को अधिक समय दिया जाये।

†**सभापति महोदय :** साधारणतया प्रत्येक सदस्य को लगभग १५ मिनट का समय दिया जायेगा।

†**श्री दशरथ देव :** मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं क्योंकि यह क्षेत्रीय परिषदों में स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार प्रत्यायोजित करता है। यद्यपि ये अधिकार सीमित से हैं, तो भी उनका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि उससे हमारे लोग कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ सकेंगे। वैसे तो वहां पर विधान-सभाओं की स्थापना की मांग थी। ये परिषदें उनका स्थान तो नहीं ले सकती, परन्तु फिर भी इनसे कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। अतः इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस विधेयक में कई त्रुटियां तथा लोकतन्त्र विरोधी प्रस्थापनायें भी हैं, और उन्हें दूर करना अत्यावश्यक है। इसमें प्रस्थापित किया गया है कि इन परिषदों के प्रथम सभापति केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये नामनिर्देशित किये जायेंगे। मैं समझ नहीं सका कि सरकार उन्हें नामनिर्देशित क्यों करना चाहती है और परिषद् के सदस्यों को स्वयं अपना सभापति चुनने का अधिकार क्यों नहीं देती। यदि सरकार उन्हें नाम निर्देशित करना ही चाहती है तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है जिससे कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाने की अवस्था में किसी सभापति को हटाया जा सके। तो इससे हमें इस बात की आशंका है कि सराकार चाहती है कि उन नाम-निर्देशित सभापतियों को तीन वर्ष से पहले हटाया न जाये। मेरा सुझाव है कि प्रादेशिक परिषद् को इस बात का अधिकार दिया जाये कि जब कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाये तो उस समय वे सभापति को उसके पद से हटा सके। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो उससे लोगों के मन में आशंकायें उत्पन्न हो जायेंगी। मेरा निवेदन है कि न केवल नाम निर्देशित सभापति को ही, अपितु निर्वाचित सभापति को भी हटा देने के बारे में अधिकार दिये जायें। इसीलिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह निवेदन किया है कि प्रादेशिक परिषद् को इस बात का अधिकार दिया जाये कि वे एक संकल्प द्वारा, दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से सभापति को हटा सके। यह एक अत्यन्त सरल तथा प्रजातान्त्रिक भावना से पूर्ण संशोधन है। आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगे।

इस विधेयक में एक और भी त्रुटि है और वह है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी परिषद् के सम्मुख उत्तरदायी होना चाहिये, और उसकी नियुक्ति परिषद् के सभापति के द्वारा की जानी चाहिये। मैं समझ नहीं सका कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि उसकी नियुक्ति प्रशासक के द्वारा की जाये।

इसमें एक और त्रुटि भी है, वह है परिषद् के नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में। मंत्री जी ने बताया है कि जब भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य चुनाव के द्वारा न चुने जा सकेंगे, तब उन्हें नाम निर्देशित किया जायेगा। परन्तु मंत्री जी इस बात को व्यवस्थित रूप से उपबन्धित क्यों नहीं कर देते हैं। एक व्यवस्थित उपबन्ध रख देने से लोगों के मन में कोई

†मूल अंग्रेजी में।

आशंका न रहेगी। परन्तु यह व्यवस्था केवल त्रिपुरा और मनीपुर के लिये बनायी जाये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिये तो ऐसी व्यवस्था पहले ही बनाई जा चुकी है, और वह यह है कि अनुसूचित जातियों के १२ स्थान सुरक्षित रखे जायें।

इसके अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन भी है और वह यह कि इस विधेयक में एक ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाये जिससे परिषद् को भूमि सुधार आदि विधानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कम से कम सिफारिश करने का तो अधिकार दिया जा सके। इस प्रकार की सिफारिश करने का अधिकार अवश्य दिया जाये, ताकि सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सके।

परिषद् के वित्तों के सम्बन्ध में विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि भूमि राजस्व का केवल १० प्रतिशत ही परिषद् को दिया जाये। मंत्री जी को ज्ञात ही है कि त्रिपुरा और मनीपुर इतने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं कि उनका भूमि राजस्व बहुत थोड़ा होता है, और इसलिये परिषद् को दिया जाने वाला यह वित्त बहुत थोड़ा होगा, और उसे बार-बार केन्द्रीय सरकार से अनुदानों की मांग करनी पड़ेगी। अतः मेरा यह सुझाव है कि परिषद् के संसाधनों को बढ़ा दिया जाये।

जहां तक क्षेत्रीय परिषदों को सौंपे जाने के योग्य विषयों का सम्बन्ध है, मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री जी उनकी ओर पूरा-पूरा ध्यान देंगे।

अन्त में मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि वह इन परिषदों को अधिक वित्त आवंटित करे ताकि वे विकास कार्यों को अच्छी प्रकार से चला सकें। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे इन संशोधनों की ओर पूरा ध्यान देंगे।

†**श्री आनन्द चंद** : मैं गृह-कार्य मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने वर्तमान संसद् को इस विधेयक को संविधि पुस्तक में सम्मिलित करने का अवसर दिया है। यह बड़े हर्ष की बात है कि कार्य में इतने अधिक व्यस्त होते हुए भी वे इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सफल सिद्ध हुए हैं। वे अपने प्रण के पक्के हैं और इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

यह विधेयक उन क्षेत्रों की जनता को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूर्णरूपेण तो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि देश के अन्य राज्यों के समान इन्हें विधान सभाओं का अधिकार नहीं दिया गया है, इन्हें अपना लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, परन्तु फिर भी इसमें कुछ न कुछ तो दिये ही गये हैं। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि यह विधेयक जनता की आकांक्षाओं को किसी सीमा तक तो पूरा करता है।

हम इस प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यह एक अस्थायी कार्यवाही है, ये संघ क्षेत्र कुछ थोड़े से समय के लिये है और बाद में ये अन्य राज्यों से मिला दिये जायेंगे।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : आप यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

†**श्री आनन्द चंद** : मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि भारत में ऐसा प्रशासन स्थापित होगा जिसमें समस्त राज्य एक समान होंगे, उनमें कोई भेदभाव न होगा। इसीलिये इस कार्यवाही को मैं अस्थायी कार्यवाही समझता हूं।

एक विशेष बात जिसका मैं स्वागत करता हूं, वह यह है कि प्रशासन में गैर-सरकारी परामर्श-दाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रशासक के साथ गैर-सरकारी परामर्शदाताओं को भी नियुक्त करना अनुचित कार्य है। अतः मुझे आशा है और विश्वास है कि मनीपुर तथा त्रिपुरा के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनन्द चन्द]

क्षेत्रों में पहले गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के कारण जो अव्यवस्था थी, वह अब शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। गैर-सरकारी व्यक्तियों को संसद् के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, इस सम्बन्ध में हमने कल ही एक विधेयक पारित किया है। अतः यदि वे अपने आपको अधिकारी समझते हैं और जनप्रिय हैं तो वे संसद् के चुनाव लड़े, परन्तु उनका क्षेत्रों के प्रशासन में भाग लेना निराधार है।

इन क्षेत्रों में तेहरा राज्य प्रशासन है और वह है स्थानीय सरकार, राज्य-सरकार और संघ-सरकार। संघ सरकार का काम संसद् द्वारा किया जा रहा है, राज्य-सरकार के काम प्रशासक द्वारा किये जा रहे हैं और स्थानीय सरकार का काम क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा चलाये जायेंगे। इस प्रकार से सारा चित्र पूर्णरूपेण स्पष्ट है, और इसलिये गैर-सरकारी परामर्शदाताओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक की योजना को पांच भागों में बांटा जा सकता है वे भाग हैं—क्षेत्रीय परिषदों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कार्य, उनकी प्रक्रिया तथा कर्मचारी, उनके कार्य और उनका नियंत्रण।

प्रादेशिक परिषद् की रचना के सम्बन्ध में विधेयक में हिमाचल प्रदेश के लिये ४० सदस्यों की व्यवस्था है। गृह-कार्य मंत्री ने अभी कहा है कि वह यह संख्या बढ़ा कर ४१ करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि ऐसा किया गया तो एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाना होगा। परन्तु मेरे विचार में इसमें कुछ गलती है।

इस समय हिमाचल प्रदेश में ३२ निर्वाचन क्षेत्र और ४१ सदस्य हैं। ३२ निर्वाचन-क्षेत्रों में ३२ सामान्य स्थान हैं। और केवल अनुसूचित जातियों के ९ स्थान हैं। १९५१ में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुमान २,३७,००० किया गया था। पिछले सत्र में पारित किए गये अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस जनसंख्या को बढ़ाकर ३,२०,००० कर दिया गया था। १२ स्थानों का उपबन्ध कुल जन संख्या ११,०९,००० में से अनुसूचित जातियों को जनसंख्या ३,२०,००० के अनुपात के अनुसार भी है। परन्तु यदि कुल संख्या ४१ होगी तो हमें १२ स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों को नए सिरे से बदलना होगा। इसलिये यदि अयुग्म संख्या ४१ के स्थान पर संख्या बढ़ा कर ४२ कर दी जाय तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने कहा था कि इस समय ४१ सदस्य हैं।

†**श्री आनन्द चंद :** परन्तु अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या इस समय केवल ९ है।

†**सभापति महोदय :** इसका अर्थ यह है कि रक्षित स्थान अधिक होने से अधिक निर्वाचन क्षेत्र आपस में एक साथ कर दिये गये हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये परिसीमन आवश्यक न हो।

†**श्री आनन्द चंद :** यह द्वि-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिये है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को द्वि-सदस्य स्थान के निर्वाचन के लिये आपस में नहीं मिलाया जा सकता है। इसलिये इन वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्रों का द्वि-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिसीमन आवश्यक होगा। जहां तक मनोनीत सदस्यों का सम्बन्ध है, मैं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा के अपने मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गृह-कार्य मंत्री सरकार के समर्थकों को परिषद् में रखना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त आदिम जातियों की जनसंख्या लगभग ३०,००० है। मेरा सुझाव यह है कि इन पिछड़े हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिये इन्हें भी दो एक स्थान दिये जाने चाहियें।

प्रादेशिक परिषदों के कृत्यों तथा अधिकारों की सूची काफ़ी व्यापक है। फिर भी कृषि को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कृषि सम्बन्धी मेले, कृषि के प्रयोजनों के लिये सिंचाई आदि बातें तो सूची में हैं, परन्तु स्वयं कृषि, कृषि सुधार आदि बातें इसमें नहीं हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मद १८ में नमूने के फ़ार्म भी हैं।

†**श्री आनन्द चंद** : परन्तु कृषि विभाग नहीं है।

जिन तीन क्षेत्रों के लिये परिषदों का गठन किया जा रहा है वे कृषि क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश में ९० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र कृषि पर निर्भर हैं। यदि कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में इन परिषदों को और अधिकार दे दिये जायें तो अच्छा होगा।

अब मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे परिषद् का सदस्य होना चाहिये। उसे तो परिषद् के निदेशों और निर्णयों को पूरा करना होगा, इसलिये वह नियोज्य होना चाहिये; वह सदस्य नहीं हो सकता।

विधेयक में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हटाने के लिये परिषद् के तीन चौथाई सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद ६१ के अनुसार राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिये भी दो तिहाई बहुमत अपेक्षित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनसे बड़ा अधिकारी नहीं है। इसलिये मेरे विचार से यह उपबन्ध कुछ कठोर है।

दूसरी बात यह है कि हमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बम्बई नगरपालिका निगम की भांति तीन वर्ष की नवकरण योग्य अवधि के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये। इससे परिषद् को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सम्बन्ध में उसका काम आंकने, निर्णय करने और उसे पुनः नियुक्त करने के लिये विचार करने का अवसर मिल जायेगा।

वित्तीय उपबन्ध के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के लिये ११ लाख रुपये रखे गये हैं, परन्तु मुझे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में १९५५–५६ के आय-व्ययक में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का खर्च ५० लाख रुपये है। फिर परिषद् को कृषि, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि अन्य खर्च भी करने होंगे।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां तक करारोपण क्षेत्र का सम्बन्ध है और वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहियें; यदि यह करारोपण नहीं है तो कई मदों की आय देने की बात पर विचार किया जाना चाहिये। मैं इन मदों का यथासमय सुझाव दूंगा।

अन्त में मैं नियन्त्रण के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि प्रादेशिक परिषदें एक नया प्रयोग है। इसलिये गलतियां हो सकती हैं। इन परिषदों को निष्प्रभाव करने के सम्बन्ध में इस नियन्त्रण में एक उपबन्ध है। मेरा निवेदन यह है कि इस खण्ड के शब्द ऐसे होने चाहियें कि परिषदों को उचित अवसर दिये बिना या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिये बिना इन्हें निष्प्रभाव न किया जा सके।

मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में बस इतना ही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : संसद् के वर्तमान सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को बधाई देता हूं, परन्तु विधेयक के उपबन्धों को देख कर मुझे निराशा हुई है।

संघ क्षेत्रों की जनता का निराश होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वहां की जनता ने देश के अन्य भागों की भांति स्वतन्त्रता के लिये बलिदान दिए हैं। मनीपुर को लीजिये जहां कितने ही लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ३० वर्ष पहले रानी गिडैलो ने जहां अंग्रेजों से युद्ध किया था। १९३९ में हज़ारों स्त्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिये आगे बढ़ कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् इन भागों को भाग 'ग' राज्य बना दिया गया। जनता को उनके लोकतन्त्रात्मक अधिकारों से वंचित रखा गया। यह उनके प्रति अन्याय है। १९५४ में मनीपुर की जनता ने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया था। सैंकड़ों लोगों ने गोलियों का सामना किया और उन्हें बन्दी बनाया गया। इस विधेयक के उपबन्ध उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं।

मुझे विधेयक की सफलतापूर्वक कार्यान्विति पर भी संदेह है। इसमें केन्द्र तथा प्रशासक का अत्याधिक हस्तक्षेप रहेगा। परिषदों में अधिकार इतने सीमित हैं कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित ३० व्यक्तियों के अतिरिक्त ४० व्यक्तियों को मनोनीत क्यों करना चाहती है। इस से सत्तारूढ़ दल के हाथ मजबूत होंगे।

इसलिये किसी को मनोनीत नहीं करना चाहिये। मनोनीत व्यक्ति भी अन्य निर्वाचित व्यक्तियों जैसे अधिकारों का दावा करेंगे। उन्हें भी कुछ पारिश्रमिक देना होगा। यह न केवल लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध है बल्कि जनता के धन का दुरुपयोग भी है।

केन्द्रीय सरकार, परिषद् का सभापति मनोनीत करेगी, यह एक ऐसी बात है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। आप निर्वाचित सदस्यों की बैठक का सभापतित्व करने के लिये ऐसा व्यक्ति रखना चाहते हैं जो राज्य में किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है इस प्रकार का उपबन्ध विधेयक में नहीं होना चाहिये।

परिषद् की बैठक के प्रथम दिन प्रशासक पीठासीन हो सकता है और फिर कोई ऐसा व्यक्ति चुना जा सकता है जिसे निर्वाचित सदस्यों के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।

विधेयक में कहा गया है कि जब कभी भी प्रशासक परिषद् की बैठक में सम्मिलित होगा तो वह पीठासीन होगा। माननीय मंत्री को यह उपबन्ध नहीं रखना चाहिये क्योंकि प्रशासक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता होगा। इसलिये न केवल निर्वाचित सदस्य बल्कि जनता ऐसी किसी कार्यवाही को पसन्द न करेगी।

मैं अनुभव करता हूं कि विधेयक में इस प्रकार का भी कोई उपबन्ध होना चाहिये कि जब सभापति को प्रादेशिक परिषद् का विश्वास प्राप्त न हो तो उसे इस पद से हटाया जा सके।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हटाने के लिये तीन चौथाई बहुमत का जो उपबन्ध रखा गया है, उस के स्थान पर केवल दो तिहाई बहुमत होना चाहिये।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रशासक द्वारा नहीं बल्कि परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये। परिषद् को ही यह अधिकार होना चाहिये कि वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य अधिकारियों को नियुक्त कर सके और उन्हें उनके पद से हटा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि शुद्ध राजस्व का दस प्रतिशत भाग प्रादेशिक परिषदों को दिया गया है। इससे मनीपुर को केवल ५ लाख रुपये मिलेंगे। मैं कह नहीं सकता कि इस राशि से क्या कुछ किया जा सकेगा। मनीपुर जैसे क्षेत्र में एक पुल के निर्माण पर ५ लाख से अधिक राशि खर्च हो जाती है। क्योंकि परिषद् की प्रगति, विकास और भली भांति कार्यकरण अधिकांशत: वित्तीय स्थिति पर निर्भर होती है इसलिये परिषद् को और अधिक राशि बंटित की जानी चाहिये।

†**श्री टेक चंद** (अम्बाला—शिमला) : विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को देखने के बाद मैं इसका कुछ शर्तों के साथ स्वागत करता हूं। नि:सन्देह इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। यह एक प्रकार की समझौते की कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति की केवल आधी भूख को मिटाती है। यद्यपि इस विधेयक में प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों से सभी विधायिनी शक्तियां ले ली गई हैं तथापि इसमें, एक नए ढंग से, संकल्प द्वारा विधान की व्यवस्था है।

जब हम खण्ड २८ द्वारा उपबन्धित प्रादेशिक परिषद् के नियन्त्रण तथा प्रशासन के अधीन विषयों को देखते हैं तो वे इतने अधिक हैं, इतने विभिन्न हैं कि मुझे परिषद् की कार्यदक्षता पर सन्देह होता है। मैं जानता हूं कि यह विधान विभिन्न प्रेसीडेंसी नगरों में निगम अधिनियमों के आधार पर बनाया गया है। परन्तु मालूम होता है कि विधेयक के बनाने वाले एक बात को भूल गये हैं। इस बात का हिमाचल प्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। नि:सन्देह जनसंख्या की दृष्टि से ११½ लाख दिल्ली नगर की जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक होते हैं।

हिमाचल प्रदेश १०,००० वर्गमील में फैला हुआ है। क्या इस विस्तृत प्रदेश पर प्रादेशिक परिषद् का प्रभावशाली नियंत्रण हो सकता है। आवागमन के सीमित साधनों को देखते हुए यह संभव नहीं है। इस पर्वतीय क्षेत्र में रज्जुपथ, ट्राम मार्ग और अन्य साधन नितान्त आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त भूमि का कृष्यकरण, वन संरक्षण और ढोर संवृद्धि सरीखे कार्य भी इस परिषद् को सौंपे गये हैं।

माननीय मित्र श्री आनन्द चंद ने सर्वथा उचित संकेत किया है कि भूमि के बारे में परिषद् को कोई शक्ति नहीं दी गई है। केवल यत्र-तत्र कुछ मेले और प्रदर्शनियों के आयोजन से काम नहीं चलेगा। इससे उद्देश्य की अभिपूर्ति नहीं होगी। फलोद्यानों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। परिषद् को यह कार्य सौंपा जा सकता है तथा मुझे इस कार्य में कोई सन्देह नहीं है कि वह इसका सफल निष्पादन करेगी।

खण्ड ५३ में, परिषद् को निष्प्रभाव एवं अवक्रमण करने का जो उपबन्ध है वह यदि अनुचित नहीं तो व्यापक अवश्य है। इस दिशा में स्वपरिवर्तन का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये। परिषद् के सदस्यों से गलती करने पर यह पूछना चाहिये कि परिषद् क्यों नहीं शून्य एवं निष्प्रभावित घोषित कर दी जाये। यदि इस प्रकार का उपबन्ध न रखा गया तो संभव है कि प्रशासक और परिषद् के बीच तनातनी अथवा राजनैतिक मनतव्य की भिन्नता के परिणामस्वरूप परिषद् का अवक्रमण किया जाये।

यदि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाए तो श्रेयस्कर होता। पेप्सू के विलीनीकरण के पश्चात् भी पंजाब की आबादी आज एक करोड़ साठ लाख से अधिक नहीं है। और यदि इसमें ग्यारह लाख जनसंख्या और जोड़ दी जाये तो यह दो करोड़ से अधिक नहीं होगी। पंजाबी क्षेत्र और हिन्दी क्षेत्र की भांति इसे पर्वतीय क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है।

हाल ही में शिमला में जो श्रम सम्मेलन हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश के लिये पंजाब के अन्तर्गत तृतीय क्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। प्रसिद्ध नेता और जिला कांग्रेस समितियों के सदस्यों ने भी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेक चन्द]

अधीरता प्रकट की है और केन्द्रीय सरकार के समक्ष इसी आशय की इच्छा अभिव्यक्त की है। ऐसा होने पर ही इस पिछड़े हुए भाग को विकास एवं प्रसार का पूरा अवसर मिलेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बिल इस हाउस में सेशन के आखीर में ऐसे वक्त आया है जब हाउस की पूरी तवज्जह इस बिल की तरफ नहीं दी जा सकती है। जब हम यह देखते हैं कि हमने जो कांस्टिट्यूशन (संविधान) बनाया उसमें कई वर्ष लगे और उस के हर एक लफ्ज़ (शब्द) पर बहस हुई उस वक्त यह भी देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज (संघ राज्य क्षेत्र) की कौंसिलों का बिल दो या तीन घंटों में खत्म हो जायेगा। जिस वक्त आप दस या पन्द्रह मिनट बाद घंटी बजाते हैं तब इस बिल के अन्दर इतने सब्जेक्ट्स (विषय) होते हुए भी जिन पर बोलने के लिये काफी वक्त चाहिये, मेम्बर बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाऊंगा, क्योंकि यह कायदा बन गया है, लेकिन मैं ही नहीं, हाउस महसूस करता है कि यह यूनियन टेरिटरीज के लोगों के साथ बड़ी सख्त ज्यादती है कि न यह बिल सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में गया है न इसके उपर काफी वक्त दिया गया है। जैसे हम महीनों तक हर एक बिल को पढ़ते हैं, हर एक मेम्बर के हाथ में पहले से वह बिल रहते हैं, वह मौका इस बिल के अन्दर नहीं मिला। जो मेम्बर्स ऐसी एरियाज (क्षेत्र) से आते हैं उनको पूरा मौका नहीं मिला कि वह अपनी राय दे सकें, न दूसरों को ही मिल सका ···

श्री टेक चन्द : वह तो मौजूद ही नहीं हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे सख्त अफसोस है कि यह बिल इस तरह से इस हाउस में रश (शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत) किया जा रहा है और लाखों आदमियों की किस्मत का फैसला इस के अन्दर किया जा रहा है, और वह भी इस तरीके से किया जा रहा है जो हर्गिज किसी को पसन्द नहीं आ सकता।

इसके अलावा इस बिल के अन्दर हम बहुत झगड़ा देखते हैं। शुरू में जो हमारा खदशा था, जिसका हम ने शुरू में ही कहा था जब कि स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन किया जा रहा था जबकि हम कांस्टिट्यूशन को तब्दील कर रहे थे कि कांस्टिट्यूशन का इस तरीके पर दुरुस्त करना ठीक नहीं है, वह ठीक निकला।

मैं हिन्दुस्तान के लोगों में चाहे वे किसी भी हिस्से में रहें, यूनियन टैरिटैरीज़ (संघ राज्य क्षेत्र) में रहें अथवा कहीं और रहें, मैं कोई फ़र्क नहीं देखता। मैं चाहता हूं कि कांस्टिट्यूशन में जो फंडामेंट्ल राइटस (मूलभूत अधिकार) दिये हुए हैं वे भारतवर्ष के हर एक रहने वाले के लिये एक से हों लेकिन मैं देखता हूं कि जो पावर्स (शक्तियां) यूनियन टैरिटैरीज़ को दी गई हैं वे इतनी थोड़ी हैं कि मुझे सन् १९१९ का ज़माना याद आ जाता है जब कि भारतवर्ष पर अंग्रेजी हकूमत का राज्य था और उसने सारे देश में रिफ़ार्म्स (सुधार) नाफ़िज (लागू) किये थे और एक हिस्सा ट्रान्सफर्ड (हस्तान्तरित) रखा और एक रिज़र्वड (रक्षित) रखा, उन्हीं लाइंस पर मैं समझता हूं कि यह बिल ड्राफ्ट किया गया है, कारपोरेशन एक्ट (निगम अधिनियम) के अन्दर कारपोरेशन के मुताल्लिक जो कानून हैं और जो पुराने हमारे रिफार्म्स हैं उनको मिला-जुला कर एक चीज़ हमारे सामने पेश की गई है। मुझे वह दिन याद हैं जब पार्ट सी० स्टेट्स (भाग ग राज्य) के मुताल्लिक एक बिल पार्लियामेंट (संसद्) के सामने आया था, पार्लियामेंट की एक कमेटी द्वारा उस पर गौर होकर हाउस के अन्दर आया था उस वक्त हमारे मरहूम (स्वर्गीय) मिनिस्टर श्री गोपाल स्वामी अय्यंगार के सामने यह अर्ज़ किया गया था कि उनके प्रपोज्ड लैजिस्लेशन (प्रस्तावित विधान) में यूनियन टैरिटैरीज़ को बहुत थोड़ी पावर्स दी गई हैं और उन्होंने उसमें थोड़ी तबदीली करके पार्ट सी० स्टेट्स को कुछ ज्यादा पावर्स दीं। उसी तरीके से मैं चाहता था कि अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब (गृह मंत्री) या डिप्टी होम मिनिस्टर साहब मेम्बरान के साथ बैठ

करके इस बिल को देखते और उनकी ख्वाहिशात का पूरा जायज़ा लेते तो मुमकिन था कि इसके अन्दर कोई तबदीली आती लेकिन अफ़सोस यह है कि इस वक्त इसका मौका नहीं है और हम बहुत जल्दी से इस तरह से चल रहे हैं जैसे बगैर ब्रेक के कोई इंजन चलता हो और मैं नहीं जानता कि इस हड़बड़ी में मैं इस बिल की किस-किस चीज़ की तरफ़ तवज्जह दिलाऊं।

बहरहाल, इतना कहने के बाद अब मैं आपकी इजाज़त से चन्द एक बातों की तरफ़ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां साढ़े चार वर्ष तक पापुलर (लोकप्रिय) मिनिस्ट्री रही और उनके पास एक लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद्) रही वहां न तो अब उनके पास मिनिस्ट्री है और न लेजिस्लेटिव कौंसिल ही है और उनकी हालत ठीक वैसी ही आज हो रही है जैसे कोई आदमी पहले बड़ी अच्छी हालत में रहे और बाद में वह पौपर (दरिद्र) हो जाय। उनके हकूक (अधिकार) छीने जा रहे हैं और उनकी हक़तलफी हो रही है.....

श्री हेमराज (कांगड़ा) : आप तो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ मिलाया जाये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे चाहने का सवाल नहीं है, मैं जो राय ज़ाहिर कर रहा हूं वह मेरी खास जाती राय का सवाल नहीं है, मैं इस वक्त एक रिप्रेज़ेंटेटिव (प्रतिनिधि) की हालत में बोल रहा हूं। जैसा कि मेरे दोस्त श्री टेक चन्द ने कहा मैं भी वही चाहता हूं और उसके मुताल्लिक मेरे दिल में कोई भी शुबहा (सन्देह) नहीं है कि सही फैसला वही था अगर हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ मिला दिया जाता और उसका तीसरा रीजन बनाया जाता लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि यूनियन गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) हिमाचल प्रदेश को फाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में जो रुपया देना चाहती थी, उससे वह महरूम हो जाय। मैं खुद इस बात का ख्वाहां हूं कि हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के वास्ते जो गवर्नमेंट काफ़ी रुपया देना चाहती थी वह उसको मिले और हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट (विकास) के वास्ते खर्च करे और मनीपुर और त्रिपुरा जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, वे ऐसी जगह आ जायें जहां कि उनकी वही एक्ज़ाल्टेड पोज़ीशन (उन्नत अवस्था) हो जो बाकी सारे देश की है। मैंने इसी गरज़ से प्रैक्टिकल प्राविज़न व्यवहारिक उपबन्ध रखना पसन्द किया कि पांच वर्ष के बाद ही हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ मिलाया जाय। आज वह भले ही पंजाब के साथ न हो और अलग हो लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अल्टीमेट (आखिरी) चीज़ यही है कि जितनी आउटलाइंग (दूरस्थित) स्टट्स हैं, वे आहिस्ता-आहिस्ता पास की स्टेट्स में शामिल होंगी और यही एक सही रास्ता है जो अपनाया जाना चाहिये ताकि उनके भी वही राइट्स हों जो कि दूसरे देशवासियों के हैं, और मैं अर्ज़ करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर गौर फरमायेंगे।

अब मैं कुछ एक बिल के प्राविजंस की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस बिल के क्लाज (खण्ड) ६० "पावर टु कम्पाउंड (प्रशम्य) औफ़ेंसेज़ (अपराध)" की तरफ़ दिलाना चाहता हूं।

मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि जब कभी कम्पाउंडिंग होती है तो वह दो सूरतों में होती है। जब आप को यकीन हो कि एक शख्स ने जुर्म किया है तो उसके साथ तो हम कम्पाउंड कर सकते हैं लेकिन किसी की बाबत यह ख्याल नहीं है कि उसने जुर्म किया है तो उसमें आप ऐसा क्यों रखते हैं। मेरी अदब से गुजारिश यह है कि जब तक आपको यकीन न हो कि एक शख्स ने जुर्म किया है और जब तक वह खुद न मानता हो कि मैंने जुर्म किया है, आप कम्पाउंड किस बात का करेंगे और यह सिलसिला कम्पाउंडिंग का ब्लैकमेल की नौबत तक पहुंच जायेगा और अपना छुटकारा हासिल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करने के लिये बेगुनाह भी आप को पैसा देंगे। मेरे ख़्याल में जहां तक क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड (दंड प्रक्रिया संहिता) का सवाल है वहां रीज़नेबुल ससपिशन (युक्तिसंगत संदेह) पर कि किसी शख्स ने जुर्म किया है, उसके साथ कम्पाउंडिंग नहीं हो सकता और ऐसी हालत में इसके अन्दर इनजस्टिस (अन्याय) हो जाना मुमकिन है या ऐसा रुपया आ जाय जिस रुपये को कि गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती, मेरी समझ में यह नहीं आया कि रीजनेबुल ससपिशन (सन्देह) के ऊपर कैसे कम्पाउंड हो सकता है ।

इसके अलावा जब मैं दफ़ा २८ में फंक्शंस आफ टैरिटोरियल कौंसिल्स (राज्य क्षेत्र परिषदों के कार्य) को देखता हूं और उस लिस्ट (सूची) को देखता जो उसमें दी हुई है तो मैं पाता हूं कि श्री आनन्द चन्द ने जो शिकायत की है कि उसके मातहत पूरा एग्रीक्लचर नहीं आया है उनकी शिकायत बजा है और एग्रीक्लचर का मुहकमा इन टैरिटोरियल कौंसिल्स के मातहत आना चाहिये, मेरी खुद की भी यही राय है कि एग्रीकल्चर (कृषि) सारा का सारा इन कौंसिलों को दिया जाना चाहिये और मौडेल फार्म्स और इंडस्ट्रियल एग्ज़बिशन (औद्योगिक प्रदर्शनी) का प्राविज़न करना ही काफ़ी नहीं होना चाहिये। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) भी और प्लानिंग (योजना) भी एग्रीकल्चर के साथ-साथ कम्पलीट्ली इन कौंसिलों को दी जानी चाहिये थी। यह तीनों चीज़ें इन कौंसिलों को पूरे तौर पर दी जानी चाहिय थीं।

अभी श्री टेक चन्द ने एक क्रिटिसज्म (आलोचना) किया है कि यह कौंसिलें शायद इस काबिल नहीं हैं कि इंटलैक्चुएली (बुद्धिगम्य) या एफैक्टिवली (प्रभावपूर्ण) बिना सेंटर (केन्द्र) की मदद पाये उन चीज़ों को पूरा कर सकें, मेरा कहना है कि कितनी ही हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकतीं, सेंटर की इमदाद हर एक स्टेट को हासिल है और इन इलाकों को तो मदद देना खास स्टेट का फ़र्ज है।

इसके अलावा मुझे इसके चेअरमैन के बारे में यह कहना है कि यह उसी तरह रखा गया है जैसे सन् १९१९ में जब शुरू में असेम्बलियां बनी थीं तो उनका चेअरमैन तीन साल के वास्ते नामिनेट (नाम निर्देशन) होता था और उसी बिना पर यहां पर भी चेअरमैन का तीन साल के वास्ते नामिनेशन किया गया है। मेरी अदब से गुजारिश है कि मैं चेअरमैन को नामिनेट के बदले एलेक्टेड (निर्वाचित) चाहता हूं और उसको शुरू से एलेक्टेड होना चाहिये था। जहां इस बात की शिकायत की गई है कि ला एण्ड आर्डर वगैरह वगैरह चीज़ें उनके सुपुर्द नहीं की गई हैं, मैं उन लोगों के ऐसपिरेशंस (भावनाओं) का स्वागत करते हुए यह कहूंगा कि मुनासिब होता अगर शुरू से ही हम चेअरमैन (सभापति) भी उनको एलेक्टेड दे देते। साथ ही इसमें जो तीन चौथाई मेजारिटी बहुमत का प्राविजन (उपबन्ध) रखा गया है उसको हटा कर कांस्टीट्यूशन में जो दो तिहाई मेजारिटी का प्राविज़न है उसको रखते तो नामुनासिब नहीं था। जब से इस देश में मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफ़ार्म्स आये तो प्रौग्रेसिव रिएलाइज़ेशन (वृद्धिगत विचारधारा) का असूल पुरानी सरकार ने सामने रखा था।

मैं समझता हूं कि इस बिल में भी कि यह आइडिया (विचार) इसके अन्दर है और ट्रान्सफर्ड (हस्तान्तरित) और रिज़र्वड (रक्षित) सबजैक्ट्स हैं। जो पहले की विदेशी गवर्नमेंट थी वह इसको और तरीके से देखती थी लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट यकीनन इन इलाकों के लोगों पर ज्यादा भरोसा कर सकती है और उनसे ज्यादा पावर्स (शक्तियां) दे सकती थी। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर यह डिमांड मान ली जाये कि दो तिहाई मैजारिटी के साथ वह चेअरमैन हटाया जा सकता है और चेअरमैन शुरू से एलेक्टेड हो।

जब मैं इसकी फाइनेंशियल पावर्स (वित्तीय अधिकारों) को देखता हूँ तो पाता हूं कि इसमें उसको काफ़ी पावर्स आफ़ टैक्सेशन (करारोपण की शक्ति) दी हुई हैं, टैक्स लगाने की भी पावर है और उसको खर्च करने की भी पावर उसको हासिल है।

फ़ाइनेंशियल मेमोरेंडम में जो इन स्टेट्स की आमदनी का थोड़ा-सा जिक्र किया गया है जैसे ११ लाख हिमाचल प्रदेश को, ५ लाख मनीपुर को और ढाई लाख त्रिपुरा को, मेरी नाकिस अकिंचन राय में यह इमदाद काफ़ी नहीं है। अलबत्ता इस के आगे का जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम (वित्तीय ज्ञापन) में फिकरा दिया हुआ है वह इसमें जान डालता है।

"इसके अतिरिक्त, खण्ड ३७ में उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार परिषदों को उचित अनुदान दे सकती है।"

मेरी गुजारिश यह है कि यह क्लाज रिएली (वस्तुतः) एफैक्टिव है क्योंकि जो माली (आर्थिक) इमदाद (सहायता) आपने प्रोवाइड की है वह बहुत थोड़ी है और उससे उनका कोई काम नहीं चल सकेगा।

इसके अलावा यह जो सुपरसेशन (निष्प्रभावी) कंट्रोल के बारे में मेरे दोस्तों ने अपना अंदेशा ज़ाहिर किया है कि सुपरसेशन का प्राविज़न (उपबन्ध) सेक्शन ५३ में इस तरह पर लिखा हुआ है जिससे कि यह आसानी से हो सकता है तो मेरी गुजारिश यह है कि अब भी हमारी गवर्नमेंट इस सुपरसेशन की चीज़ को बहुत कम सिर्फ एक्सेप्शनल (असाधारण) सरकमस्टान्सेज़ (परिस्थितियों) में ही इस्तेमाल में लायेगी। कांस्टीट्यूशन की दफा ३५५, ३५६ एमरजेंसी प्राविज़ंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इन एकौरडिंग टु दी प्राविजंस (उपबन्धों के अनुसार) न हो तो उस सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अखत्यारात अपने हाथ में ले सकती है लेकिन मैं यह बखूबी जानता हूं कि हमारे आनरेबल होम मिनिस्टर आखिरी आदमी होंगे जो कि इस सुपरसेशन पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बिला वजह ही इस तरह का डर हो गया है और अगर होम मिनिस्टर साहब इसका ऐश्योरेंस (आश्वासन) दे दें तो उनके दिल से यह खौफ़ जाता रहेगा, दरअसल में न तो उनका ऐसा खयाल है और न ऐसा ख्याल मुमकिन है उस शख्स के दिल में जो इन कौंसिलों को बनाता है और जिसने इतनी पावर्स और चीज़ों में उन कौंसिलों को दी हैं और जिस तरीके से यह बिल बना है उसके अन्दर यह ख्वाहिश कभी नहीं हो सकती है कि जब चाहे उसको स्वीट बिल (स्वेच्छा) पर सुपरसीड कर दिया जाय। इस तमाम बिल को देखने के बाद इसमें यह एक ख्वाहिश मालूम होती है, एक गोल्डेन थ्रेड (स्वर्गिम श्रृंखला) इसमें जाता है और हांलाकि आज पावर्स कम दी जा रही हैं लेकिन आखिर में मुझे कोई शक नहीं है कि यह चन्द एक पावर्स होते होते इस तरीके से डेवलप (विकसित) होगीं कि जिसके अन्दर बाकी हिन्दुस्तान में और इन यूनियन टैरिटेरिज़ में किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं रह जायगी।

सिवाये उस तमीज़ के जोकि कुल दश के हालात देखकर करना जरूरी हो। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान की हुकूमत इस तरह से की जा रही है कि सारे देश का भला हो गो कि मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी जरूरतों के मुताबिक इन्तिजाम किया जाता है।

जो हम को इसके बारे में शिकायत है वह यह कि इसमें काशन (सावधानी) का बड़ा हिस्सा है। जो पहले पार्ट "सी" स्टेट्स थीं उनको इस बिल में कम पावर्स दी गई हैं। ये पावर्स और एनलार्ज हो सकती हैं और हो सकता है कि आनरेबल होम मिनिस्टर साहब अगर आगे चल कर उनको बढ़ाना मुनासिब समझें तो बढ़ा भी सकते हैं। इन हिस्सों के लोग बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके हुकूक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और उनकी ताकतें हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों के मुकाबले में कम कर दिये गये हैं। इसलिये जहां तक हो इन पावर्स को लिबरेलाइज़ किया जाये और जब यह समझा जाये कि ये हिस्से काफी डेवेलप हो गये तो इनको पूरी पावर्स दे दी जायें, हालांकि में तो यह समझता हूं कि इनमें बहुत से हिस्से तो अभी भी काफी डेवेलप्ड हैं और उनको पूरी पावर्स न देने की कोई वजह ही नहीं है। आप ने कई बरस तक हिमाचल प्रदेश में तजर्बा करके देखा और वह इसमें कामयाब रहा है। अगर आप पांच बरस बाद भी उसको काफी डेवेलप्ड समझ कर पंजाब के साथ मिला देंगे तो वहां वालों को काफी तसल्ली होगी, मैं समझता हूं कि कम डेवेलप होने के बेसिस (आधार) पर हिमाचल प्रदेश को दूसरे हिस्सों के बराबर रखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा होता अगर हिमाचल प्रदेश को इससे ज्यादा अख्तियार दिये जाते। लेकिन जो अख्तियारात दिये गये हैं वे इस ख्याल से दिर्ये गये हैं कि यह ज्यादा तरक्की करें।

मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि थोड़े अर्से के बाद इसमें ऐसी तबदीलियां हों जो कि सरकमसट्रेंसेज़ (परिस्थितियां) से जस्टीफाइड (औचित्ययुक्त) हों और जो हमको उसी तरफ ले जा सकें जो कि सारे हिन्दुस्तान का गोल है और वही गोल इन टेरीटरीज़ का भी बन जाये।

†**सभापति महोदय** : अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने की प्रार्थना करूंगा।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : कांग्रेस की ओर से मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं पांच-छः मिनट से ज्यादा न लूंगा।

†**सभापति महोदय** : अस्तु।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : प्रथम संसद् के अवसान काल में यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। इन राज्य क्षेत्रों के लोग पिछले कई वर्षों से उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे हैं। किन्तु विधेयक में उन्हें भाग "ग" राज्यों के समान सरकार की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। मनीपुर की जनता इस विधेयक के उपबन्धों के विरुद्ध है। मनीपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से मुझे जो तार मिले हैं उनमें बताया गया है कि इस विधेयक में मनीपुर की जनता संतुष्ट नहीं होगी। इसके स्थान पर प्रजातांत्रिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होनी चाहिये।

इस विधेयक से विशेष लाभ नहीं है। माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वर्तमान विधेयक इस दिशा में प्रारम्भिक चरण सिद्ध हो। उम्मीद है द्वितीय संसद् इसे भाग "ग" राज्य अधिनियम, १९५१ के समकक्षी पद प्रदान करेगा।

एक आपत्ति यह है कि इस विधेयक में नाम-निदशन शब्द रुचिस्पद नहीं है। यदि तीस सदस्यों के सदन में चार नाम-निर्देशित सदस्य सम्मिलित कर दिये जायें तो इनकी संख्या चौंतीस हो जायेगी। और चार या पांच नाम-निर्देशित व्यक्ति ही स्वयं कोरम की पूर्ति कर सकते हैं। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि ये नाम-निर्देशित व्यक्ति राज्य-सभा के लिय निर्वाचित किये जाने वाले सदस्य को मत नहीं दे सकेंगे।

सभापति का निर्वाचन राज्य-क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा होना चाहिये। यदि सभापति नाम-निर्देशित किया गया तो सदस्यों को कोई सन्तोष नहीं होगा। यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक भावना के विरुद्ध है। जब आपके पास समग्र राज्य-क्षेत्रीय परिषद् को निष्प्रभावित करने की शक्ति है तो फिर नाम-निर्देशित सभापति क्यों रखते हैं। यह अवांछनीय है।

मैंने एक संशोधन में बताया है कि राज्य-क्षेत्रीय परिषद् की कार्यवाही का प्रकाशन होना चाहिये। यदि इनका प्रशासन नहीं किया गया तो अनेक अफवाहें फैल जायेंगी। अतः इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि परिषद् की कार्यवाही संक्षिप्त रूप में सभापति के हस्ताक्षरसहित प्रकाशित हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिषद् की व्यय के लिये संग्रहीत राजस्व के दस प्रतिशत की व्यवस्था है। मेरी सम्मति में इसे बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर देना चाहिये। इसके अतिरक्त कृषि, फलोद्यान, भूमिहीन व्यक्तियों को बसाने आदि महत्वपूर्ण विषय छोड़ दिये गये हैं। परिषद् को दी गई शक्तियों की सूची में वृद्धि करना आवश्यक है। समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को परिषद् की कार्यवाही देखने तथा उसके सम्बन्ध में समाचार देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

यह सही है कि प्रशासन को निम्न स्तर पर प्रजातांत्रिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है किन्तु मुझे आशंका है कि मुख्य आयुक्त और परिषद् में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है। यदि जनता की ओर से किसी प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई तो यह समस्या सुलझ जायेगी।

विधेयक में मनीपुर के रोजमर्रा के शासन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सम्पूर्ण शासन का संचालन मुख्य आयुक्त ही करेंगे। यदि जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त के परामर्शदाता नियुक्त कर दिये जाते तो लोगों को प्रसन्नता होती।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** पिछले डेढ़ घंटों के भाषण में बहुत-सी विस्तार की बातें कही गई हैं। मैं इस समय सब की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रत्येक के सम्बन्ध में संशोधन है और यदि मैं दो बार उन्हीं तर्कों की पुनरावृत्ति करूं—एक बार अब और दूसरी बार जब संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे—तो समय बेकार जायेगा। इसलिये मैं इन बातों की चर्चा बाद में करूंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य गलत नहीं समझेंगे, मैं केवल समय बचाना चाहता हूं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक देना चाहता हूं।

इस विधेयक के कार्यक्षेत्र या प्रयोजन के बारे में कुछ गलतफहमी है। यह याद रखना चाहिये कि हम कोई नई चीज नहीं शुरू कर रहे हैं। इस विधेयक में सदन की इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया गया है और इसके उपबन्ध राज्य पुनर्गठन आयोग, संयुक्त समिति और संसद् की दोनों सदनों के प्रस्तावों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं।

विधान बनाने के प्रश्न को उठाने का अब समय नहीं है। यह निर्णय किया जा चुका है कि विधान स्वयं संसद् बनायेगी। जहां तक इन क्षेत्रों का सम्बन्ध है संसद् को विधायिनी शक्ति प्राप्त होगी और सब विधियां स्वयं संसद् पारित करेगी। इसलिये जब तक यह निर्णय रहता है, कोई विधान सभा नहीं हो सकती। यह भी निर्णय किया गया था कि स्थानीय मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के लिये निगम और प्रादेशिक परिषदें होनी चाहियें माननीय सदस्यों को याद होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश को पंजाब में और त्रिपुरा को आसाम में विलीन किया जाना था, किन्तु हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लोगों की इच्छाओं के अनुसार इनको अलग रखा गया है। इन परिस्थितियों में मैंने सोचा था कि हमने जो कदम उठाया है, उसे इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि पसन्द करेंगे। मेरा अब भी यह विचार है कि वे इस विधेयक से संतुष्ट हैं। जहां तक आलोचना का सम्बन्ध है यदि कोई सुझाव दिये जाते तो मुझे आश्चर्य होता। वे बहुत होशियार और समझदार लोग हैं और वे इस विधेयक में सुधार करने के लिये सुझाव दे सकते हैं। प्रत्येक सुझाव पर विचार करना और उसे महत्व देना मेरा कर्त्तव्य है? संशोधनों को प्रस्तुत करने के समय मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं किसी राज्य या प्रादेशिक परिषद् या निगम के कामों में हस्तक्षप नहीं करना चाहता। लोग जितना अधिक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, उतना ही यह देश और केन्द्रीय

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

सरकार के लिये अच्छा है। हम नहीं चाहते कि लोग केन्द्र पर निर्भर करें। उन्हें स्वयं आगे बढ़ना चाहिये। हम उन्हें किसी विशेष विधान या विधेयक द्वारा बद्ध नहीं करना चाहते।

विश्व में कोई चीज स्थायी नहीं कही जा सकती। इन विधेयकों में भी सुधार किया जायेगा और हम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये यथासंभव प्रयत्न करेंगे, किन्तु हमें इस कदम के महत्व को कम नहीं समझना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें बिना किसी के हस्तक्षेप के कार्यपालिका शक्तियां देता है। पहले इसका प्रयोग नहीं किया गया। जहां तक इन राज्यों का सम्बन्ध है, वहां के लोग आत्म-निर्भर और स्वाभिमानी हैं, और हम चाहते हैं कि अपने प्रशासन का काम वे स्वयं संभालें। किन्तु हमें यह देखना है कि इससे संसद् की इच्छा भी पूरी हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस विधेयक का सहृदयता और सहयोग की भावना से और इसमें आगे सुधार करने की भावना से स्वागत करें।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २--(परिभाषायें)

†**सभापति महोदय** : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। खंड २ के सम्बन्ध में संशोधन नहीं है। मैं इसे मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३--(प्रादशिक परिषदों का विधान और उनका गठन)।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २० में,

शब्द "forty" ["चालीस"] के स्थान पर शब्द "forty-one" [इक्तालीस"] रखा जाये।

जैसा कि मेन का है, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की संख्या ४१ है। मैं वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्रों को बदलना नहीं चाहता। यदि संख्या ४० हो, तो इनमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। इस बात की व्यवस्था के लिये कि लोक-सभा और प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचन एक साथ हों, मैं दोनों के लिये उतने ही निर्वाचन-क्षेत्र रखना वांछनीय समझता हूं।

†**श्री आनंद चंद** : यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाये, तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या १२ होगी।

वर्तमान निर्वाचन-क्षेत्र १२ के साथ मेल नहीं खायेंगी और कुछ परिवर्तन करने ही पड़ेंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने इस बात को ध्यान में रखा था। यह किया जा सकता है कि तीन दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जायें, ६ निर्वाचन-क्षेत्रों को मिला कर तीन बना दिये जायें और प्रत्येक से एक अनुसूचित जाति के सदस्य का निर्वाचन हो। ऐसा करने से यह काम जल्दी हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री आनन्द चंद :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में,

पंक्ति २६ और २७ के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"(3) The Central Government may nominate not more than four persons to be Members of any Territorial Council so however that they are all non-officials and at least two of them represent the Scheduled Tribes of the Union Territory of Himachal Pradesh."

["(३) केन्द्रीय सरकार ४ से अनधिक व्यक्तियों को, जो सब गैर-सरकारी हों, किसी प्रादेशिक परिषद् का सदस्य मनोनीत कर सकती है और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र के मामले में कम से कम दो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।"]

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा—पश्चिम) :

पृष्ठ २ में—

पंक्तियां संख्या २६ और २७ निकाल दी जाये।

त्रिपुरा, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश में आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के काफी लोग निर्वाचित हो रहे हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन-क्षेत्र विभाजित हैं। इसलिये यह उपखंड निकाल देना चाहिये। उनके प्रतिनिधित्व से वंचित किये जाने की कोई आशंका नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार यह संशोधन स्वीकार कर लेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैं आपका ध्यान खंड ३ के उपखंड (३) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें उपबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार किसी प्रादेशिक परिषद् में ४ व्यक्ति तक मनोनीत कर सकती है। यह उपबन्ध संविधान के प्रतिकूल है और इसे इस विधेयक में नहीं होना चाहिये।

अनुच्छेद १५, १६ और २६ को छोड़ कर जिनमें स्त्रियों, बच्चों और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को संरक्षण दिये गये हैं, संविधान में नागरिकों के बीच विभेद करने का कोई उपबन्ध नहीं है। तो सरकार के ४ व्यक्ति मनोनीत करने का क्या आधार है? हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा के लोगों में परस्पर विभेद करने का कोई कारण नहीं हो सकता। मनोनयन का परिणाम केवल पक्षपात ही हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड ३ का उपखंड (३) संविधान के प्रतिकूल है। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि इसे इस विधेयक में सम्मिलित न किया जाये।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मैं भी खंड ३ के उपखंड (३) का विरोध करता हूं यह मनीपुर और त्रिपुरा पर लागू होता है। यदि सरकार ये चार व्यक्ति मनोनीत कर देती है, तो इनकी सहायता से अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी समय परिषद् के निर्णयों को रद्द कर सकता है। यदि भावना यह है कि कुछ विभागों को परिषद् में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो कुछ स्थान उनके लिये सुरक्षित रखे जा सकते हैं या कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों को दो-सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों घोषित किया जा सकता है और एक स्थान सम्बन्धित समुदाय के लिये सुरक्षित किया जा सकता है। मनोनयन का उपबन्ध बिल्कुल अनावश्यक है और प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। मेरी प्रार्थना है कि इसे निकाल दिया जाये।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : संवैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में मुझे अधिक नहीं कहना है। मेरे विचार में ऐसी कोई आपत्ति मान्य नहीं हो सकती। हम आये दिन ऐसे विधेयक पारित कर रहे हैं, जिन में मनोनयन के कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार या अन्य प्राधिकारियों में सुरक्षित रखा जाता है। मेरे विचार में इस तर्क में कोई जोर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

जैसा कि मैंने पहले कहा है जब तक यह आवश्यक न हो जाये, हम मनोनयन नहीं करेंगे। ऐसा हम तब करेंगे जब सापेक्षतया पिछड़े हुये वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो मनोनयन का अवसर भी उत्पन्न नहीं होगा। तथापि मैं श्री आनंद चन्द का संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और इसमें आगे सुधार करना चाहूंगा। "४" व्यक्तियों के स्थान पर "२" रखा जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हो जायेंगे। इन दो के बारे में यदि मैं यह कहूंगा कि मैंने शेष भाग को भी बढ़ा दिया होता, किन्तु यदि यह स्वीकार कर लिया जाये, तो मनोनयन अनिवार्य हो जायेगा।

जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो, हम यह तरीका नहीं अपनाना चाहते।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब संख्या दो हो जायेगी और मनोनयन केवल गैर-सरकारी व्यक्तियों का होगा। इसका उद्देश्य किसी वर्ग को हानि पहुंचाना नहीं है बल्कि कुछ पिछड़े हुए वर्गों को, सहायता देना है। हो सकता है कि यह उपबन्ध केवल कागज पर ही रहे और इसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े। मुझे आशा है कि मैंने जो परिवर्तन किया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह एक हानिरहित उपबन्ध होगा जो आवश्यकता पड़ने पर सहायक हो सकता है। अन्यथा यह बिना कोई हानि पहुंचाये कागज पर रह जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में

पंक्ति २६ और २७ के स्थान पर यह रख दिया जाये :

"The Central Government may nominate not more than two persons, not being persons in the Service of Government, to be members of any Territorial Council"

["केन्द्रीय सरकार दो से अनधिक व्यक्तियों को, जो सरकार की सेवा में न हों, किसी प्रादेशिक परिषद् का सदस्य मनोनीत कर सकती है।"]

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २ पंक्ति २० में

शब्द "forty" ["चालीस"] के स्थान पर शब्द "forty-one" ["इकतालीस"] शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि श्री बीरेन दत्त अपने संशोधन के लिये आग्रह नहीं कर रहे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि मैं खण्ड ४ से १८ तक इकट्ठे प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या किसी को संशोधन रखना है? किसी ने नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ से १८ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड* ४ से १८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १९—(निर्णयों का अन्तिम रूप)

†**श्री आनंद चन्द :** इस खण्ड के उपबन्ध के अनुसार जिलाधीश के आदेश पर अपील नहीं की जा सकती । यह केवल एक व्यक्ति से युक्त निर्वाचन न्यायाधिरण होगा । अतः मैंने संशोधन रखा है कि उसके आदेश पर सम्बन्धित संघ-क्षेत्र में अपील करने का अधिकार होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : निर्वाचन के विरुद्ध याचिका पर जिला न्यायाधीश विचार और निर्णय करता है । विधेयक की योजना के अधीन ऐसे मामलों में अपील नहीं की जा सकती । बम्बई में भी लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास अपील की जा सकती जिसकी स्थिति मैं निम्न तो नहीं कहूंगा परन्तु यहां के जिला न्यायाधीश के समान होती है । बम्बई निगम के निर्वाचनों के सम्बन्ध में यही प्रचलित है । उत्तर प्रदेश में भी जिला बोर्ड के निर्वाचनों के मामलों में जिला न्यायाधीश के आदेश पर अपील नहीं हो सकती और ऐसा ही नगरपालिका बोर्डों के निर्वाचन के मामले में होता है । मैं समझता हूं कि वर्तमान उपबन्ध उचित है । इस प्रकार के मामलों में हमें अनावश्यक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

†**श्री आनंद चंद :** मैं संशोधन के लिये आग्रह नहीं करूंगा, परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रादेशिक परिषद् न तो जिला बोर्ड है और न ही इसके कृत्य बम्बई नगर-पालिका निगम के जैसे हैं । वह राज्य-सभा के लिये निर्वाचक मंडल है । अतः न्यायिक आयुक्त के पास अपील का अधिकार होना चाहिये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि वर्तमान उपबन्ध से प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा । मैं मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता ।

†**श्री आनंद चन्द :** मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २० और २१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २२—(सभापति और उप-सभापति)

†**श्री रिशांग किशिंग :** मैं अपने संशोधन संख्या ३६ और ३८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बीरेन दत्त** : मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

---

*खंड ६ "also a member of" [का सदस्य भी] शब्दों के पश्चात "any of" [कोई] शब्द अध्यक्ष के निदश अधीन प्रत्यक्ष गलती के रूप मे रखे गये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री आनन्द चन्द :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३४ और ३५ में

"for a period not exceeding three years"

["तीन वर्ष से अनधिक काल के लिये"] शब्दों के स्थान पर "for a period not exceeding one year"

"[एक वर्ष से अनधिक काल के लिये] शब्द रखे जायें ।"

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या ३८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सब संशोधन और खण्ड सभा के समक्ष हैं । प्रत्येक वक्ता को एक अवसर मिलेगा ।

†**श्री बीरेन दत्त :** संशोधन ५ में सभापति को हटाने के लिये परिषद् के अधिकार का प्रश्न लिया गया है । विधेयक में सभापति को हटाने का कोई उपबन्ध नहीं । लोकतन्त्रात्मक ढंग में निर्वाचित किसी परिषद्, नगरपालिका अथवा निगम में ऐसा उपबन्ध नहीं कि जब तक उस परिषद् का अन्त न किया जाय सभापति को न हटाया जा सके । अतः मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मेरे संशोधन का सम्बन्ध केवल निर्वाचित सभापति से है, नामनिर्दिष्ट सभापति से नहीं । यदि परिषद् के सदस्य सभापति को निर्वाचित कर सकते हैं तो उन्हें उसे पदच्युत करने का भी अधिकार होना चाहिये । यहां ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । अतः आशा है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** खण्ड २२ के उपखण्ड (१) में कहा गया है :

"परन्तु केन्द्रीय सरकार प्रथम सभापति को नामनिर्दिष्ट कर सकती है जो तीन वर्ष से अनधिक काल के लिये पदधारी रहेगा ।"

मेरे संशोधन में इस परन्तुक को हटाने का प्रयत्न किया गया है । केन्द्रीय सरकार को सभापति के नाम-निर्देशन का अधिकार नहीं होना चाहिये । सभापति के निर्वाचन का अधिकार सभी लोकतंत्र संस्थाओं में निहित होता है ।

यदि केन्द्रीय सरकार को यह भय हो कि प्रथम बैठक में कोई सभापति नहीं होगा तो उसके लिये प्रशासक है । अतः पहले दिन ही सभापति के निर्वाचन में कोई कठिनाई नहीं होगी । अतः इस परन्तुक को हटा कर उसके स्थान पर मेरा संशोधन रखना चाहिये ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सभापति को हटाने के उपबन्ध का एक नया उपखण्ड जोड़ना चाहिये । उसे हटाने का अधिकार परिषद् को देना चाहिये । आशा है कि गृह मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

†**श्री आनंद चन्द :** मेरा संशोधन संख्या ३७ है । मैं खण्ड २२ के उपखण्ड (१) का यह अभिप्राय समझता हूं कि यदि उचित योग्यता का सभापति उपलब्ध न हो तो सरकार किसी को तीन वर्ष के लिये नियुक्त कर सके । मैं अपने संशोधन द्वारा इस कालावधि को एक वर्ष तक सीमित करना चाहता हूं क्योंकि मेरा विचार है कि इन परिषदों को ५ वर्ष की कालावधि के लिये स्थापित करना है और हो सकता है

†मूल अंग्रेजी में ।

कि इस शक्ति का प्रयोग करना पड़े। ऐसी स्थिति में यह शक्ति सावधानीपूर्वक प्रयुक्त की जानी चाहिये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं श्री आनन्द चन्द के संशोधन को स्वीकार करने के लिये तयार हूं कि 'तीन वर्ष' के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जायें अतः परन्तुक इस प्रकार होगा :

"परन्तु केन्द्रीय सरकार प्रथम सभापति को नामनिर्दिष्ट कर सकती है जो एक वर्ष से अनधिक काल के लिये पदधारी रहेगा ।"

मैं संशोधन के प्रेस्तावक की बात का समर्थन करता हूं। इस खण्ड के अधीन जो अधिकार लिया जा रहा है उसे अवश्य ही प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस समस्या का एक विशेष पहलू है जिस के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सदस्य उस पर विचार करें। यह प्रादेशिक परिषदों का सर्वथा नया आरम्भ होगा। बहुत से प्रबन्ध करने होंगे और आरम्भ में इसकी तैयारी सम्बन्धी तथा प्रारम्भिक कार्य करना होगा। यदि सभापति परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित हो तो वह आरम्भ में सभी बातों का ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकेगा। अतः यह उपबन्ध किया गया है कि उन कठिनाइयों को दूर करने की यदि आवश्यकता समझी गई, जो प्रारम्भ में परिषदों को होंगी तो किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा, तब उसे नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है। परन्तु जैसा मैंने सुझाव दिया है यह कालावधि किसी भी मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, यह एक वर्ष से कम भी हो सकती है और हो सकता है कि किसी को भी नामनिर्दिष्ट न किया जाय। अतः केवल सावधानी से लिये यह उपबन्ध किया गया है। आखिर जो व्यक्ति नामनिर्दिष्ट होगा वह एक वर्ष के पश्चात् पदारूढ़ नहीं रहेगा। सरकार अनावश्यक रूप से किसी को नामनिर्दिष्ट करना नहीं चाहेगी, परन्तु यदि परिषद् को सहायता देने के लिये ताकि वह दक्षतापूर्वक और भली प्रकार अपना कार्य कर सके, यह आवश्यक समझा गया कि अधिकतम एक वर्ष तक की कालावधि के लिये किसी को नामनिर्दिष्ट किया जाये तो परिषद् द्वारा उचित रूप से कर्तव्य पालन के लिये आक्श्यक आधार का उपबन्ध करने के हेतु कार्यवाही की जायेगी। मैं आशा करता हूं कि जो स्पष्टीकरण मैंने दिया उसे ध्यान में रखते हुये इस उपबन्ध की वांछनीयता अनुभव की जायेगी ।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** सभापति को हटाने के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जहां तक हटाने का सम्बन्ध है, संशोधन में सभापति और उपसभापति दोनों का उल्लेख है। माननीय सदस्य उपसभापति को हटाने के सम्बन्ध में उपबन्ध क्यों चाहते हैं ? मुझे ऐसे किसी उपबन्ध की जानकारी नहीं जिसके अन्तर्गत कि उपसभापति को हटाया जाता हो।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मेरे संशोधन का सम्बन्ध उपसभापति से नहीं है।

†**श्री दशरथ देव :** हम 'उप-सभापति' शब्द हटा देते हैं। क्या तब मंत्री महोदय संशोधन स्वीकार कर लेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यदि आप 'उप-सभापति' शब्द हटा भी दें तो भी मैं दो सुझाव प्रस्तुत करूंगा एक यह है कि चुनाव के पश्चात् एक वष तक ऐसा संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यदि चुनाव के दूसरे ही दिन आप उसके हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा उसको काम करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता यह किसी के हित में नहीं होगा। इसलिये चुनाव के एक वर्ष के पश्चात् इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है।

दूसरे, यदि इस प्रकार का संकल्प परिषद् एक बार अस्वीकार कर दे अथवा उस पर जोर न दिया जाये तब उसी प्रकार का संकल्प उस तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं होना चाहिये। अन्यथा एक संकल्प प्रस्तुत होगा तथा अगली बैठक में अस्वीकार हो जायेगा। तब फिर वही संकल्प प्रस्तुत किया जा

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित गो० ब० पन्त]

सकता है। अन्य स्थानों पर ऐसी व्यवस्था है कि एक बार ऐसा संकल्प प्रस्तुत होने पर, वह एक वर्ष के पश्चात् ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अन्यथा परिषद् कार्य ही नहीं कर सकेगी।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मेरे विचार से नगरपालिका के अथवा निगम के सभापति को हटाने के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्रिमंडल के लिये भी एक सत्र में अस्वीकृत संकल्प अगले सत्र में रखा जा सकता है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरे विचार से इस प्रकार परिषदें काम नहीं कर सकेंगी। प्रतिदिन सभापति बदला करेंगे। नगरपालिका अधिनियम में भी एक वर्ष की व्यवस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री श्री आनन्द चन्द का संशोधन संख्या ३७ स्वीकार कर लेना चाहते हैं। मैं उसे मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३४ तथा ३५ में "for a period not exceeding three years ["तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये"] शब्दों के स्थान पर "for a period not exceeding one year" ["एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभापति तथा उप-सभापति को हटाने वाले संशोधन के सम्बन्ध में उप-सभापति शब्द हटा दिये गये। मैं इसका प्रारूप लेकर सभा के समक्ष बाद में रख दूंगा। परन्तु क्या सदस्य इसमें निहित सिद्धांत को स्वीकार करने के इच्छुक हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सिद्धांत भी स्वीकार कर लिया गया है कि चुनाव के एक वर्ष के पश्चात् तथा उनके हटाने के पहले संकल्प के एक वर्ष तक इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत नहीं होगा।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : औपचारिक रूप से, मैं संशोधन सभा में बाद में रखूंगा। खण्ड २२ पर अभी हम मत नहीं लेंग। मेरे विचार में अन्य सभी संशोधन वापस लिये गये। क्या सभा इन संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २३ पर कोई संशोधन नहीं है। खण्ड २४ पर श्री आनन्द चन्द अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २३ तथा २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २३ तथा २४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड २५—(सदस्यों के वेतन तथा भत्ते)

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं। मैं इस संशोधन के द्वारा 'केन्द्रीय' सरकार" के स्थान पर "परिषद्" शब्द रखना चाहता हूं। क्योंकि मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति परिषद् को करनी चाहिये। नियुक्ति से पूर्व प्रशासक अथवा केन्द्रीय सरकार का परामर्श लिया जा सकता है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** सही बात यह है कि हमने इसमें एक विशेष तथा अपवाद रूप व्यवस्था की है। अथवा, साधारणतः इस प्रकार की संस्थाओं के सदस्य किसी वेतन अथवा भत्तों के अधिकारी नहीं होते और न सभापति को कोई वेतन दिया जाता है। परन्तु हमारा विचार है कि इन सस्थाओं के सदस्य दूर से आते हैं क्योंकि मनिपुर, त्रिपुरा, तथा हिमाचल प्रदेश, देश के पहाड़ी इलाके हैं, तथा आदिम जाति के लोग दूर प्रदेशों में रहते हैं। इसीलिये हमने यह अपवाद स्वरूप व्यवस्था की है। मैं नहीं चाहता कि उन पर अपने वेतन तथा भत्तों को निश्चित करने का भार डालूं। यह ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह भी इससे मुक्त होना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २६ तथा २७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २८—(प्रादेशिक परिषदों के कृत्य)

†**श्री आनन्द चन्द :** मैं अपना संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि खण्ड २८ में 'पशु चिकित्सा संस्थायें आदि आनी चाहियें।

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं अपने संशोधन संख्या १० तथा ११ प्रस्तुत करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनसंख्या में ५० प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति हैं। पुनर्वास विभाग इस प्रकार का काम कर रहा है कि उससे, उसके लिये स्वीकृत धनराशि व्यर्थ जा रही है। यदि मुख्य आयुक्त के अधीन एक निर्देशक ही इसके लिये काम करता रहा तो इससे इन व्यक्तियों को पुनर्वासित करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिये यह उचित नियंत्रण में होना चाहिये अन्यथा परिषद् से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैंने सुझाव दिया कि विस्थापित व्यक्तियों, भूमियों तथा नगरपालिका आदि का नियंत्रण भी इस सूची में शामिल कर देना चाहिये।

संशोधन ११ में मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि यद्यपि भूमि, वन, सुधार आदि के लिये विधान बनाने की शक्ति हमें नहीं दी गई है इसलिये परिषद् को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वह कुछ संकल्प पारित कर सके जो केन्द्र में परामर्शदात्री परिषद् के लिये सिफारिश के तौर पर माने जा सकें।

†**श्री दशरथ देव :** अपने संशोधन में मैंने यह सुझाव दिया है कि परिषद् एक संकल्प से केन्द्रीय सरकार को जनता के हित की सिफारिश करे तथा प्रशासक उन बातों को कार्यरूप में परिणत करे यदि परिषद् की बैठक बहुमत से उस संकल्प को पारित कर दे। यह परिषद् निर्वाचित सदस्यों के आधार पर

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दशरथ देव]

बनाई गई है इसलिये कम से कम जनता की कुछ समस्याओं, जैसे झूमिया पुनर्वास, शरणार्थी पुनर्वास के बारे में कुछ शक्तियां इसको दी जानी चाहियें। यदि आप ये शक्तियां इसको नहीं देना चाहते तो कम से कम यह शक्ति तो दीजिये जिसके द्वारा यह केन्द्रीय सरकार को इनके बारे में सिफारिश कर सके। इसलिये माननीय गृह मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करें।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मेरे विचार से सभा की यह राय है कि कृषि तथा उद्यानविद्या इस सूची में सम्मिलित कर देनी चाहिये। मेरी भी माननीय गृह मंत्री से यह प्रार्थना है कि उन्हें इन दोनों विषयों को सूची में शामिल कर लेना चाहिये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यदि विस्थापित व्यक्तियों, झूमियों तथा भूमिहीन किसानों के पुनर्वास की जिम्मेदारी इन परिषदों को दे दी जाये तो इसका यह मतलब है कि श्री बीरेन दत्त इन परिषदों को दी गई जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार नहीं जानते। यदि उचित रूप से इन पर काम किया जाये तो इन मामलों के लिये अधिक धनराशि चाहिये। इन समस्याओं को सुलझाने के लिये लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। परिषदों के संसाधन बहुत सीमित हैं। राज्य सरकारें भी इन मामलों को नहीं सुलझा सकीं। जैसा कि उनको ज्ञात है केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय बंगाल, पंजाब तथा अन्य राज्यों से इन प्रश्नों पर सीधे बातचीत कर रहा है। यदि प्रारम्भ में ही इन परिषदों पर यह भार डाल दिया गया तो इससे यह पूर्णतया नष्ट हो जायेंगी। इसलिये इन जिम्मेदारियों का हस्तांतरण अथवा उनको इनका भार देना उचित नहीं होगा।

दूसरी बात उन्होंने परिषदों को सिफारिश करने का प्राधिकार देने के बारे में कही। इस बारे में भी मेरे विचार से संविधानिक योजना पर ध्यान नहीं रखा गया है। यहां परामर्शदात्री संसदीय समिति है जो नीति सम्बन्धी मामलों, आय-व्ययक के मामलों पर विचार करती है, जिससे यह सभी मामले उस समिति के सामने रखे जाते हैं जिसमें इन प्रदेशों के संसद्-सदस्य होते हैं। इसलिये ऐसा संभव है कि परिषद् से प्राप्त सिफारिश, संसद् से सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति के सुझाव से एकदम भिन्न हो। अथवा उसके विरुद्ध हो,। इसके अतिरिक्त इससे गड़बड़ी भी हो सकती है।

प्रादेशिक परिषदों का क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। इन विषयों पर ध्यान देने के लिये उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिये। वे बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और उनके लिये काफी परिश्रम और लगन की आवश्यकता होगी। इसलिये यदि हम दोनों बातों को मिला दें तो उनके क्षेत्र और उन्हें सौंपे गये कार्यों की व्याप्ति प्रकार और स्वरूप के सम्बन्ध में अनावश्यक ही गलतफहमी होगी। ये सब प्रश्न यहां मंत्रणा समिति में उठाये जा सकते हैं, जहां निर्वाचिन सदस्य इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने इन क्षेत्रों से लोक-सभा में और राज्य सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है ताकि हम यहां उनके साथ इन विषयों पर चर्चा कर सकें।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन परिस्थितियों में इन संशोधनों पर आग्रह करने से कोई लाभ नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांलिहोत्री प्रशिक्षण और अभ्यास के बारे में क्या है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** संविधान में दिये हुये राज्य-विषयों की सूची से प्रशिक्षण और व्यवसाय के बारे में ये उपबन्ध लिय गय हैं। वह "शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय" एक मद है और इसलिये

†मल अंग्रेजी में।

हमने यहां रखा है। किन्तु यहां एक अवशिष्ट खंड है जिसमें कहा गया है—

"कोई अन्य विषय जिन्हें केन्द्रीय सरकार परिषद् के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन रखने के लिये ठीक और उचित घोषित करे।"

और अन्य कोई बात जो वांछनीय समझी जाये, बाद में इन संस्थाओं को सौंपी जा सकती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री आनन्द चन्द के संशोधन के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री आनन्द चन्द :** मैं उस पर आग्रह नहीं करना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कृषि के बारे में भी, वही उत्तर है ? वह श्री जोगेश्वर सिंह का संशोधन है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वही उत्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि श्री बीरेन दत्त अपने संशोधन वापस नहीं लेना चाहते तो मैं उन्हें मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बीरेन दत्त के संशोधन संख्या १० और ११ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा वे अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड २८-क

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं एक नया खंड पुरःस्थापित करना चाहता हूं। हमें अनुभव है कि पुलिस पदाधिकारी किस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं। जब कभी नगरपालिका का निर्वाचन होता है, तब पुलिस का सहयोग नहीं रहता। कभी-कभी तो वे पिट जाते हैं। पुलिस निर्वाचित व्यक्तियों का कोई आदर नहीं करती। मेरे विचार से, यदि, यह परिषद् बनाये जाने के बाद, पुलिस और परिषद् के बीच इस तरह का कोई अनिवार्य सम्बन्ध न रहे तो परिषद् के ठीक-ठीक काम करने में कठिनाइयां पैदा होंगी। कुछ नगरपालिका अधिनियमों में ये उपबन्ध हैं। आशा है कि माननीय मंत्री यह नया संशोधन स्वीकार करेंगे। मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनके आधार पर यह प्रस्थापना स्वीकार करना कठिन है। वह कहते हैं कि पुलिस सहायता करने के बजाय ऐसी संस्थाओं के लिये रुकावटें पैदा करती है। तो इस तरह पुलिस पर जोर देकर झगड़े के अवसर अनावश्यक ही क्यों पैदा किये जायें। यह अधिक अच्छा होता कि हम दुश्मन को अकेले ही छोड़ दें, चाहे वह मित्र के या अन्य किसी के वेष में हो, और अपने कार्यों पर ही निर्भर रहे। उसके अतिरिक्त, मेरे विचार से इस खंड से अधिक लाभ नहीं होगा। इसका सम्बन्ध प्रशासनिक विषयों से है और यदि कोई व्यवस्था करनी होगी तो वह प्रशासक के परामर्श से वहीं कर दी जायेगी। अतः संविधि पुस्तक में ऐसी कोई प्रस्थापना रखना ठीक नहीं होगा। मेरी अपनी राय यह है कि प्रशासक प्रादेशिक परिषदों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने में प्रत्येक संभव सहायता दे। जहां तक सरकार और प्रशासक की बात है, वे प्रादेशिक परिषदों को सहायता देते रहेंगे और वे यह चाहेंगे कि वे न केवल अच्छी तरह बल्कि

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित गो० ब० पन्त]

क्षमतापूर्वक और सफलतापूर्वक काम करें। अतः जो संशोधन रखा गया है, वह उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं होगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बीरेन दत्त का संशोधन संख्या १२ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खण्ड २९—(कार्य संचालन)

श्री ले० जोगेश्वर सिंह ने अपने संशोधन संख्या १३, १४ और १६, श्री रिशांग किशिंग ने अपने संशोधन संख्या ४२ और ४३ और श्री बीरेन दत्त न अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत किया।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मैं पहले संशोधन संख्या १३ द्वारा "सात" के स्थान पर "दस" रखना चाहता हूं। आदिम क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बहुत खराब है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, जसे तेमेंगलौंग सब डिवीजन, जहां संचार की कोई सुविधायें नहीं हैं इसलिये जब कभी भीतरी पहाड़ियों में जाना होता है, संदेशवाहक भेजना होता है अतः जब तक सदस्यों को दस दिनों की पूर्व-सूचना न दी जाये, वे बैठक में उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अतः मेरे विचार से उन्हें दस दिन की पूर्व-सूचना दी जानी चाहिये।

मेरा संशोधन संख्या १४ यह है कि विशेष बैठकों के लिये तीन दिन की पूर्व-सूचना के बजाय सात दिन की पूर्व-सूचना दी जाये। उसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उसे स्वीकार भी करेंगे।

संशोधन संख्या १६ में यह कहा गया है कि परिषद् की बैठक की 'कार्यवाही परिषद् पुस्तिका' नामक पुस्तिका में जिस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, परिषद् की प्रत्येक बैठक के बाद यथाशीघ्र प्रकाशित की जाये। यहां उस कार्यवाही के प्रकाशन के बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। परिषद् के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता को उनके कार्यों के बारे में जानकारी रखने में दिलचस्पी होगी ताकि वह उनकी आलोचना या प्रशंसा कर सके। अतः परिषद् की कार्यवाही का सारांश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि परिषद् की कार्यवाही समाचारपत्रों को भी दी जाये। विधेयक में यह उपबन्ध तो रखा गया है कि जनता परिषद् की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है किन्तु इसका खास तौर पर कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वह कार्यवाही समाचारपत्रों को भी दी जा सकेगी। यदि वह कायवाही समाचारपत्रों के लिये खुली रखी जाये तो सदस्यों के कार्य और परिषद् की प्रगति के बारे में समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित किये जा सकेंगे।

आशा है कि माननीय गृह मंत्री मेरे सुझाव स्वीकार करेंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मैंने अपने संशोधन संख्या ४२ और ४३ द्वारा यह सुझाव रखा है कि "पूरे सात दिन" के स्थान पर "पूरे तीस दिन" और "पूरे तीन दिन" के स्थान पर "पूरे दस दिन" रखे जायें।

इन सुझावों का कारण यह है कि मुझे आदिम जाति के लोगों की व्यावहारिक कठिनाई का अनुभव है। वास्तव में दस दिन की पूर्व-सूचना से भी हमें अधिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में विमान सेवा के अतिरिक्त और कोई सेवा नहीं है। जैसे चेरीबम क्षेत्र इम्फाल से बीस मील से अधिक दूरी पर है, मनीपुर में लगभग आठ महीने वर्षा होती रहती है और विमान सेवा प्रायः बन्द हो जाती है। अतः

†मूल अंग्रेजी में।

मैं समझता हूं कि पूरे सात दिन की पूर्व-सूचना बहुत कम होगी। उस अवधि में आदिम जाति का कोई सदस्य बैठक में नहीं आ सकेगा।

मुझे यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि क्या सात दिन उस दिन से गिने जायेंगे जबकि पूर्व-सूचना जारी की जाती है। यदि ऐसा हो तो वह असंभव है। मेरे विचार से, यदि उस दिन को गिना जाता है जब कि पूर्व-सूचना जारी की गयी हो, तो तीस दिन की अवधि अवश्य रखी जानी चाहिये। जब संदेशवाहक जाता है तो संभव है कि अनेक सदस्य घर पर अनुपस्थित हों। अतः उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये ताकि वे आ सकें। सात दिन और तीन की अवधि तो बहुत ही थोड़ी है क्योंकि तीन दिन में तो आप इम्फाल से बाहर किसी गांव में भी नहीं जा सकते। यदि मंत्री महोदय तीस दिन स्वीकार न करना चाहें तो वे उसे कुछ कम कर सकते हैं, किन्तु वह अवधि अवश्य बढ़ायी जानी चाहिये। आशा है कि इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री यह आवश्यक संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं जानना चाहता हूं कि जब परिषद् की बैठकों में जनता आ सकेगी तो क्या पत्र प्रतिनिधि भी आ सकेंगे या नहीं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जी, हां। समाचारपत्र जनता का एक भाग हैं। मैं मनीपुर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में संचार की कठिनाइयां भलीभांति समझता हूं। किन्तु यदि हम तीस दिन की पूर्व-सूचना रखें तो उसका अर्थ यह होगा कि बैठकें कम से कम दो या तीन महीने के अन्तर पर न हो सकेंगी। यदि आप एक महीने की पूर्व-सूचना देते हैं तो आपको कम से कम एक महीना सामग्री इकट्ठी करने के लिये रुकना होगा जो कि अगली बैठक में रखी जा सके। तब आप एक महीने की और पूर्व-सूचना दें इस प्रकार एक साल में चार या पांच बैठकों से अधिक नहीं हो सकेंगी। मैं यह ठीक नहीं समझता। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति ७ में

"seven" (सात) के स्थान पर "twelve" [बारह] और

पृष्ठ १०, पंक्ति १० में

"three" [तीन] के स्थान पर "six" [छः] रखा जाये

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा वे स्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः श्री जोगेश्वर सिंह के संशोधन संख्या १३ में, जिससे सात दिन की अवधि को दस दिन बढ़ाने के लिये कहा गया था, दो दिन और बढ़ा दिये गये हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैंने उसे बारह कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री रिशांग किशिंग के संशोधन संख्या ४२ और ४३ अवरुद्ध हैं।

परिषद् की कार्यवाही के सारांश की प्रमाणीकृत प्रतियों के बारे में श्री दशरथ देव के संशोधन के सम्बन्ध में बताया जा चुका है। मैं समझता हूं कि श्री जोगेश्वर सिंह कार्यवाही के सारांश के सम्बन्ध में अपने संशोधन का आग्रह नहीं कर रहे हैं। अतः मैं उन्हें सभा के समक्ष मतदान के लिये रखना आवश्यक नहीं समझता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

खंड ३०—(प्रादेशिक परिषदों की बैठकों में उपस्थित रहने और भाषण देने का प्रशासक का अधिकार)

श्री रिशांग किशिंग ने अपना संशोधन संख्या ४४ प्रस्तुत किया ।

†**श्री आनन्द चन्द :** मैं अपना संशोधन संख्या ४५ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे संशोधन का प्रयोजन बहुत सरल है । वास्तव में, प्रशासक को इन बैठकों में भाषण देने का अधिकार होगा किन्तु जब अध्यक्ष पद संभालने का प्रश्न आता है, तो उनके मतदान के लिये प्रश्न भी उपस्थित होता है । अतः सबसे अच्छा मार्ग यही होगा कि उन्हें अध्यक्ष न बनाया जाये । परिषद् का अपना एक अध्यक्ष होता है और वह कार्य संचालन करता है । अतः प्रशासक को अध्यक्ष बनाने पर यदि हम उसे मतदान का अधिकार न दें तो वह अनुचित होगा और यदि वह मत न दे, तो उसके अधिकार का निरादर होता है । अतः मेरे संशोधन का यही आशय है कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया जाये ताकि वे इस खंड पर पुनर्विचार करें ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वास्तव में हमने यह उपबन्ध परिषदों के हित में ही रखा है ताकि प्रशासक परिषदों के सदयों के सम्पर्क में रहे और उसे उनसे मिलने का, और उनके साथ समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिलता रहे । इस प्रकार वह ऐसी रियायतों या अन्य उपायों की घोषणा कर सकेगा जिससे परिषद् के काम में सहूलियत हो । निस्सन्देह उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वह केवल भाषण देगा और अध्यक्षता करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु मतदान एक जसा होने पर क्या वह निर्णायक मत दे सकेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वह किसी अवस्था में भी वोट नहीं देगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** मेरे संशोधन संख्या ४४ में पक्ति १० और ११ को निकाल देने के लिये कहा गया है । मुझ प्रशासक के परिषद् की बैठक में भाग लने पर कोई आपत्ति नहीं परन्तु प्रत्येक समय अध्यक्ष बनने पर मुझे आपत्ति है । क्योंकि हो सकता है कि वह किसी का पक्ष करे, और साथ ही निर्वाचित सभापति को उसके लिये स्थान खाली करना पड़े ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जब वह भाषण देगा तब ही अध्यक्षता करेगा । साधारणतः वह अध्यक्ष नहीं होगा । इस प्रकार उनमें और निर्वाचित प्रतिनिधियों में ताल मेल रहेगा । परन्तु यदि सन्देह गलतफहमी, और अविश्वास पैदा हो जाये तो परिषद् का कार्य समुचित ढंग से नहीं चल सकेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** भाषण के बिना भी वह बैठक में आकर बैठ सकता है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** जब वह भाषण देगा तभी वह अध्यक्षता करेगा । जैसा कि सभापति जब तक परिषद् में भाषण देते हैं, अध्यक्ष पद पर बैठते हैं, और इसक बाद चले जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड ३० के पूर्व भाग में यह सन्देह रह जाता है कि वह कवल बैठक में भाग लेंगे और अध्यक्षता करेंगे । क्योंकि शब्द "यदि वह चाहें" मौजूद है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** तो ऐसा कर देते हैं "प्रशासक क्षेत्रीय परिषद् की किसी भी बैठक में भाग ल सकता है अथवा उसमें भाषण कर सकता है" ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार जब प्रशासक किस बैठक में भाग लेगा अथवा भाषण देगा तो अध्यक्षता भी करेगा। इसलिये उपखंड (२) ऐसे रहेगा :—

"जब प्रशासक किसी बैठक में भाषण देगा तो उसकी अध्यक्षता भी करेगा"

क्योंकि यदि व ऐसे आयेंगे तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। मंत्री महोदय को औपचारिक रूप में दो संशोधन प्रस्तुत करने चाहियें अर्थात् कि उपखण्ड (१) के शब्द "जब वह चाहे" हटा दिये जायें और उपखंड (२) के शब्द 'भाग ले' के लिये 'भाषण दे' रखे जायें।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्तुत करता हूं :

(१) पृष्ठ ११ पंक्ति ८ में "if he so desires" ["यदि वह चाहे"] को हटा दिया जाये।

(२) पृष्ठ ११ पंक्ति १० में "attends" ["भाग लेगा"] के स्थान पर "addresses" ["भाषण देगा"] रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३२—(अधिकारी और कर्मचारी)

श्री रिशांग किशिंग ने अपना संशोधन संख्या ४६, श्री बीरेन दत्त ने संशोधन संख्या १७, श्री ले० जोगेश्वर सिंह ने संशोधन संख्या १८ और श्री आनन्द चन्द ने संशोधन संख्या ४७ और ४९ प्रस्तुत किये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ ११ में, पंक्ति १७ से २० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(2) if a resolution for renewal of the Chief Executive Officer is passed at a meeting of the Territorial Council by a majority of not less than three-fourths of the total membership of the Council, the Administrator shall remove him forthwith."

["(२) यदि प्रादेशिक परिषद् की बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को हटाने के लिये संकल्प तीन चौथाई बहुमत से पारित हो जाय तो प्रशासक उसे फौरन हटा देगा।"]

श्री दशरथ देव ने संशोधन संख्या १९, २० और २१ प्रस्तुत किये।

†**श्री बीरेन दत्त :** मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि प्रमुख कार्यपालक अधिकारी परिषद् के सभापति की सहमति से नियुक्त हो। आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह :** मेरा संशोधन संख्या १८ यह है कि कार्यपालक अधिकारी प्रशासक द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाय।

†**श्री आनन्द चन्द :** मैं यह बात तो ठीक नहीं समझता कि प्रमुख कार्यपालक अधिकारी परिषद् का सदस्य हो। यह तो कोई अधिकारी ही होगा। और मैं यह भी ठीक ही समझता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनन्द चन्द]

प्रशासक उसे नियुक्त करे परन्तु उसकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होनी चाहिये और उसके पुनः नियुक्त किये जाने की भी व्यवस्था हो। उसे स्थायी नहीं करना चाहिये जैसा कि बम्बई नगर-पालिका निगम अधिनियम की धारा ५४ में व्यवस्था है। तीन वर्ष के पश्चात् अवसर आता है कि इस बात पर विचार किया जाये कि अधिकारी योग्य हैं अथवा अयोग्य। मेरे संशोधन के अनुसार यदि वह अच्छा है तो उसकी पदावधि तीन वर्ष के लिये और बढ़ायी जा सकती है यदि नहीं तो मतदान के बिना ही उसे हटाया जा सकता है।

†**श्री दशरथ देव :** मेरे संशोधन के अनुसार प्रमुख कार्यपालक अधिकारी प्रशासक की स्वीकृति से सभापति अथवा उपसभापति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार उसे परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने में पूरा सचेत रहना पड़ेगा।

प्रमुख अधिकारी को हटाने के लिये तीन-चौथाई बहुमत के स्थान पर दो-तिहाई होना चाहिये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** प्रशासक द्वारा कार्यपालक अधिकारी का नियुक्त किया जाना बम्बई नगरपालिका निगम अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ही है। इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। हटाने के सम्बन्ध में मैं परिवर्तन कर सकता हूं। यदि परिषद् के दो-तिहाई बहुमत से प्रमुख कार्यपालक अधिकारी को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत होगा, तो प्रशासक उसे तुरन्त हटा देगा।

इस प्रकार नियुक्ति तो प्रशासक ही करेगा, परन्तु उसके कार्य के असन्तोषजनक होने पर उसे हटाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं अपने पूर्व संशोधन संख्या ५४ को संशोधित करने वाला संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत करता हूं।

म प्रस्तावित करता हूं :

कि मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ५४ जो कि सूची ३ में छपा है---

प्रस्ताविक उपखंड (२) में "three-fourths", ["तीन-चौथाई"] स्थान पर two-third ["दो-तिहाई"] रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६ और ५४ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४६, १७, १८, ४७, १९, ४९, २० और २१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड ३३, ३४ और ३५ का कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३३, ३४ और ३५ विधयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३३, ३४ और ३५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड ३६ पर श्री आनन्द चंद ने संशोधन संख्या ५० की सूचना दी है। व्यय बढ़ाने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इस कारण यह संशोधन अनियमित है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** क्या मैं अपना संशोधन 'कि "दस" के स्थान पर "बीस" कर दिया जाय' प्रस्तुत कर सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मन्त्री को भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिये। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३६ से ५१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३६ से ५१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ५२—(नियंत्रण)

†**श्री बीरेन दत्त :** मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं। "उचित समय" शब्दों से कार्य में विलम्ब होने कि संभावना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि "तुरन्त" शब्द रखा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** दूसरा भाग परिषद द्वारा दी गई व्याख्या से सम्बन्धित है। किस समय के तुरन्त बाद ? वह परिषद से इसे लेगा और कुछ समय लगेगा। प्राप्त होने पर प्रशासक ने उस पर अपने विचार भी प्रकट करन होंगे। उसे कुछ जांच भी करनी पड़ेगी। उसके बाद वह केन्द्रीय सरकार को अपनी व्याख्या देगा। वह तुरन्त ही नहीं भेज सकता। उस से इसका समस्त प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा। परिषद को भी व्याख्या देने तथा अन्य सामग्री से इसे सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलेगा। उससे परिषद् को कोई लाभ नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतया माननीय सदस्य इस पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री बीरेन दत्त :** जी, नहीं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५३ —(क्षेत्रीय परिषदों को समाप्त करने का अधिकार)

†**श्री आनंद चन्द :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७ में पंक्ति २२ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that a reasonable opportunity shall be given to the Territorial Council to explain its conduct before the order of supersession is made final by the Central Government."

["परन्तु शर्त यह है कि क्षेत्रीय परिषद् के समापन आदेश के अन्तिम होने से पहले उसे अपने आचरण की सफाई पेश करने के लिये उपयुक्त अवसर दिया जायेगा।"]

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनन्द चन्द]

मैं उसके साथ उक्त परन्तुक जोड़ना चाहता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि इसे विधि में ही रखा जाय और अस्पष्ट न छोड़ा जाय। मेरा आशय केवल इतना ही है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** वैसे तो यह है ही। मुझे इसे स्वीकार करने मै कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री आनन्द चन्द का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५३, संशोधित रूप में विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५३* संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४ से ६४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५४ से ६४ विधेयक में जोड़ दिये गये।**

खण्ड ६५—(१९५० के अधिनियम ४३ का संशोधन)

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २१ तथा २२ में,

खण्ड ६५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

65. Amendment of Act 43 of 1950—

[६५. १९५० के अधिनियम का संशोधन]

(क) गत प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २ में

(i) the brackets and figures "(1)"; and

[(१) प्रकोष्ठ तथा अंक "(१)" हटा दिये जायें]

(ख) धारा १३ ख, उपधारा (१) में "for each Assembly Constituency, electoral College. Constituency and council Constituency. [प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचक मंडल निर्वाचन-क्षेत्र तथा परिषद निर्वाचन-क्षेत्र"] के स्थान पर "for each Parliamentary Constituency in a Union Territory each Assembly Constituency and each Council Constituency." [प्रत्येक संघीय क्षेत्र में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रत्येक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र] शब्द रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*खण्ड ५३ के उपखण्ड (१) में "perform" शब्द के बाद और "Performance of" शब्दों के बाद अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्पष्ट अशुद्धि को ठीक करने के लिए एक "Comma" लगाया गया।

**खण्ड ६२ में "made" शब्द को अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्पष्ट अशुद्धि ठीक करने के लिए हटा दिया गया।

**खण्ड ६३ में "effect" शब्द के बाद, अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्पष्ट अशुद्धि ठीक करने के लिए "to" शब्द रखा गया।

(ग) धारा १३ घ के स्थान पर निम्न धारा रखी जाये :

"13D. Electoral roll for Parliamentary Constituencies.—(1) The electoral roll for every parliamentary constituency other than a parliamentary constituency in a union territory shall consist of the electoral rolls of so much of the assembly constituencies as are comprised within that parliamentary constituency; and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral rolls for any such parliamentary constituency.

(2) The provisions of Part III shall apply in relation to every parliamentary constituency in a union territory as they apply in relation to an assembly constituency."

[**१३ घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये निर्वाचक नामावलियां**—(१) संघीय-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां उन सब नामावलियों से तैयार होंगी जितनी कि उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्र हैं, और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये पृथक निर्वाचक नामावलियां तैयार करना आदि आवश्यक न होगा ।

(२) भाग ३ के उपबन्ध संघीय क्षेत्र के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र पर लागू होंगे जैसे कि वह प्रत्येक विधान मंडलीय निर्वाचन-क्षेत्र पर लागू होंगे"]

(घ) भाग ३ के शीर्षक में "and Electoral College" [और निर्वाचक मंडल] शब्द हटा दिये जायें ;

(ङ) धारा १४ के खण्ड (क) में "or an electoral college constituency" ["अथवा एक निर्वाचक मंडल निर्वाचन क्षेत्र"] शब्द हटा दिये जायें;

(च) धारा २७ क में, उपधारा (३), (४) तथा (५) के स्थान पर निम्न उपधारायें रखी जाएं :

"(3) The Electoral College for the union territory of Delhi shall consist of the persons who immediately before the first day of November, 1956, were members of the Legislation Assembly of the State of Delhi.

(4) The Electoral College for each of the union territories of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura shall consist of the members of the Territorial Council constituted for that territory under the Territorial Councils Act, 1956."

["(३) दिल्ली संघीय-क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में वे सदस्य होंगे जो एक नवम्बर, १९५६ से तुरन्त पहले दिल्ली राज्य विधान-सभा के सदस्य थे ।

(४) हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों में वे सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ के अधीन बनाई गई क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य हों"]

(छ) धारा २७ ख, २७ ग तथा २७ घ हटा दी जायें ; और

(ज) पांचवीं अनुसूची में दूसरे स्तम्भ में "४१" (४१) के स्थान पर "४०" (४०) रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक संशोधन और है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संशोधन सूची ३ में प्रकाशित संशोधन संख्या ५२ में उपखण्ड ("h") (ज) हटा दिया जाय ।

†**श्री दशरथ देव :** मैं संशोधन संख्या ५३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री आनन्द चन्द :** मेरा भी एक संशोधन है । उसकी संख्या ५२ है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २२, पंक्ति ४ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"but shall not include any of the two members nominated by the Central Government under subsection (3) of section 3."

["किन्तु धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई दो सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगे ।"

†**श्री दशरथ देव :** माननीय मंत्री ने संशोधन को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । मुझ इसके बारे में अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिये हैं । वे सब प्राविधिक हैं । वे इन परिषदों द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में हैं । ये उपबन्ध इस कारण किये गये हैं ताकि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुकूल हो जायें । इनसे कोई नई बात की व्यवस्था नहीं होती । इनके द्वारा विधेयक के पहले भाग के उपबन्धों को प्रभावी बनाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले संशोधन संख्या ५८ रखूंगा जो कि संशोधन संख्या ५५ का संशोधन है । प्रश्न यह है :

संशोधन सूची ३ में प्रकाशित संशोधन संख्या ५५ में उपखण्ड ("b") (ज) हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ५५ में संशोधन संख्या ५८ से संशोधन हुआ है । अब मैं संशोधन संख्या ५५ को संशोधित रूप में रखूंगा ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गो० ब० पन्त का संशोधन संख्या ५५ संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब श्री आनन्द चन्द का संशोधन कुछ रूपभेद के साथ रखूंगा । प्रश्न यह है :

माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन में तथा संशोधन सूची ३ में संख्या ५५ पर प्रकाशित संशोधन में;

प्रस्तावित धारा २७ क की उपधारा (४) खण्ड ६५ के अन्त में यह जोड़ा जाये :

"But shall not include any of the members nominated by the Central Government under Sub-Section 3 of section 3."

["किन्तु धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित कोई सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६६—(१९५१ के अधिनियम ४३ का संशोधन)

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २२ में—

खण्ड ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

66. Amendment of Act 43 of 1951 : In the Representation of the People Act :—

[**६६. १९५१ के अधिनियम ४३ का संशोधन**—जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में,

(क) धारा २ में—

(१) उपधारा (१), खण्ड (ख) में "or the electoral College of a Union territory" (अथवा संघीय क्षेत्र के निर्वाचक मण्डल) को हटा दिया जाये;

(२) उपधारा (२) में, "an electoral College Constituency" (एक निर्वाचक मण्डल निर्वाचन-क्षेत्र) शब्द हटा दिये जायें ।

(३) उपधारा (३) में "or the electoral College of a Union territory" (अथवा एक संघीय क्षेत्र का निर्वाचक मण्डल) शब्द हटा दिये जायें;

(ख) भाग २ में अध्याय ४ हटा दिया जाये;

(ग) धारा १३ हटा दी जाये;

(घ) धारा १९ में "an electoral College Constituency" (एक निर्वाचक मण्डल निर्वाचन-क्षेत्र) शब्द हटा दिये जाये;

(ङ) धारा ६७ क में "or to the electoral College of a Union territory" (अथवा एक संघीय-क्षेत्र के निर्वाचक मण्डल को) शब्द हटा दिये जायें;

(च) धारा ७२ हटा दी जाये;

(छ) धारा १४८ हटा दी जाये;

(ज) धारा १५८ में उपधारा (४) के पहले परन्तुक में "or Council of States Constituency" (अथवा राज्य-परिषद् निर्वाचन क्षेत्र) शब्द हटा दिये जायें ।]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५६ सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड २२ को, जिसे रोक लिया गया था, लेते हैं। अब मैं सरकार द्वारा तैयार किये गये संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन किये गये : (१) पृष्ठ ६,

पंक्ति ३५ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(2) If a resolution for the removal of an elected Chairman is passed by not less than two-thirds of the total membership of the Council at a meeting convened in accordance with the provisions of sub-section (3), such resolution shall have the effect of removing the Chairman from his office as from the date on which the resolution is so passed and if such resolution is passed by less than two-thirds but not less than one-half of the total membership of the Council, the Administrator may, by order in writing remove for reasons to be recorded the Chairman from his office as from such date as may be specified in the order:

Provided that no such resolution shall be brought within one year from the date of election of the Chairman:

Provided further that if the resolution is not passed by not less than two-thirds of the total for the removal of the Chairman shall be allowed membership of the Council, no other resolution, to be considered within one year from the date on which such resolution was considered.

(3) A notice in writing of the intention to move a resolution referred to in sub-section (2) signed by not less than one-third of the total membership of the Council together with a copy of the proposed resolution shall be delivered to the Administrator in accordance with the rules made by the Central Government in this behalf and the Administrator shall, after giving not less than fifteen days' notice thereof, convene for the consideration of the resolution a meeting of the Council to be held in the office of the Council on a date not later than thirty days from the date on which the notice was delivered to him and he shall preside over the meeting."

["(२) उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोजित किसी बैठक में यदि निर्वाचित सभापति को हटाने के लिये कोई संकल्प परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित हो जाता है तो ऐसा संकल्प सभापति को उसके पद से, उस तारीख से जिसको कि वह संकल्प पारित होता है, हटाने के लिये प्रभावी होगा और यदि ऐसा संकल्प दो-तिहाई से न्यून पर परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित होता है, तो प्रशासक[१] अभिलिखित कारणों के लिये लिखित आदेश द्वारा सभापति को, उस तारीख से जिसका उल्लेख आदेश में किया गया हो, उसके पद से हटा सकता है :

परन्तु सभापति के निर्वाचन की तारीख के एक वर्ष के भीतर ऐसा कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जायेगा :

---

†मूल अंग्रेजी में।

१. Administrator

परन्तु, अग्रेतर, यदि संकल्प परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित नहीं होता तो सभापति को हटाने के लिये अन्य किसी संकल्प की ऐसे संकल्प पर विचार करने की तारीख के एक वर्ष के भीतर, अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित संकल्प का प्रस्ताव करने की इच्छा की लिखित सूचना परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तावित संकल्प की एक प्रति सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसरण में, प्रशासक को दी जायेगी और प्रशासक पन्द्रह से अन्यून दिनों की सूचना देने के पश्चात् किसी तारीख को, जो उस तारीख के ३० दिन बाद न हो जिस दिन उसे सूचना दी गयी थी, संकल्प पर विचार करने के लिये परिषद् के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन करेगा और वह बैठक का सभापतित्व करेगा ।"]

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ३६—

For '(2)' substitute '(4)'—

[Pandit G. B. Pant]

["(२)" के स्थान पर "(४)" रखा जाये ।

[पंडित गो० ब० पन्त]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २२, संशोधित* रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ)

†**श्री आनन्द चन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ८ से ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(3) It shall come into force on the 1st day of January, 1957."

["(३) यह १ जनवरी, १९५७ से लागू होगा।"]

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रवर्तन के लिये कोई निश्चित तारीख नहीं रखी गयी है । सामान्य निर्वाचन एक निश्चित तारीख पर होने जा रहे हैं और यदि राज्यक्षेत्रीय परिषदों का उनसे सम्बन्ध है तो हमें इस सम्बन्ध में जल्दी करनी चाहिये। अतः मैं १ जनवरी का सुझाव सभा तथा मंत्री महोदय के समक्ष रखता हूं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने सोचा था कि इस विधान को लागू करने के लिये किसी ज्योतिषी से परामर्श करके तारीख निश्चित करूंगा । पर चूंकि वह १ जनवरी का सुझाव देते हैं, अतः मैं उनकी बात मानता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*अध्यक्ष के निदश के अधीन स्पष्ट अशुद्धि को शुद्ध करने के लिये खण्ड २२ के उपखण्ड (२) के अंग्रेजी पाठ में "will" के स्थान पर "shall" रख दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ८ से ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :–

"(3) It shall come into force on the 1st day of January, 1957."

["(३) यह १ जनवरी, १९५७ से लागू होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और बिल का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

मैं आशा करता हूं कि परिवर्तन किये जाने के बाद सभी माननीय सदस्य, जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं या वे जिन पर इसके उपबन्धों का प्रभाव पड़ेगा, इस विधेयक को स्वीकार करेंगे । मैं अधिक नहीं कहना चाहता । मैं इन परिषदों की सफलता की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य इसमें सहयोग दें ताकि ये परिषदें जो इन क्षेत्रों में पहली बार स्थापित की जा रही हैं, विश्वसनीय सिद्ध हो सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**श्री बीरेन दत्त** : हम गत ५ वर्ष से इस सभा में हैं और अनेक आश्वासन दिये जाने के बाद भी आज तक कोई भी प्रगतिशील विधेयक इस सभा में भूमि-सुधार के लिये नहीं रखा गया । यह विधेयक प्रस्तुत किया गया और हम लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया । पर मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि यह मंत्रणा परिषद्, वास्तव में, एक काम करने वाली संस्था के समान होना चाहिये ।

त्रिपुरा की जनता के सामने अनेक समस्यायें हैं । वहां की कृषि-प्रणाली में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है । शरणार्थियों के पुनर्वास की भी समस्या है । शरणार्थियों के पुनर्वास के बाद कुछ दावेदार सरकारी पदाधिकारियों की सहायता से उनको उस भूमि पर से हटा रहे हैं जिस पर उन्हें पुनर्वासित किया गया था । यह सब बड़े दुख की बातें हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उन मामलों की ओर जो इसमें नहीं आ पाये हैं, अधिक सावधानी से विचार करें ।

†**श्री आनन्द चन्द** : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । पुनर्गठन की योजना इस सभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद सांविधानिक स्थिति और विशेषतया इन संघ राज्य-क्षेत्रों की वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है ? बार बार हमारे सामने इन राज्य-क्षेत्रों के विधान-मण्डलों का प्रश्न आता है । इन राज्य-क्षेत्रों में विधान-मण्डलों या मंत्रि परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि जो विषय इन क्षेत्रों के लिये रखे गये हैं उनकी सूची विस्तृत नहीं है पर जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, उस सूची को बढ़ाया जा सकता है । ये राज्य-क्षेत्र अधिक-से-अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग कर सकते हैं ।

जब पुनर्गठन योजना की चर्चा हो रही थी तो हिमाचल प्रदेश के अनेक प्रतिनिधि यह चाहते थे कि उसे राज्य ही रखा जाय । हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य-क्षेत्र के रूप में कई एक कार्य संघ की सहायता से करने पड़ेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आज बड़े-बड़े राज्यों या क्षेत्रों का युग है। ये संघ राज्य-क्षेत्र केवल उस समय तक रहेंगे जब तक कि उनमें रहने वाले व्यक्तियों का स्तर ऊंचा न उठ जाय। मुझे आशा है कि केन्द्र के संरक्षण में हिमाचल प्रदेश की जनता शीघ्र ही अन्य राज्यों की जनता की भांति उन्नति करेगी।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : यदि हम ऐसी धारणा बनायें कि ये संघ राज्य-क्षेत्र—हिमालय प्रदेश, मनीपुर या त्रिपुरा—कालान्तर में निकटवर्ती राज्यों में मिला दिये जायेंगे तो वहां की जनता वहां के विकास-कार्यों में रुचि नहीं लेगी। अत: मैं हिमाचल प्रदेश से आने वाले अपने मित्र की बात से सहमत नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस विधान के लिये पर्याप्त समय दिया।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विधान मात्र से वहां की जनता की राजनैतिक आकांक्षायें पूरी नहीं होंगी और कालान्तर में इन संघ राज्य-क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार बनाना उचित होगा जैसा कि अमरीका के कुछ राज्यों में है।

अमरीका में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या ३ लाख है और वहां पर राज्यक्षेत्रीय विधान सभायें हैं। फिर, भारत में पांच, दस या १५ लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विधान-सभायें क्यों नहीं बन सकतीं। कालान्तर में हमें इस विधेयक में सुधार करना पड़ेगा और हमें इन राज्य-क्षेत्रों के साथ अन्य राज्यों का-सा ही व्यवहार करना चाहिये।

हमारे पास वनों और खनिज संसाधनों की कमी नहीं है। इन संसाधनों का विकास होने पर हमें केन्द्र पर वित्तीय सहायता के लिये निर्भर नहीं रहना होगा। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कालान्तर में इन राज्य-क्षेत्रों को उच्च स्तर प्रदान करेंगे।

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं इस सभा के माननीय सदस्यों तथा विशेषरूप से आपको, धन्यवाद देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पेश करना है जिनकी आवश्यकता रक्षित बैंक द्वारा बैंकिंग समवाय अधिनियम के संचालन में महसूस की गयी है। जबकि भारत में बैंकिंग प्रणाली की सामान्य स्थिति संतोषजनक है और कार्यसंचालन के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने में काफी सफलता भी मिल चुकी है, इस विधि के कुछ भागों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता मालूम हुई है ताकि भारत का रक्षित बैंक व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली ढंग से सुधार कर सके और कुछ बैंकिंग समवायों पर नियन्त्रण रख सके ताकि अग्रिम राशियों तथा विनियोजनों के मामलों में उत्पन्न होने वाले गंभीर दोषों को दूर किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं विधेयक के महत्वपूर्ण खण्डों का जिक्र संक्षेप में करूंगा । खण्ड २, किसी बैंक के उच्च श्रेणी के कार्यपालिका पदाधिकारियों के अधिक पारिश्रमिक के भुगतान के परीक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में है । धारा १० (१) (ख) (दो) में, जैसा कि उसका विद्यमान स्वरूप है, व्यवस्था की गई है कि कोई भी बैंकिंग समवाय ऐसे किसी व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा जिसका पारिश्रमिक या उसका कोई अंश कमीशन या समवाय के नाम के अंश के रूप में हो । इस खण्ड की व्याख्या के सम्बन्ध में एक संशय उत्पन्न हुआ है—और उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामला विचाराधीन है—जिसमें यह विषय अन्तर्ग्रस्त है कि क्या विद्यमान उपधारा बैंकिंग समवाय को अपने कर्मचारियों को बोनस (लाभांश) देने से रोकती है । जहां तक मुझे पता है, १९४९ में, जब यह विधेयक पारित हुआ था, ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि कोई बैंकिंग समवाय अपने कर्मचारियों को बोनस न दे यदि वह देना चाहता है । इसी संशय को दूर करने के लिये इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

अगला उपबन्ध विद्यमान धारा १० (१) (ख) (तीन) के सम्बन्ध में है जिसमें उपबन्ध है कि कोई बैंकिंग समवाय किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा जिसका पारिश्रमिक, बैंकिंग व्यवसाय में प्रचलित सामान्य स्तर के अनुसार, समवाय के संसाधनों के अनुपात से अधिक हो । विद्यमान धारा में २ कसौटियां इस प्रकार हैं—बैंकिंग व्यवसाय में प्रचलित सामान्य स्तर और बैंकिंग समवाय के संसाधन चूंकि पारिश्रमिक का सम्बन्ध बैंकिंग समवाय के संसाधनों से है,अतः बड़े बड़े बैंकों के बड़े पदाधिकारियों के वेतनों के सम्बन्ध में आपत्ति इस आधार पर नहीं उठाई जा सकी कि अनेक वेतन उन बैंकों के कुल संसाधनों का एक छोटा भाग हैं । इसके अतिरिक्त उक्त कसौटियां लागू करते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि बैंकिंग समवाय द्वारा पर्यवेक्षक कर्मचारियों[1] को दिये जाने वाले वेतन के स्तर और मजूरी के स्तर की तुलना में यह वेतन अनुपात की दृष्टि से काफी ऊंचा है अथवा नहीं । जैसा कि गजेन्द्रगड़ कर आयोग ने कहा है । विद्यमान धारा में जिन प्रमापों की व्यवस्था की है गई है वे पर्याप्त नहीं हैं और अब संशोधित धारा १० की प्रस्तावित उप-धारा (२) में और प्रमाप उपबन्धित होने वाले हैं ।

इस विधेयक के खण्ड ३ और ४ का उद्देश्य बैंकिंग समवाय अधिनियम की, जोकि अन्य बातों के साथ-साथ अंशधारियों[2] के मताधिकारों से सम्बन्ध रखता है, विद्यमान धारा १२ के स्थान पर नई धारा रखना तथा उसे और व्यापक बनाना है । वर्तमान धारा १२ (४) यह उपबन्ध करती है कि किसी एक अंशधारी के मताधिकार सभी अंशधारियों के कुल मताधिकारों के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये । १५ जनवरी, १९३७ से पूर्व संस्थापित बैंकिंग समवायों पर यह उपबन्ध लागू नहीं होता । मुझे इस बात का निश्चय है कि बैंकिंग समवाय अधिनियम पर इस सभा में जब चर्चा हुई थी तो जो सदस्य उपस्थित थे उन्हें इस बात का स्मरण होगा कि तब भी कुछ सदस्यों के मन में यह धारणा थी कि १९३७ से पूर्व निगमित[3] बैंकिंग समवाय भी इस विशिष्ट धारा की परिधि में लाये जाने चाहिये । १५ जनवरी, १९३७ से पूर्व निगमित अनुसूचित समवायों[4] और अनुसूचित समवायों की संख्या क्रमशः ४५ और २४७ है । इनमें से कुछ समवाय बड़े हैं जहां मताधिकार कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में है । मेरा ख्याल है कि जबकि सामान्यतः यह अपेक्षा की जा रही है कि मताधिकार के अनुचित प्रयोग पर किसी-न-किसी प्रकार का नियन्त्रण होना चाहिये तो इस विशिष्ट उपबन्ध को सामान्यतः सब समवायों पर लागू करना उचित होगा ।

---

१ Supervisory staff.
२ Shareholders.
३ Incorporated.
४ Scheduled banks.

वर्तमान विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित व्यक्तियों के माध्यम से किसी बैंकिंग समवाय की अंश पूंजी[१] के अधिकांश भाग पर अधिकार जमाये रखने से रोक सके यद्यपि इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध विद्यमान है। किन्तु इस प्रकार अधिकार जमाकर उक्त व्यक्ति उनके माध्यम ऐसा हित अर्जित कर लेता है जो प्रबन्ध को प्रभावित कर सकता है। इसलिये, नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का अधिकार जमाने को रोकने के लिये धारा १२ में संशोधन किया जाने वाला है और ऐसे अधिकार की सीमा जानने के लिये अब यह किया जाने वाला है कि प्रत्येक सभापति, प्रबन्ध निदेशक[२] अथवा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी[३] को रिजर्व बैंक को समय-समय पर विवरणी[४] देनी चाहिये, जिसमें उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंशों के अथवा उनकी धृतियों[५] में हुये किसी परिवर्तन के पूरे ब्योरे होंगे।

१५ जनवरी, १९३७ से पूर्व निगमित बैंकिंग समवायों सम्बन्धी खण्ड ४ के बारे में जहां मताधिकार इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में हो, वहां नये निर्वाचन आवश्यक होंगे क्योंकि बिना किसी निर्बन्ध के मताधिकार के आधार पर निदेशालय[६] है, अर्थात्, यदि यह विधि पारित की जाती है और लागू की जाती है तो निर्देशकों के नामांकन और उनके निर्वाचन के बारे में जो स्थिति है उसे, संशोधित विधि के अनकूल, बदला जाना होगा।

विधेयक का खण्ड ५ अधिनियम की धारा १६ के बारे में है जो किसी बैंकिंग समवाय में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक बनाने से रोकती है जो किसी अन्य बैंकिंग समवाय का निदेशक है। यह अनुभूत किया जाता है कि इस प्रतिबन्ध की परिधि बढ़ाई जाये। कतिपय बैंकिंग समवायों के बारे में यह देखा जाता है कि कुछ निदेशक कई अन्य समवायों में, जिनके पास सम्बन्धित समवायों की अंश पूंजी का कुल मिलाकर पर्याप्त भाग होता है, दिलचस्पी रखते हैं। इस प्रकार शक्ति के केन्द्रीकरण की कल्पना की विवेचना अन्य अधिनियम, अर्थात समवाय अधिनियम में की गई है। इस प्रकार निदेशक ऐसे बैंकिंग समवायों में ऐसा हित अर्जित करते हैं जो उन समवायों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस कारण धारा १६ में संशोधन किया जाने वाला है ताकि बैंकिंग समवाय किसी ऐसे व्यक्ति को अपना निदेशक न बना सकें जो ऐसे अन्य समवायों का निदेशक है जो बैंकिंग समवाय के सभी अंशधारियों के कुल मताधिकार के २० प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

खण्ड ६ का सम्बन्ध जानकारी मांगने से है। बैंकिंग समवायों के निरीक्षण के समय कुछ समवायों ने उन व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने समवाय से ऋण लिया था, रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिये इस आधार पर अनिच्छा व्यक्त की थी कि वर्तमान धारा २७ के अनुसार रिज़र्व बैंक केवल समवाय के बारे में जानकारी मांग सकता है, उसके ग्राहकों के बारे में नहीं। यदि मांगी गई जानकारी से कोई अनुचित लाभ उठाया जाता है तो स्थिति कुछ संदिग्ध हो जाती है। मेरा ख्याल है कि रिज़र्व बैंक को जो कुछ शक्तियां प्राप्त हैं उनके कारण वह समवायों को जानकारी देने के लिये बाध्य कर सकता है। फिर भी इस समय जो परिस्थितियां विद्यमान हैं, उन्हें देखते हुये कई समवायों के बारे में कोई संविहित उपबन्ध होना निश्चय ही आवश्यक है। इसलिये, इस धारा की परिधि को विस्तृत किया जाने वाला है ताकि रिजर्व बैंक को, न केवल समवाय के व्यापार अथवा कार्य अपितु, ऐसे समवाय से सम्बन्धित व्यक्तियों के व्यापार अथवा कार्य के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार प्रदान किया जा सके।

---

१ Share Capital.
२ Managing Director.
३ Chief Executive Officer.
४ Returns.
५ Holdings.
६ Directorate.

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इस विधेयक का खण्ड ७ मौजूदा धारा ३६ (१) (क) के बारे में है। इस धारा के अधीन रिज़र्व बैंक सब बैंकिंग समवायों को अथवा किसी विशिष्ट समवाय को किसी विशिष्ट कार्य अथवा कार्यों को न करने का इशारा दे सकता है या करने से रोक सकता है और सामान्यत: समवायों को परामर्श दे सकता है। किसी समवाय का कार्य सम्हालने के समय कभी-कभी, संभवत: किसी ऐसे विशिष्ट समय जबकि वह मुनाफा प्राप्त न कर रहा हो, ऐसा होता है कि वह उन संसाधनों में से लाभांश[1] देने की घोषणा कर देता है जो उस समवाय में रुपया जमा करने वाले व्यक्तियों को अन्यथा संरक्षण प्रदान करते हैं। जब ऐसी घटना हुई तो रिज़र्व बैंक को उसके सालिसिटरों ने यह परामर्श दिया कि वह बैंकिंग समवाय को किसी विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिये एक निदेश[2] दे सकता है। परन्तु, मान लीजिये कि वह लाभांश देने की घोषणा है। उसे कोई कार्य-संपादन करना नहीं माना जायेगा क्योंकि वह एक ऐसी बात है जो समवाय अपनी इच्छा से करता है और जहां किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं आता। एक अन्य घटना हुई है जहां यह पाया गया कि किसी विशिष्ट समवाय ने ऐसा ऋण दिया था जिसके लौटाये जाने की संभावना न थी। सामान्यत: रिज़र्व बैंक ऐसा ऋण वापस ले लेने के लिये कहता है। हमारे विधि परामर्शदाताओं की राय में वर्तमान उपबन्ध के आधार पर रिज़र्व बैंक ऐसा नहीं कर सकता था। वास्तव में, वर्तमान विधि के अनुसार रिज़र्व बैंक को ऐसा निदेश, जिसे वह राष्ट्रहित में आवश्यक समझे, निकालने की शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रस्तावित धारा ३५ क रिजर्व बैंक को यह अधिकार देती है कि वह राष्ट्रहित में बैंकिंग समवायों को निदेश दे सके, अथवा किसी बैंकिंग समवाय के कार्यों को उस बैंकिंग समवाय के हितों के लिये हानिकर ढंग से किये जाने से रोक सके अथवा सामान्यतया किसी भी बैंकिंग समवाय के उचित प्रबन्ध की व्यवस्था करा सके। वास्तव में संशोधन करने वाली यह धारा अपने वैधानिक परामर्शदाताओं के परामर्श से ही निकाली गयी थी।

समवाय अधिनियम की धारा २६८ और २६९ के अधीन, जो सार्वजनिक बैंकिंग समवायों पर भी लागू होती हैं, प्रबन्ध[3] अथवा पूरे समय काम करने वाले निदेशक[4] की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति और पहली बार प्रबन्ध अथवा पूरे समय काम करने वाले निदेशक की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार का अनमोदन प्राप्त होना चाहिये। वर्तमान धारायें किसी समवाय के व्यवस्थापक[5] अथवा मुख्य कार्यपालक-अधिकारी[6] पर लागू नहीं होतीं। ये निजी बैंकिंग समवायों पर भी लागू नहीं होतीं। यह वांछनीय है कि इन धाराओं के उपबन्ध सभी बैंकिंग समवायों पर, चाहे वे सार्वजनिक हों अथवा निजी, और बैंकिंग समवायों के व्यवस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर भी लागू होने चाहियें और क्योंकि बैंकिंग समवायों का प्रशासन रिज़र्व बैंक के हाथ में है और क्योंकि रिजर्व बैंक ही इस प्रश्न पर विचार करने में अधिक सक्षम है, यह वांछनीय समझा गया है कि यह शक्ति केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा रिजर्व बैंक में ही निहित होनी चाहिये। यह तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है ही। इस प्रकार के विषय में रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ही कार्य करेगा।

इसी प्रकार, समवाय अधिनियम की धारा ३१० और ३११ के अधीन किसी प्रबन्धक अथवा पूरे समय कार्य करने वाले निदेशक के पारिश्रमिक में वृद्धि का उपबन्ध करने वाला संशोधन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। यदि यह शक्ति केन्द्रीय सरकार के ही पास रहने दी गयी तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन तो रिजर्व बैंक

---

१ Dividend.
२ Direction.
३ Managing.
४ Whole-time Director.
५ Manager.
६ Chief Executive Officer.

करेगा, और इन व्यक्तियों के वेतन, आदि में वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी। इस बात की व्यवस्था के लिये, कि इस मामले का निबटारा करने के लिये केवल एक ही प्राधिकारी हो, यह अनुभव किया गया है कि पारिश्रमिक में किसी प्रकार की वृद्धि सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग भी रिज़र्व बैंक द्वारा ही किया जाये और धारा २६८, २६९, ३१० और ३११ के उपबन्धों को बैंकिंग समवायों पर लागू न किया जाये।

खण्ड ३८ के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा ३६ (१) (घ) (दो) में यह उपबन्ध किया गया है कि धारा ३५ के अधीन किसी बैंकिंग समवाय के निरीक्षण के समय अथवा निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक लिखित आदेश देकर, उस लिखित आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर, उस समवाय के प्रबन्धक में वैसे परिवर्त्तन करा सकती है, जिन्हें उस निरीक्षण से प्रगट हुई स्थिति के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आवश्यक समझे। प्रबन्ध में सुधार करने, अथवा किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों को किसी बैंकिंग समवाय से अनुचित लाभ उठाने से रोकने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने लगभग १० बैंकों के लिये रिजर्व बैंक के एक पदाधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और उसे यह अधिकार दिया है कि वह बोर्ड के विचार-विनिमय में भाग तो नहीं ले सकता परन्तु बोर्ड की बैठक में उपस्थित रह सकता है। कुछ बैंकों के विषय में पर्यवेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक शर्त रखी गयी थी—जैसा मैंने पहले कहा था, रिजर्व बैंक की शक्तियों के कारण नहीं, वरन् कुछ अन्य शक्तियों द्वारा—अर्थात् यह धमकी दी गयी थी कि बैंक का नाम अनुसूचित बैंकों की सूची में से निकाल दिया जायेगा, अथवा उसका लाइसैंस वापस ले लिया जायेगा। परन्तु साथ ही कुछ बैंकों के विषय में पर्यवेक्षक की नियुक्ति करनी संभव हुई और इसमें बैंकों ने भी सहयोग प्रदान किया, जिसका फल यह हुआ कि कई मामलों में वित्तीय स्थिति में निश्चित सुधार परिलक्षित हुआ है। कुछ भी हो, स्थिति को और भी बिगड़ने से रोका गया है, परन्तु जैसा मैंने पहले भी कहा है, यह कार्यवाही पूरी तरह बैंक की सहमति पर, अथवा ऐसी शक्ति के प्रयोग पर निर्भर है, जिसका प्रयोग सामान्यतया नहीं किया जाना चाहिये। दोनों में ही विलम्ब होता है, और बाधाओं और विलम्ब के कारण वैधानिक स्थिति को काफी स्पष्ट रखना पड़ता है। प्रस्थापित संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को यह शक्ति देने की व्यवस्था की गयी है कि वह इस प्रयोजन के लिये अपने एक या अधिक पदाधिकारियों को नियुक्त कर सके।

खण्ड १० बैंक-अधिकारियों को सरकारी अधिकारी (का स्थान देने) बनाने के प्रश्न से सम्बंन्धित है। यदि बैंक का कोई पदाधिकारी घूस लेते हुये पकड़ा जायेगा तो कानून की दृष्टि में उसके साथ सरकारी अधिकारी जैसा व्यवहार किया जायेगा और ऐसे मामलों में उसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी जैसी भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय ९ के अधीन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा सकती है।

इसके साथ मेरी बात लगभग पूरी हो जाती है।

इन उपबन्धों के फलस्वरूप का वर्णन करने के बाद अब मैं इस विधेयक के औचित्य का उल्लेख करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक को यदि इसी सत्र में प्रस्तुत न किया जाता तो क्या महान विपत्ति आ पड़ेगी। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि भले ही कोई महान विपत्ति न आ पड़े परन्तु यदि उसे इसी रूप में इसी सत्र में पारित न किया गया तो आगामी पांच छः मासों में इस प्रकार के और बहुत से मामले हो जायेंगे। निश्चय ही, आगामी दो महीनों तक तो आय-व्ययक के सम्बन्ध में ही व्यस्त रहेंगे और इसलिये इस प्रकार के बैंकों को, जिनकी कार्यवाहियों को हम इस विधेयक विशेष के उपबन्धों के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी सावधानियां करने का अवसर मिल जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य असफल हो जायेगा। यदि मैं यह समझता कि यह विधेयक इसी समय पारित होकर विधि नहीं बन सकेगा तो मैं इसे प्रस्तुत ही न करता। यही इसका सर्वप्रथम कारण है। आप यह कह सकते हैं कि आठ नौ महीनों में क्या हो जायेगा।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यह तो एक उचित तर्क नहीं है। यदि ऐसा देखा गया कि बैंकिंग समवाय अधिनियम की किसी विशेष धारा के कारण जिसे हमने किसी असंगत प्रयोजन के लिये लागू कर दिया था, उस विशेष उपबन्ध के क्षेत्र से बहुत से बैंकिंग समवाय बाहिर रह जाते हैं, तो हम समझ जायेंगे कि हमने कुछ गलती की है और उसमें सुधार कर लेना चाहिये। हम, इस समय इस प्रकार की बहुत सी संस्थाओं को उचित रूप देने और उनकी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुये में यह आवश्यक समझता हूं कि जब भी किसी त्रुटि का पता चले, उसी समय अधिनियम में संशोधन कर दिया जाये। वास्तव में इनमें से कुछ एक उपबन्धों को समवाय विधि के एकदम बाद ही लागू कर देना चाहिये था। संभवतः एक दृष्टि से थोड़े समय के लिये प्रतीक्षा करना ठीक ही थी। उदाहरणार्थ बैंक पदाधिकारियों के वेतनों को निश्चित करने अथवा नियुक्तियों की मंजूरी देने के प्रश्न पर समवाय विधि प्रशासन के पत्रोत्तरों की कुछ एक प्रतियों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ४३० रुपये मासिक वेतन के किसी प्रबन्धक की नियुक्ति की मंजूरी का देना सरकार का काम है। निश्चय ही इस प्रकार की शक्ति का पालन करना सरकार के लिये बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिये हम यह अनुभव करते हैं कि यह काम रिज़र्व बैंक करे।

माननीय सदस्यों को यह भी बताया जा सकता है जबकि बैंक के पदाधिकारियों के वेतनों को न केवल बैंक ही के संसाधनों की दृष्टि से, अपितु वर्तमान स्थितियों के विचार से भी निश्चित करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की शक्ति को व्यापक बनाया जा रहा है, तो एक सीमा क्यों नहीं निर्धारित कर दी जाती? मैं समझता हूं कि वैसा करना कठिन होगा, क्योंकि उसके लिये हमारा जो मापदण्ड है, वह बड़ा कठिन है। हो सकता है कि किसी बैंक में कोई व्यक्ति अपवाद स्वरूप ले लिया जाये और उसे निश्चित सीमा से अधिक वेतन देना पड़। अतः कोई सीमा निर्धारित करना कठिन है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इस शक्ति को सरकार अपने पास रखे, जैसे कि उसने समवाय अधिनियम में किया है। मैं समझता हूं कि यह काम इस निकाय को ही सौंप देना अच्छा होगा।

माननीय सदस्यों द्वारा यह भी पूछा जा सकता है कि रक्षित बैंक को इतनी अधिक शक्तियां देने का उद्देश्य क्या है। वास्तव में यह एक विशेष निकाय है जो कि एक विशेष प्रकार का कार्य कर रहा है। उसका ध्यान इस काम पर सदा केन्द्रित रहता है। यदि रक्षित बैंक इस काम में असफल सिद्ध हुआ, तो हम उन त्रुटियों को फिर से सुधार सकते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के अधीन सरकार को वैसा करने का अधिकार प्राप्त है। यदि रक्षित बैंक इस कार्य को अच्छी प्रकार से न कर सका तो हम बोर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि रक्षित बैंक का किसी पदाधिकारी ने अपना कार्य उचित प्रकार से न किया तो उसे हम हटा सकेंगे। संसद् ने सरकार को ये सब शक्तियां दी हुई हैं। तो भी उसके लिये जितने अधिक ध्यान की आवश्यकता है, वह इस संस्था द्वारा दिया जा सकता है। यदि संस्था में कुछ खराबी है तो उसे सुधारा जाये। परन्तु मेरे लिये यह कहना उचित नहीं है कि यह सारा काम मैं स्वयं ही कर सकूंगा। मैं नहीं समझता कि आपात के अवसर के अतिरिक्त उसकी ओर मैं उतना ही ध्यान दे सकूंगा जितना कि रक्षित बैंक दे सकता है। हम चाहते हैं कि इस काम को बैंक ही करे। हम उन्हें इसके आदेश देंगे और इस सम्बन्ध में एक निर्देशक जारी करेंगे। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रक्षित बैंक सरकार को पूर्णरूपेण सहयोग दे रहा है, मेरा यह सुझाव अनुचित न होगा कि यह शक्ति रक्षित बैंक को सौंप दी जाये। संभव है कि निर्णय करने में कुछ एक गलतियां हो जायें और एक दो कठिनाइयों के मामले उत्पन्न हो जायें, परन्तु ये ऐसे मामले हैं जिन्हें सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित करके हल किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जहां पर भी आवश्यक हो, सरकार एक निदेशक के द्वारा ये सिद्धान्त निश्चित कर दे कि अमुक-अमुक तरीकों से इन शक्तियों का उपयोग किया जाये, तो वह भी किया जा सकता है परन्तु हमारे लिये उचित यही होगा कि इन शक्तियों के प्रयोग का काम एक ऐसी संस्था पर छोड़ दिया जाय जो कि इससे सम्बन्धित मुख्य मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और करेगी।

मैं इस प्रकार के विधान के औचित्य के सम्बन्ध में जितना कह सकता था, मैंने कह दिया है, और इन प्रस्थापनाओं के निर्णय के सम्बन्ध में अपना मत देने का काम सभा पर छोड़ देता हूं। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ़ीरोज़ गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला रायबरेली–पूर्व) : हम आपका पूर्ण समर्थन करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के लिये एक प्रस्ताव की पूर्व-सूचना प्राप्त हुई है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (बान्दिवाश) : इसके लिये कितना समय रखा गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास कुल पांच घंटे हैं और कई संशोधन हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमने इसे ५ बजे प्रारम्भ किया है। आज हमारे पास एक घंटा और है। हम इसे कल फिर १२ बजे ले सकते हैं और ३-३० बजे तक चर्चा चला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गैर-सरकारी कार्यों पर चर्चा होनी है। यदि सभा मुझे सहयोग दे और आप अनुमति दें, तो हम इस पर चर्चा को ३-३० बजे तक समाप्त कर सकते हैं, ताकि मैं इसे दूसरी सभा में भी भेज सकूं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : नहीं, यह सम्भव नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : कल संघ लोक सेवा आयोग पर भी चर्चा करनी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम समस्त गैर-सरकारी कार्यों को एक घण्टे के लिये पीछे रख सकते हैं; और शाम को थोड़ी देर और अधिक बैठ सकते हैं। सामान्य चर्चा के लिये ३½ घण्टे होंगे, संशोधनों तथा खण्डों के लिये १ घण्टा होगा और तृतीय पाठन के लिये आधा घण्टा होगा। प्रत्येक वक्ता को १५ मिनट का समय दिया जायेगा।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, पण्डित ठाकुरदास भार्गव, श्री मैथ्यू, श्री दी० चं० शर्मा, श्री कासलीवाल, श्री रघुनाथ सिंह, श्री का० प्र० त्रिपाठी, श्री राधा रमण, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री आनन्द चन्द, श्री गिडवानी, श्री थानू पिल्ले, श्री वोडयार, श्री मूलचन्द दुबे, श्री रामचन्द्र रेड्डी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री क० कृ० बसु, श्री पाटस्कर, श्री अ० चं० गुह, श्री ति० त० कृष्णमाचारी तथा प्रस्तावक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये"।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है और १९४९ में जब इस विधेयक पर चर्चा हुई थी उस समय मंत्री जी ने इसमें स्वयं बड़ी रुचि दिखाई थी।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। इसमें जिन सदस्यों के नाम रखे गये हैं क्या उनसे इस बात की अनुमति ले ली गयी है? उदाहरणार्थ इसमें श्री बसु का नाम है, क्या उनसे अनुमति ले ली गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० म० थामस :** उनका विचार यह है कि यदि उनके भाषण देने पर कोई रुकावट न आये तो वे इसके लिये तैयार हैं ।

†**श्री पुन्नूस :** संभवतः वे प्रवर समित में आने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें भाषण देने का अवसर न देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रवर समिति में लिये जाने के लिये राज़ी होना और भाषण देने का अवसर मिलना—ये दोनों पृथक-पृथक बातें हैं वैसे तो लगभग समस्त इच्छुक पार्टियों को अवसर देने का प्रयत्न करूंगा । परन्तु जहां तक प्रवर समिति में सम्मिलित होने का सम्बन्ध है, संभवतः श्री बसु तैयार हैं । कल जब वे आयेंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे अथवा श्री पुन्नूस या श्री थामस श्री बसु से इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी इच्छा क्या है । अस्तु, हम अपना कार्य जारी रखते हैं ।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं इस विधान के विरोध में नहीं हूं । मैं समझता हूं कि इसके कुछ एक उपबन्ध इतने अच्छे हैं उन्हें संविधि पुस्तक में स्थान मिलना ही चाहिये । परन्तु इसमें कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि माननीय मंत्री जी ने १९४९ में जबकि वह गैर-सरकारी सदस्य थे तथा भारतीय बैंकिंग समवाय विधेयक पर बोल रहे थे, व्यक्त किये थे । श्री गुह ने भी उस समय ऐसे ही विचार प्रकट किये थे । अतः यह अनुभव किया जा सकता है कि अधिनयिम के कार्यकारण में कई आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

इस विधेयक में दिये गये उद्देश्यों सम्बन्धी विवरण के अनुसार इसके तीन उद्देश्य ये हैं पहला रक्षित बैंक को लोकहितों को प्रभावित करने वाली नीतियों अथवा प्रशासन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में बैंकिंग समवायों को निदेश भेजने का अधिकार देना; दूसरा बैंकिंग समवायों के प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धकों अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्तियों का करना । और तीसरा–रक्षित बैंक को किसी भी बैंकिंग समवाय के कार्यकरण के बारे में निरीक्षण करने के उद्देश्य से किसी भी अधीक्षक को प्रत्यायोजित करने का अधिकार देना । पंडित भार्गव के अनुसार ये तीनों लगभग एक ही प्रकार के उद्देश्य हैं ।

प्रवर समिति में जब मंत्री जी हमें आवश्यक जानकारी देंगे केवल तभी हम समझ सकेंगे कि रक्षित बैंक को इतनी अधिक शक्ति देने की आवश्यकता क्या है । हमने अभी इस बात पर विचार करना है कि क्या बैंक को इतनी अधिक शक्ति देने की कोई आवश्यकता है भी या नहीं ; और यह कि भारतीय बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन दी गयी शक्ति पर्याप्त नहीं है । उदाहरण के लिये धारा संख्या ३५ और ३६ में रक्षित बैंक को कुछ शक्तियां दी गई हैं और उसके कृत्यों का उल्लेख है । अन्य उपबन्ध भी हैं जिन के अन्तर्गत रक्षित बैंक के निदेशों की उपेक्षा करने वाले बैंकों की अनुज्ञप्तियां रद्द की जा सकती हैं, या उनका नवीकरण रोका जा सकता है । यह शक्ति रक्षित बैंक में निहित की गई है, और इसके बल पर रक्षित बैंक इन बैंकों के विकास की दिशा निश्चित कर सकता है । और, माननीय मंत्री ने कहा भी है कि आगामी कुछ महीनों में हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि इस विधेयक को प्रवर समिति को बिना सौंपे या इस पर लोकमत का पता लगाये बिना ही इसको यहां चर्चा के लिये रखना पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन के बारे में रक्षित बैंक की क्या राय है ?

मद्रास के समाचारपत्र **'हिन्दू'** ने कहा है कि रक्षित बैंक की राय यह है कि पर्यवेक्षण करने पर यह परिणाम निकला है कि बैंकों पर अधिक कड़े नियन्त्रण की आवश्यकता है और जहां भी बैंकों को उनकी त्रुटियां बताई गई हैं, वहां बैंकों ने अपनी त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। यह रक्षित बैंक की राय है, और इसे देखते हुये रक्षित बैंक को इस विधेयक द्वारा इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियों का प्रदान करना अनावश्यक प्रतीत होता है ।

हो सकता है कि कुछ बैंकों ने उचित ढंग से कार्य न किया हो। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि यदि रक्षित बैंक अपनी वर्तमान शक्तियों का उचित रूप में उपयोग करे तो बैंकों की तमाम अनुचित कार्यवाहियों को रोक सकता है, उन कार्यवाहियों को भी जिनका उल्लेख संसद् सदस्यों को दी गई पुस्तिका में किया गया है ।

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को संयुक्त पूंजी समवायों के कार्य-संचालन का नियंत्रण करने के लिये बड़ी-बड़ी शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। और, आप जानते हैं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम द्वारा केवल बैंकिंग समवायों को ही विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, निजी बैंकिंग को नहीं। इसीलिये, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** माननीय सदस्य किस पुस्तिका का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** वह "नेशनल इन्डस्ट्री एन्ड फाइनेन्स" द्वारा प्रकाशित की गई है। उसमें बैंकों की जो अनुचित कार्यवाहियां गिनाई गई हैं उनको समवाय अधिनियम और बैंकिंग समवाय अधिनियम की व्यवस्थाओं का सहारा लकर दूर किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार को अनुचित ढंग से पेश आने वाली संस्थाओं की जांच कराने की शक्ति प्राप्त तो है ही। अभी-अभी सरकार ने कुछ समवायों की जांच के लिये जांच आयोग नियुक्त किये भी हैं।

मैं यह मानता हूं कि रक्षित बैंक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक मानना चाहिये और देश की अर्थ-व्यवस्था में उसका एक बड़ा कार्य होता है। लेकिन फिर भी, रक्षित बैंक एक स्वायत्त निकाय है और उसे इस प्रकार की बड़ी-बड़ी शक्तियों के प्रदान करने में हमें सावधानी से काम लेना चाहिये ।

इस विधेयक के खण्ड २ में आपने पारिश्रमिक के मामले में रक्षित बैंक का निर्णय ही अन्तिम माना है। खण्ड ४ में आपने कहा है कि रक्षित बैंक द्वारा कराये गये चुनाव पर कोई न्यायालय भी आपत्ति नहीं कर सकता ? फिर, खण्ड ७ में रक्षित बैंक को राष्ट्रीय हितों की आवश्यकतानुसार बैंकिंग समवायों के नियन्त्रण के लिये निदेश जारी करने की शक्ति दी जा रही है। इस प्रकार की शक्तियां तो केन्द्रीय सरकार की होनी ही चाहिये, रक्षित बैंक जैसे एक स्वायत्त निकाय की नहीं। मैं यह तो नहीं कहता कि सरकार रक्षित बैंक को इतनी असीमित शक्तियां प्रदान करके परोक्ष रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहती है, लेकिन मैं यह तो मानता ही हूं कि इस आलोचना में कुछ सार तो है ही।

इन विभिन्न खण्डों द्वारा रक्षित बैंक में जो शक्तियां निहित की गई हैं, उनके अन्तर्गत रक्षित बैंक के निर्णयों या निदेशों के विरुद्ध अपील करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को भी नहीं है। माननीय मंत्री कहेंगे कि रक्षित बैंक की अनुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश जारी करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है—धारा ७ और ३० में केन्द्रीय सरकार को रक्षित बैंक का अवक्रमण करने की शक्ति दी गई है। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रक्षित बैंक को जो इतनी अधिक शक्तियां दे रह हैं, उनका निष्पादन तो रक्षित बैंक के कर्मचारी ही करेंगे और यह भी आवश्यक नहीं है कि उनकी हर त्रुटि

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

केन्द्रीय सरकार के सामने आ ही जाये, विशेषकर जबकि उसके विरुद्ध अपील करने की कोई व्यवस्था ही नहीं रखी गई है ।

भारत सरकार तो मुख्यत: रक्षित बैंक के गठन के लिये ही उत्तरदायी होगी । १९४९ में रक्षित बैंक की दशा संतोषप्रद नहीं थी और उसके सुधार के लिये रक्षित बैंक अधिनियम में कई संशोधन भी किये गये थे । रक्षित बैंक का कुछ अन्य बैंकों के प्रति जो वर्तमान रवय्या है, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा कल्पित समाजवादी ढंग के समाज के अनुकूल नहीं है ।

१९४९ में, श्री अ० चं० गुह ने स्वयं ही कहा था कि रक्षित बैंक द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने से बैंकों को बड़ा भय हो जायेगा । मेरा अपना विचार तो यह है कि किसी भी बैंक को नष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका उसके लिये एक पर्यवेक्षक का नियुक्त करना ही है, क्योंकि उसकी नियुक्ति का अर्थ यही होता है कि उस बैंक में कोई संदिग्ध बात तो है ही । फिर कोई भी व्यक्ति उसमें रुपया जमा नहीं करेगा । हमें देश के ऋण सम्बन्धी व्यवस्था के हित को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

डा० जॉन मथाई ने भी यह माना था कि नियमित रूप से समय-समय पर पर्यवेक्षण कराने की व्यवस्था से बैंकों में भय फैल जायेगा ।

१९४९ में, श्री ति० त० कृष्णमाचारी और श्री अ० चं० गुह ने छोटे-छोटे बैंकों के विकास का प्रश्न उठाया था । उन्होंने छोटे-छोटे बैंकों का पक्ष लिया था । उस समय, १० फरवरी, १९४९ को, भारत की संविधान सभा में, डा० जॉन मथाई ने श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में कहा था कि बैंकिंग संगठन को दोनों ही दिशाओं में विकसित करना आवश्यक है—सारे देश में शाखा-प्रशाखायें फैलाने वाले बड़े-बड़े बैंकों की दिशा में, और स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी करने वाले छोटे-छोटे इकाई बैंकों की दिशा में भी । परन्तु , रक्षित बैंक छोटे-छोटे बैंकों को उचित रूप से प्रोत्साहित करने के अपने कर्त्तव्य में असफल रहा है ।

रक्षित बैंक ने अभी तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंकों की विशेष समस्यायें ही नहीं समझ पाई हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** रक्षित बैंक ने इसे मान लिया है ।

†**श्री अ० म० थामस :** मैंने रक्षित बैंक द्वारा पर्यवेक्षण के पश्चात् जारी किये गये कुछ प्रतिवेदन देखे हैं । उसकी मुख्य आपत्ति यह है कि भू-सम्पत्ति की जमानत पर अग्रिम धन दिया गया है । यदि मेरे राज्य में इसकी अनुमति न दी जाये, तो फिर कोई भी व्यक्ति कोई अग्रिम धन ले ही नहीं सकेगा । हमारे राज्य में भू-सम्पत्ति की जमानत पर दिया जाने वाला अग्रिम धन बिलकुल सुरक्षित रहता है । वहां के १३३ बैंकों में से अब तक ३३ को नयी अनुज्ञप्तियां देने से मना कर दिया गया है । रक्षित बैंक ने त्रावनकोर सरकार के त्रावनकोर बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भी बैंक को अनुज्ञप्ति नहीं दी है ।

रक्षित बैंक छोटे-छोटे बैंकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करता ।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य विधेयक का विरोध ही करते आ रहे हैं । वे उसे प्रवर समिति को सौंपने के लिये किस आधार पर मांग कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमारे देश में अभी बैंकों का उपयोग करने की आदत लोगों में विकसित नहीं हो पाई है । हमारे यहां बहुत कम व्यक्ति बैंकों का उपयोग करते हैं । रक्षित बैंक ने भी यही कहा है । समिति ने भी छोटे-छोटे बैंकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई है । लेकिन, रक्षित बैंक की

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इन सिफ़ारिशों की ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। रक्षित बैंक को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम) : समाजवादी समाज बनाने की आकांक्षा रखने वाले समाज में, बैंकों को केवल धन और ऋणों का कार्य करने वाली संस्थायें ही नहीं समझे जाना चाहिये, बल्कि उन्हें सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित करना चाहये। इसका अर्थ यह है कि बैंक जनता का शोषण करने के लिये नहीं बल्कि उसकी सहायता करने के लिये ही होने चाहिये। लेकिन, हमारे बैंकों के द्वारा तो कुछ थोड़े से व्यक्ति विशाल जनता का शोषण ही करते हैं। शास्त्री आयोग और सेन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि उच्चाधिकारियों का वेतन कम किया जाना चाहिये। उनका सुझाव यह भी था कि अग्रिम धन के रूप में दी गई राशियों पर निमनतर ब्याज की दरें निर्धारित की जानी चाहियें। इस सुझाव से ही स्पष्ट हो जाता है कि बैंकों द्वारा जनता के धन का उपयोग ब्याज की एक नाममात्र दर पर किया जाता है, जो धन जमा कराने वालों के हित के लिये हानिकारक है। इसलिये, मुझे श्री अ० म० थामस के इस संशोधन पर आश्चर्य हुआ है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

रक्षित बैंक के प्रतिवेदन में आंकड़े दिये गये हैं कि १९५३ में बैंकों की प्रदत्त पूंजी ३३·७१ करोड़ रुपये थी, और उनकी कार्य-वहन निधि ९५२·३३ करोड़ रुपये थी। इसका अर्थ यही है कि ३·५ प्रतिशत प्रदत्त पूंजी के आधार पर ये बैंक ९५२·३३ करोड़ रुपयों की कार्य-वहन निधि का उपयोग करते थे और उन्होंने ७·२६ करोड़ रुपयों का नक़द मुनाफ़ा कमाया था।

कहा गया है कि निक्षेपकों के हितों की रक्षा बैंक के निदेशक गण करते हैं। समाजवाद की आकांक्षा वाले समाज में तो यही होना चाहिये कि बैंक सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित हों, अल्प बचतों को प्रोत्साहित करें, और छोटे-छोटे उद्योगों की सहायता करें। लेकिन, हुआ क्या है ? १९४७ से १९५१ तक के काल में, बैंकों के असफल (दिवालिये) होने के कारण निक्षेपकों का ९३ करोड़ रुपया हज़म हो चुका है। बैंकिंग समवाय परिसमापन कार्यवाही समिति ने सिफ़ारिश की है कि बैंकिंग समवायों के प्रबन्ध के मामले में अधिक कड़ाई से काम लिया जाये।

१९४७ से १९५१ तक के काल में, १८० बैंकों का परिसमापन हुआ था, पर उससे उनके निदेशकों को कोई भी हानि नहीं हुई; हानि निक्षेपकों को ही उठानी पड़ी थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हुये, इन बैंकों को उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये। लेकिन, रक्षित बैंक के प्रकाशन में बताया गया है कि बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम धन का केवल ३५ प्रतिशत ही उद्योगों को दिया गया है; वाणिज्य को ४९ प्रतिशत दिया गया है। वाणिज्य में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो अंशों का सट्टा करते हैं।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों की सहायता के लिये बड़े-बड़े बैंकिंग निगम स्थापित कर लिये हैं। उनसे अन्य उद्योगों को बहुत ही कम सहायता मिल पाती है। इनके द्वारा, वे ब्याज की सस्ती दर पर यथेष्ट पूंजी उपलब्ध कर लेते हैं और उसे अपने उद्योग विशेष के लिये प्रयोग में लाते हैं।

"यूनाइटेड कमर्शियल बैंक" बिरला के उद्योगों से सम्बद्धित है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब श्री त० ब० विट्ठलराव के प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।

कोयला-खानों में सुरक्षा सम्बन्धी एक उच्चशक्ति-सम्पन्न आयोग की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला-खानों में सुरक्षा की समस्या की जांच-पड़ताल करने के लिये एक उच्च-शक्ति सम्पन्न आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जाये।"

मैं इस प्रश्न को सभा में कई बार उठा चुका हूं। दिसम्बर १९५४ की "न्यूटन चिकली" दुर्घटना, जिसमें खान में पानी भरने के कारण ६३ व्यक्ति डूब गये थे, के सम्बन्ध में एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया था। मैंने उस समय भी यही सुझाव रखा था, और जांच न्यायालय ने इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन की सिफ़ारिश भी की थी।

फरवरी १९५५ की अमलाबाद दुर्घटना के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने भी यही सिफ़ारिश की थी।

लेकिन, सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिये, मुझे यह मामला सभा के सामने लाना पड़ा है। गत अगस्त में, मैंने कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति में भी यह प्रश्न उठाया था, लेकिन श्रम मंत्री ने इसे आवश्यक नहीं माना था। उनका विचार था कि प्रवृत्त किये जाने वाले नये विनियमों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम हो जायेगी।

औद्योगिक समिति में प्राविधिक विशेषज्ञों, नियोजकों हिन्द मजदूर सभा तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया था।

पिछले सत्र में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका था। अब मेरे सूचना देने के दो दिन बाद 'भूरा ढेमों' दुर्घटना हो गयी। इसलिये अन्त में मैंने इस अवसर पर सभा का निर्णय जानने की बात सोची।

यह कोई नई बात नहीं है। सभी देशों में आयोग नियुक्त किये जाते हैं। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में नियतकालिक रूप से कोयला-खानों के सम्बन्ध में आयोग नियुक्त किया जाता है और संसद् में उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। 'भूरा ढेमो' की दुर्घटना भी उन्हीं परिस्थितियों में हुई है जिन परिस्थितियों में १९५३ में मजरी दुर्घटना हुई थी, जिसमें १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

इससे स्पष्ट है कि खान सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक के कार्यालय द्वारा पर्यटन निरीक्षण नहीं किया जाता है।

खानों में कई प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं और थोड़ी सी लापरवाही से सैकड़ों व्यक्ति हताहत हो सकते हैं। वहां राज्य पुनर्गठन आयोग के जाने पर यदि प्रदर्शन न किया गया होता तो अमलाबाद विस्फोट में ४०० व्यक्तियों की मृत्यु हुई होती। प्रदर्शन के कारण उस दिन बहुत कम श्रमिक काम पर गए थे।

कुछ दिन हुए खान प्रबन्धकों तथा निरीक्षण कार्यालय के कर्मचारीवृन्द से दुर्घटनाओं पर बातचीत करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत में भूतत्वीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि छत के गिरने के कारण कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

परन्तु भारत में अधिकतर दुर्घटनायें छत गिरने के कारण होती हैं। ३०० से कुछ अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है, लगभग ३,००० बिलकुल अपंग हो जाते हैं या काम करने के अयोग्य हो जाते हैं।

इस समस्या की भलीभांति जांच करने के लिये हमें यह मालूम करना होगा कि क्या खान सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक के कार्यालय का संगठन सुरक्षितता की कार्यवाहियां सुनिश्चत करने के लिये सुव्यवस्थित है। दो वर्ष के थोड़े से समय में ही दो बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया है।

हैदराबाद क्षेत्र के लिये खान सम्बन्धी प्रादेशिक निरीक्षक का मुख्यालय नैल्लोर में स्थित है जहां कि अभ्रक की खानें हैं, यह स्थान कोयला खानों से लगभग २५० मील की दूरी पर है। इसीलिये दुर्घटना के तुरन्त ही बाद निरीक्षक दुर्घटना-स्थल पर नहीं पहुंच सकता। इस ढंग पर कुछ हलकों का पुनर्गठन किया गया है।

बचाव-कार्य के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट है। जब ग्यारह खनिक बाढ़ग्रहत खान में २१ दिन रहने के बाद जीवित निकल आये तो यह स्पष्ट है कि यदि बचाव-कार्य की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाता तो कुछ और लोग बचाये जा सकते थे। इस समय बचाव कार्य में भी सुधार किया जाना अपेक्षित है।

भारत में खानों में तीन पारियों में काम होता है। परन्तु निरीक्षक केवल दिन के समय पहली पारी का ही निरीक्षण करता है। यदि आप १,००० कर्मचारियों के सम्बन्ध में दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि अधिकतर दुर्घटनायें दूसरी और तीसरी पारी में होती हैं क्योंकि पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग पर्याप्त नहीं हैं। औद्योगिक समिति में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि खान प्रबन्धक को रात में कम से कम एक बार जाकर जहां वस्तुत: कोयला निकाला जा रहा हो वहां उस स्थान का निरीक्षण करना चाहिये। परन्तु प्रबन्धकों तथा नियोजकों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। केवल इतना ही कहा : यह सम्भव नहीं है। यही बात खान सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है जिसे कम से कम अठारह महीनों के बाद प्रकाशित किया गया है। ८ दिसम्बर, १९५५ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मुझे बताया गया था कि सुरक्षितता कार्यवाहियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है। वह केवल सांख्यिकीय सामग्री है।

फिर आंकड़ों का संकलन किस लिये किया जाता है? आंकड़े हमारी सहायता के लिये इकट्ठे किये जाते हैं ताकि इनके पर्यवेक्षण से हम निष्कर्ष निकाल सकें।

मैंने १९३५ और १९३६ के प्रतिवेदनों को पढ़ा है। मैंने विशेष रूप से देखा है कि उनमें सिफारिशें की गई हैं। उदाहरण के लिये १९३५ के प्रतिवेदन में कुछ उप-विधियों में संशोधन करने के लिये कहा गया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इसमें कोई वित्तीय खर्च भी नहीं है। आयोग देश भर में घूम कर, खानों का निरीक्षण करके सिफारिशें कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने २६ नवम्बर को अरियालूर रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में अपने भाषण में कहा था कि "चाहे कितने ही संभाव्य बहाने क्यों न पेश किये जायें कि ससामान्य अथवा असामान्य सावधानी बरती गई थी, फिर भी मैं यह अनुभव करता हूं कि इस प्रकार के मामले में कोई भी बहाना काफी न होगा।"

उन्होंने अपने भाषण में आगे चल कर कहा था कि "रुपये की कमी का इस प्रकार की जांच के सम्बन्ध में किसी पाबन्दी के लगाये जाने का कोई कारण नहीं समझा जा सकता है।"

†**सभापति महोदय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अन्य सदस्य भी बोलना चाहता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : जी, हां।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य शीघ्र ही भाषण समाप्त कर लें।

†**श्री त० ब० विठ्ठलराव :** १९५४, १९५५ तथा १९५६ में तीन बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं। और कोई गहरी जांच नहीं की गई है। ब्रिटेन में जिस प्रकार के आयोग स्थापित किये जाते हैं, ऐसा कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया है। इसलिये खनिकों के हित में, खनन उद्योग के विकास तथा देश के हित में मैं खानों में सुरक्षितता सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विचार करने के लिये एक उच्च-शक्ति सम्पन्न आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने का समर्थन करता हूं।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभा का कार्य

†**सभापति महोदय :** अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों के लिये निम्न समय आवंटित किया गया है :—

सामान्य चर्चा	३½ घन्टे।
खण्डशः विचार	१ घन्टा।
तृतीय वाचन	½ घन्टा।

कल साढ़े चार बजे तक सरकारी कार्य होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य साढ़े चार बजे से सात बजे तक किया जायेगा।

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी एक उच्च-शक्ति सम्पन्न आयोग की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**सभापति महोदय :** अब हम श्री त० ब० विठ्ठलराव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे।

†**श्री बोस** (मानभूम—उत्तर) : न केवल भारत में बल्कि समस्त संसार में अन्य उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं की अपेक्षा कोयला खानों में अधिक दुर्घटनायें होती हैं। परन्तु अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हजार मरने वालों की संख्या कहीं कम है; फिर भी मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

हाल ही की जिन घटनाओं की ओर निर्देश किया गया है, वे शोचनीय हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को, यथा पहिले से बचाव की सम्भव कार्यवाहियां कर के कम करना चाहिये।

मुझे मालूम हुआ है कि न्यूटन चिकली में समीपवर्ती एक खान पानी से भरी हुई थी। दूसरी ओर काम करने वाले लोगों ने इसमें छिद्र कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप सभी श्रमिक पानी में

---

†मूल अंग्रेजी में।

डूब गये थे। जांच करने पर मालूम हुआ कि प्रबन्धक को पानी से भरी खान के बारे में कुछ भी मालूम न था। इस प्रकार कुछ दुर्घटनाओं का कारण खनन विद्या के ज्ञान की कमी तथा लापरवाही होता है।

मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय भौमिकी सरल है। मुझे इसका कुछ ज्ञान है। मैंने उड़ीसा में कुछ खानें देखी हैं। ऊपर से देखने पर कोई दरार मालूम नहीं होती परन्तु एक दिन अचानक ही सब कुछ गिर जाता है।

मेरे मित्र ने कहा है कि १८ दिन खान में रहने के बाद जो लोग बच गये थे सुरक्षितता दल के लोगों ने उन्हें नहीं बचाया था। मेरे मित्र को यह मालूम नहीं कि सुरक्षितता नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू होते हैं जहां विस्फोट होते हैं। उन्हें पानी से भरी खान में नहीं जाने दिया जाता। खनिक व्यक्तियों का यह कर्तव्य था कि वे यथासम्भव शीघ्र ही पानी को बाहिर निकालते। यही हुआ भी था। खान सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक तथा कुछ अन्य निरीक्षक वहां थे। मैं कह नहीं सकता कि कम्पनी ने उनसे कितना सहयोग किया था। इस सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा। दिन रात पानी निकाला जाता रहा और जब भीतर घिरे व्यक्तियों ने प्रकाश देखा तो वे बाहर की ओर भागे और इस प्रकार बचे थे। बचाव-स्टेशन के व्यक्तियों का वहां जाने का कोई काम न था। वस्तुतः भारतीय बचाव-स्टेशन संसार के सर्वोत्तम स्टेशनों में गिना जाता है। उनकी सफलतायें और रिकार्ड बहुत ही अच्छा है।

दुर्घटनायें पुराने निरीक्षकों के समय होती हैं या नए निरीक्षकों के समय, मेरे विचार में यह प्रश्न सुसंगत नहीं है क्योंकि खानों के अधिक गहरा होने पर दुर्घटनायें होती हैं। कम गहरी खानों में कोयला भूतल के निकट होता है और वहां कोई दुर्घटना नहीं होती है। उदाहरण के लिये हजारीबाग जिले में रेलवे खानों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। भारत में अधिकतर कोयला खानें कम गहरी हैं। इसलिये सुरक्षितता बत्ती का उपयोग नहीं किया जाता। परन्तु जब खान बहुत गहरी हो जाती हैं तो कोयले की खान में से गैस निकलने लगती है और फिर विस्फोट होते हैं। परन्तु यह जानना कठिन है कि दुर्घटना कब होगी। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि कोयले की खानों में सुरक्षितता के प्रश्न पर विचार करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये और ऐसे उपाय ढूंढने चाहियें कि जिससे दुर्घटनायें कम हों।

भारत सरकार इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियम तथा विनियम देख सकती है तथा ब्रिटिश और जर्मन खानों के नियमों का भी अध्ययन कर सकती है। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही मुझे यह भी मालूम हुआ है कि नए विनियमों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें लागू किया जायेगा। इनमें इस प्रकार के आयोगों और समितियों का भी उपबन्ध है।

अन्त में मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि दुर्घटनाओं को कम करने का एक-मात्र उपाय निरीक्षण है। निरीक्षण योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये केवल उच्च-शक्ति सम्पन्न आयोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को खान का प्रत्येक भाग देने की अनुमति होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि विनियमों को यथासम्भव शीघ्र लागू किया जाये और बाद में देखा जाय कि क्या इस प्रकार का आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि श्री विट्ठल राव ने अपने प्रस्ताव द्वारा सदन का ध्यान उस समस्या की ओर दिलाया है जिस समस्या की ओर साधारणतः

[श्री श्री नारायण दास]

हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब कभी किसी खान में दुर्घटना हो जाती है और उसमें हमारे बहुत से भाई जो काम करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो देश का ध्यान और इस संसद् का ध्यान कभी-कभी चला जाता है। मेरा ध्यान भी इस समस्या की ओर इसलिये गया कि जब एक खान में दुर्घटना हुई और गैस विस्फोट हुआ और उसमें ५२, ५३ आदमी मरे तो एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी (जांच न्यायालय) गवर्नमेंट की तरफ से बैठाई गई और मुझे उसमें एक असेसर (निर्धारक) की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे उसकी जवाब देही निभाने के लिये अपने देश के जो खान सम्बन्धी कानून हैं और उसके अधीन सुरक्षा के लिये जो नियमावली है, रैगुलेशंस (विनियम) हैं, उनको अध्ययन करने का मौका मिला। साथ ही साथ चूंकि वहां गैस विस्फोट की दुर्घटना हो गयी इसलिये बहुत से ऐसे वैज्ञानिक विषय सामने आये जो कि केवल हिन्दुस्तान की खानों से ही सम्बन्ध नहीं रखते थे बल्कि दूसरे देशों के जो इस सम्बन्ध में कानून हैं या रूल्स रैगुलेशंस हैं उनको भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान में क्या सभी देशों में जितने उद्योग हमारे चलते हैं उनसे सब से ज्यादा खतरनाक उद्योग यह खान का है। जब हम खान की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हम नहीं समझते कि कितनी मेहनत से यह चीज हमारे खान के भाई पैदा करते हैं और हम साधारणतः यह भी नहीं सोचते हैं कि कैसी-कैसी दुःखद परिस्थिति में कैसी कठिनाई की परिस्थिति में हमारे भाई खान के नीचे काम करते हैं और जिस समाज के लिये वह इतनी मेहनत करते हैं और इतनी बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, उनके प्रति उस समाज का क्या कर्तव्य है, हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता और इसलिये यह सवाल जो बहुत परिश्रम से हमारे माननीय मित्र ने उठाया है और उस सम्बन्ध में अपना जो प्रस्ताव रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं आवश्यकता समझता हूं इस बात की कि जब से हमारे देश में यह खान उद्योग चला, मुझे ठीक समय तो नहीं मालूम लेकिन जब से हमारे देश में खानों में से कोयला और दूसरे खनिज पदार्थ इत्यादि निकाले जाने लगे, तो जो हमारे देश में अंग्रेजी शासन था उसने अपने यहां उसका जो भी अनुभव था उसके आधार पर इस उद्योग को चलाने की कोशिश की। मुझे यह भी आश्यर्य हुआ कि जब मैं असेसर की हैसियत से वहां बैठा तो मैंने देखा कि यद्यपि हमने सन् १९५२ में एक कानून बना लिया था, माइंस ऐक्ट (खान अधिनियम), लेकिन उसके अधीन जो नियमावली थी, वह हमारे सामने नहीं आई थी और जब हम कोर्ट आफ इनक्वायरी में बैठे तो १९२३ के ऐक्ट के मुताबिक जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार हमको काम करना पड़ा। यह बात मैं यहां कहे बगैर नहीं रह सकता कि इसका मतलब यह नहीं समझा जाय कि सरकार ने उसमें संशोधन नहीं किया, समय-समय पर जितनी भी आवश्यकता मालूम हुई उसने उसमें संशोधन करने की कोशिश की और १९५१ तक उसमें संशोधन हो चुका था। लकिन फिर भी दुनिया १९२३ के बाद कितनी बदल गयी, कितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए और कितनी तरह के वैज्ञानिक अविष्कार हुए और खानों में काम करने के तरीके में कितने परिवर्तन हो गये, विभिन्न औजारों में काफी परिवर्तन हो गये, शासन में भी बहुत परिवर्तन हुए, उस आधार पर हमारा मत है कि नियमावली का निर्माण हो जाना चाहिये था लेकिन नियमावली का निर्माण नहीं हुआ और इसी वजह से यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह एक एसा गहन और कठिन विषय है कि जिस तरह कि चुनाव आदि और अन्य प्रशासनिक सम्बन्धी नियमावलि हम बना लेते हैं, उस तरह इस की नियमावलि बनाना आसान नहीं है। इसलिये सरकार को विभिन्न देशों का जो भी अनुभव है, विभिन्न देशों में खानों में काम करने वालों का जो भी अनुभव हुआ है या जो भी सुरक्षा सम्बन्धी तरीकों में परिवर्तन हुए हैं या वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, उनका अध्ययन करने में सरकार को समय लगेगा और मुझे मालूम हुआ कि १९५२ के कानून के अनुसार उसमें जो पहले कानून था, जो सुरक्षा सम्बन्धी नियम थे, उनमें दूसरे मुल्कों में इस दिशा में जो वैज्ञानिक अनुभव हुए हैं और अनुसंधान हुए हैं उनके आधार पर वह रूल्स, रैगुलेशंस बना कर जल्दी लागू किये जाने वाले हैं।

सभापति महोदय, इस जांच के विषय में मैंने देखा कि हमारे देश की जो माइंस इंस्पैक्टैरेट (खान निरीक्षालय हैं, उन्होंने बड़ी महनत से काम किया और मैंने देखा कि जहां दुर्घटना हुई वहां वह पहुंचे और जिस दुर्घटना की ओर हमारा ध्यान गया, उसकी जांच के सिलसिले में मैंने देखा कि यह जो हमारे देश की माइंस इंस्पैक्टोरेट (खान निरीक्षकालय) है उसने बहुत ही बुद्धिमता के साथ काम किया है। लेकिन, मैंने देखा कि उस सिलसिले में जहां हिन्दुस्तान में लगभग तीन, साढ़े तीन हजार, या लगभग चार हजार खानें हैं वहां इंस्पक्टोरेट की जो स्ट्रेंग्थ (कर्मचारियों की संख्या) है, उसमें काम करने वालों की जो तादाद है वह बहुत ही कम है और मालूम नहीं कि इस समस्या की ओर आज तक सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया जबकि मेरे ख्याल में बहुत पहले उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि जिस रफ्तार से उसमें आदमियों को बढ़ाना चाहिये था हमने नहीं बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि सरकार अब जब कि दो कोर्ट आफ़ इनक्वायरी कमेटियों की रिर्पोटें आ गई है, तो उसको अध्ययन करके इस विभाग के विस्तार के लिये उपयुक्त आदमियों की नियुक्ति के लिये कदम उठायेगी। मुझे यह भी मालूम हुआ है, मुझे ठीक याद नहीं आता है लेकिन जब यह दोनों इनक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट पेश हुई थी तो सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि उसकी अच्छी तरीके से छानबीन करके उसके सम्बन्ध में उन्होंने उपयुक्त कार्यवाही कर ली है और जो अभी १९५२ के कानून के रैगुलेशंस आने वाले हैं, उनमें बहुत चीजों का उन्होंने समावेश कर लिया है।

जहां तक मेरा ख्याल है मैंने उस रिपोर्ट के साथ अपना एक छोटा सा सुझाव लगाया था कि इस के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति होनी चाहियें। वैसे जांच कमेटी ने भी अपनी सिफारिश नवम्बर २७ में सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय आयुक्त की नियुक्ति की जाये जिसके जिम्मे यह काम दिया जाये कि हमारे देश में जो लोग खानों में काम करने वाले हैं, जैसे कि मैनेजर्स, इंजीनियर्स, बिजली वाले आदि आदि, जो कि खानों में सुरक्षा का प्रबन्ध करते हैं उन सब के अनुभवों को एकत्र किया जाये। और इसमें केवल अपने देश वालों के अनुभव से ही काम चलने वाला नहीं है, हमको दूसरे देशों के अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिये। हमारे अपने देश में भी अलग-अलग खानों में काम करने वालों के अलग-अलग अनुभव हैं। किसी एक खान में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसको दूसरी खानों में भी काम में लाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जल्द से जल्द यह कमीशन नियुक्त किया जाये और जो भी लोग खानों में काम करने वाले हैं, चाहे वे शासन से सम्बन्ध रखते हों, चाहे वे इंस्पैक्टोरेट से सम्बन्ध रखते हों, या दूसरे विभिन्न विभागों से सम्बन्ध रखते हों उन सब के अनुभव के आधार पर सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाया जाये। यह काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसके लिये एक राष्ट्रीय कमीशन नियुक्त न किया जाये। हमको उस कमीशन के सामने ये सब सुझाव रखने चाहियें। यह जो खानों में काम करने सम्बन्धी नियम हैं इनमें सुधार करने का काम बहुत महत्व का है और जब कमीशन नियुक्त होगा तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा है, हमारे देश में खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान की बड़ी आवश्यकता है। यह जो गैस का विस्फोट हुआ इसके सम्बन्ध में कोर्ट आफ इन्क्वायरी के सामने गवाहों ने ऐसे विषय पेश किये जिन पर इस देश में अनुसंधान नहीं हुआ था। दूसरे देशों में जो अनुसंधान हुआ है उसी के आधार पर उन्होंने हमारे सामने इस विषय को रखा। उनसे हमको पता चला कि अमरीका और इंगलैंड में जो खास-खास विषयों के सम्बन्ध में अनुभव हुए हैं वे हमारे लिय वैसे के वैसे लागू नहीं हो सकते। इसी सम्बन्ध में एक आश्चर्य की बात हमारे सामने आयी। जब खान से कोयला निकाल लिया जाता है तो उसको बालू से भर दिया जाता है और उस बालू में पानी मिला दिया जाता है। इस तरह से बालू में पानी मिलाकर खान को ऊपर तक भर दिया जाता है। जब बालू का पानी निकल जाता है दो बालू नीचे बैठ जाती है। हमारे सामने

[श्री श्रीनारायण दास]

खान के प्रबन्धक ने कहा कि चूंकि पानी निकल जाने के बाद बालू नीचे बैठ गयी, इसलिये बालू और खान की छत में खाली स्थान रह गया। उस स्थान में गैस जमा हो गयी, और चूंकि छत गिरी इसलिये गैस खान में भर गयी और इससे दुर्घटना हो गयी। दूसरे लोगों ने कहा कि जो पानी बालू में मिलाया जाता है वह खास-खास अवस्था में घटने के बजाय ऊपर तक आ जाता है। अब यह विषय ऐसा है कि जिस पर हमारे यहां अनुसंधान की आवश्यकता है। इस विषय पर गवाही देने के लिये बहुत से गवाह आये, प्रोफेसर भी आये लेकिन किसी ने अपने निजी तजर्बे की बात नहीं बतलायी इसलिये इसे समझने में गलती हुई। खानों में सुरक्षा सम्बन्धी जितने विषय हैं उन पर हमारे यहां अनुसंधान होना चाहिये। मुझे खुशी है कि फ्यूअल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट आफ माइन्स में कुछ अनुसंधान हो रहा है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है।

हमारे करीब दस लाख भाई खानों में काम करते हैं, वे बड़े परिश्रम से काम करते हैं उनकी सुरक्षा का हमको पूरा प्रबन्ध करना चाहिये और उपयुक्त नियम बनाने चाहिये। और केवल नियम बनाना ही काफी नहीं होगा उन नियमों को पालन करवाने की आवश्यकता है। यह काम आसान नहीं है। यह काम केवल इंस्पैक्टर बहाल करने से ही नहीं हो सकता बल्कि यह तभी हो सकता है जब कि खानों के सम्बन्ध में काम करने वाले सब लोग, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर आदि सब इस तरफ ध्यान दें। जो लोग कि खान विभाग में काम कर रहे हैं जैसे इंस्पैक्टर और प्रबन्धक आदि, उन्होंने जहां तक उनसे हो सकता है अच्छा काम किया है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और एक राष्ट्रीय कमीशन नियुक्त करने क लिये जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिये और जो दूसरे देशों के अनुभव हैं और जो हमार दश के अनुभव हैं उनके आधार पर अनुसंधान करना चाहिये और ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जो लाखों आदमी खानों में काम करते हैं उनकी जान खतरे से बचे और हमारा उत्पादन भी बढ़े।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : मैं इस विषय पर चर्चा का स्वागत करता हूं। किसी भी अन्य सदस्य की भांति छोटी अथवा बड़ी दुर्घटनाओं से मैं भी चिंतित हूं।

जैसा सदन को मालूम है, बड़ी अथवा ऐसी ही कोई दुर्घटना घटित होने पर विधि अधीन जांच न्यायालय की स्थापना करना सरकार की सामान्य नीति रही है। दुर्भाग्य से पिछले दो वर्षों में दो या तीन खदान सम्बन्धी दुर्घटनायें घटी हैं। एक खदान से सम्बन्धित है, दूसरी गैस से उत्पन्न हुई थी और तीसरी पिछली मानसून ऋतु में घटी है। खदानों के सुरक्षा विनियमों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। घनी वर्षा के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। बाढ़ के पानी को बड़ी नालियों के समीपवर्ती क्षेत्रों की ओर न ले सकने के कारण वह खदानों में भर गया और परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई। इस स्थिति में भी हमने जांच न्यायालय की स्थापना की थी। हमने इस बात का भी प्रयत्न किया था कि जांच न्यायालय में एक या दो संसद् सदस्य रहें। जांच जिस निष्पक्ष रूप में की गई है उससे हमें वस्तुस्थिति का काफी बोध हुआ है।

यह जांच टैक्नीकल अथवा औपचारिक नहीं थी। हम दुर्घटना का मूल कारण जानना चाहते थ। क्या हमारे इंस्पैक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ, क्या नियोजकों द्वारा विनियमों की पूर्त्ति न करने के परिणामस्वरूप यह बात हुई, या विद्यमान विनियमों में कोई त्रुटियां थीं ? मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में सब सम्भावित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

सुरक्षा विनियमों की जांच-पड़ताल के लिये उच्च शक्ति निगम का जहां तक सम्बन्ध है मैं उससे परांगमुख नहीं हूं। मैं कभी भी इससे विमुख नहीं हुआ। यद्यपि मैंने सभा के समक्ष कई बार यह बात

†मूल अंग्रेजी में।

प्रकट कर दी थी कि भारत में कोयला खदानों में मृत्यु औसतन हजार पर एक से कम है जब कि विदेशों में यह डेढ़ या दो के आसपास है। किन्तु में उससे संतुष्ट नहीं हूं। दुर्भाग्य यह है कि खदानों में कार्य करना अत्यन्त संकटप्रद है। कितना भी बचाव कीजिये दुर्घटना हो ही जाती है। यह खदान नियोजकों का कर्तव्य है कि वे दुर्घटनाओं में प्रत्येक सम्भव कमी करने का प्रयत्न करें।

श्री श्रीनारायण दास ने ठीक ही कहा था कि खदान सम्बन्धी विनियम बहुत पुराने हैं; ज्यों-ज्यों अनुभव प्राप्त होता गया उनमें संशोधन कर दिये गये। अतः ये विनियम पुराने नहीं हैं प्रत्युत परिवर्द्धित हैं। १९५२ में विधि पारित करते समय लम्बो प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ा। इसमें दो या तीन वर्ष लग गये। किन्तु जैसा सभा को ज्ञात है मैंने नवम्बर, १९५६ में आपातकाल विनियम पटल पर रखे थे जो तुरन्त क्रियान्वित होकर दो वर्षों तक रहेंगे। ठीक समझे जाने वाले विनियमन उनमें समाहृत कर दिये गये। वर्तमान अवस्था में जो नये विनियम हैं—जो श्री त० ब० विट्ठल राव को मालूम हैं—इन्हें खदान उद्योग की त्रिदलीय समिति के समक्ष रखे गये थे वे सब निरर्थक ही रहे। मैं तुरंत ही विनियमनों का प्रख्यापन कर सकता था किन्तु विधि के अधीन ऐसा नहीं किया जा सका। ऐसा करने के पूर्व इनका प्रकाशन आवश्यक था। समिति में की गई सब सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात इन्हें अक्तूबर में प्रकाशित कर दिया गया। अब ये राजपत्रित हो चुके हैं। अब सम्बन्धित हितों की ओर से आपत्ति प्राप्त होने तक अर्थात तीन महीनों तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास है कि पन्द्रह फरवरी तक, जब तीन महीने की अवधि पूरी हो जायेगी, इन विनियमनों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

इन संकल्पों को सूत्रबद्ध करने के लिये खदानों की सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित किये गये थे और फिर इन्हें शामिल किया गया। इस दिशा में यह भावना थी कि सुरक्षा सम्बन्धी किसी सुझाव की उपेक्षा न की जाये। श्री त० ब० विट्ठल राव जानते हैं कि नियोजकों द्वारा अनिच्छा प्रकट करने पर भी प्रत्येक युक्तिसंगत एवं व्यावहारिक सुझाव स्वीकार कर लिया गया। हमने कहा कि यदि हमसे कोई त्रुटि भी हो तो वह सुरक्षा के पक्ष में ही हो। इस कार्य के लिये यदि कुछ और खर्च करना पड़े तो भी हम करेंगे क्योंकि मानव जीवन का मूल्य किसी भी वस्तु से बढ़कर है।

तो श्री त० ब० विट्ठल राव ने जब यह प्रश्न उठाया—औद्योगिक समिति में खदान अधिस्वामियों के प्रतिनिधि—श्री कान्ति मेहता और श्री महेश देसाई ने भी कमीशन स्थापित करने की मांग की—तो मैंने उत्तर दिया और अब भी देता हूं कि मैं उच्च-शक्ति आयोग की नियुक्ति का विपक्षी नहीं हूं। किन्तु मैं विनियमों का संचालन और इंस्पैक्टर कार्यालय की सजगता देखना चाहता हूं। विगत कुछ महीनों में इसमें वृद्धि कर दी गई है। मैं इन विनियमों की क्रियान्विति का अध्ययन करना चाहता हूं क्योंकि यदि आयोग की नियुक्ति की गई तो यह विनियम के वर्तमान रूप का ही नहीं प्रत्युत कर्मचारियों पर प्रशासन और इनका कार्य भी देख सकेगा। हम किसी भी समय कितनी ही सुरक्षा व्यवस्था क्यों न करें उनका प्रशासन तो कर्मचारी ही करेंगे। यह अत्यन्त टेक्नीकल विषय है। आयोग को पश्चिमी देशों के बारे में जो जानकारी भी है उस पर भी विचार कर लिया गया है। मैं सभा को आश्वासन दे दूं कि भूतल में काम करने वाले खदान श्रमिकों के लिये सुरक्षा कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जायेगी।

कोयला खदान ही नहीं प्रत्युत अभ्रक और स्वर्ण खदानों के बारे में एक बड़ी कठिनाई है। सोने की खानें बड़ी गहरी होती हैं अतः इनके सम्बन्ध में और भी कठोर विनियमन होना चाहिये। हमने लगभग १०,००० अथवा १२,००० फुट गहरी खुदाई की है जहां कभी-कभी चट्टानें फट जाती हैं। ७,००० अथवा ८,००० फुट की गहराई पर चट्टानों के फटने का पहले ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। श्री बोस ने उचित ही कहा है कि जमीन में आप जितनी गहराई

[श्री खंडुभाई देसाई]

पर जायें उतनी ही दुर्घटनाओं की संभावनायें बढ़ जायेंगी। इन स्थानों में भी सुरक्षा उपाय किये जायेंगे वस्तुतः मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं। देश के औद्योगिक प्रसार के लिये इस संकटपूर्ण कार्य में निमग्न व्यक्तियों के लिये हम जो कुछ करना चाहते हैं, उसे हम छिपाना नहीं चाहते हैं, भले ही इसका सम्बन्ध देश, लोक-सभा अथवा खनकों से हो। इसकी आवश्यकता अब और भी बढ़ गई है। हम कोयले का उत्पादन ३७० लाख टन से बढ़ाकर ६०० लाख टन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि खनिज स्वामियों की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक कोयला खानों की खोज की जायेगी। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि खनिज श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये वे सब प्रयत्न किये जायें जो मानवीय दृष्टि से सम्भव हैं।

अन्त में, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि खदान श्रमिकों की सुरक्षा पर सदस्यों ने जो बातें बताई हैं उन पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। विनियमों को आगामी कुछ महीनों में अन्तिम रूप दिया जायेगा। हमने निरीक्षक-कार्यालय को अनुदेश दे दिये हैं कि वे इन विनियमों के अनुसार कार्य आरम्भ कर दें—औपचारिक रूप से अधिनियमित किये गये विनियमों पर वे विचार कर सकते हैं—हम शीघ्र ही उनको अन्तिम रूप प्रदान कर रहे हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका प्रवर्तन किस प्रकार होता है। इसके लिये अनेक महीनों अथवा वर्षों की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य के लिये बाद में एक उच्च शक्ति समिति अथवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। इस सम्बन्ध में किसी तिथि की घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि इस पर आगे विचार करना है। टेक्नीकल समिति अथवा आयोग की नियुक्ति का मैं विरोध नहीं करता हूं। यह आयोग हमें परामर्श देगा अथवा यह बतायेगा कि खदान सुरक्षा विनियमों में और कौन से परिवर्तन अथवा संशोधन आवश्यक हैं। नये विनियमों की क्रियान्विति के लिये हमें दो या तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु सम्बन्धित पक्षों को संशोधन सम्बन्धी जानकारी के लिये युक्तिसंगत समय देकर हम उन्हें लागू कर सकते हैं। यदि विद्यमान विनियमों में किसी अविलम्बनीय संशोधन की आवश्यकता हुई तो मैं सभा के समक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

आशा है कि प्रस्तावक एवं उनके समर्थक इन सब बातों से संतुष्ट हो जायेंगे। मैं इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि महत्तम राष्ट्रीय सेवा में संलग्न खदान श्रमिकों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी पूरी सावधानी बरती जाये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुझे एक मिनिट चाहिये।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला–शिमला) : क्या माननीय मंत्री सुरक्षा सम्बन्धी नये उपायों के बारे म कुछ जानकारी देंगे ?

†**श्री खण्डूभाई देसाई** : ये विनियम लगभग १८० हैं जो गजट में छप चुके हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं मंत्रालय से एक प्रति श्री टेकचन्द के पास भिजवाने के लिये कहूंगा।

†**सभापति महोदय** : अब चर्चा समाप्त हो गई है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६]

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३६३–६४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) एस० आर० ओ० संख्या २८७६ दिनांक २९ नवम्बर, १९५६ की एक प्रति जिसमें भारतीय तट से संलग्न गहरे समुद्र में मत्स्य-ग्रहण तथा मत्स्य पालन के बारे में भारत के अधिकार की राष्ट्रपति की उद्घोषणा है ।

(२) गैर-सरकारी सदस्यों में विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र के दौरान में हुई बैठकों (सतासठवीं से बहत्तरवीं) के सारांश ।

(३) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, १९५६ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से संदेश	...	...	१३६४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :

(१) कि लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५६ को पारित युवक व्यक्ति (हानिकारक प्रकाशन) विधेयक से राज्य सभा अपनी १७ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि लोक-सभा द्वारा ३० नवम्बर, १९५६ को पारित लड़कियों तथा स्त्रियों का अनैतिक पण्य विधेयक , १९५६ से राज्य-सभा अपनी १८ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(३) कि राज्य सभा ने अपनी १८ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में निम्नलिखित दो विधेयक पारित किये थे :
(१) दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक
(२) गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक, १९५६ ।

(४) कि राज्य सभा ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में दिल्ली किरायेदार (अस्थायी सुरक्षा) विधेयक, १९५६ को पारित कर दिया था ।

विषय	पृष्ठ
राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये ...	१३६४
(१) दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक ।	
(२) गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक ।	
(३) दिल्ली किरायेदार (अस्थायी सुरक्षा) विधेयक ।	
याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ...	१३६४
ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	१३६५
शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने बुद्ध जयंती समिति, सारनाथ के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	१३६६
सैंतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
पारित विधेयक	१३६६–१४०९
(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक पर आगे और चर्चा समाप्त हो गई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक पारित हो गया ।	
(२) गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने प्रादेशिक परिषद् विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।	
विचाराधीन विधेयक	१४०९–२०
वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी-उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा हुई ...	१४२०–२८
शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि	
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा और उनको पारित करना ।	

M57LSD—190—S1—23-4-58—GIPF.